रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938
No. 799] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

Machine

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1076(अ).— केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था अधिनियम, 2004 (2005 का 2) के खंड 24 के उपखंड (2) की धारा (ग) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त अधिनियम के खंड 15 के उपखंड (1) के तहत यथापेक्षित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (लेखाओं के वार्षिक विवरण) नियमावली, 2006 को संशोधित करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (लेखाओं के वार्षिक विवरण) संशोधित नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "फार्म-ए और इसकी अनुसूचियों" के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (लेखाओं के वार्षिक विवरण) नियमावली, 2006 में निम्नलिखित फार्म और अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामत:

"फार्म-ए

[नियम 3(4) देखें]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

आयोग के लेखे

दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का तुलनपत्र

राशि रुपये में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कायिक/पूंजीगत निधि	1		
निर्दिष्ट/उदिष्ट/बंदोबस्ती निधियां	2		
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	3		
कुल			

निधि का प्रयोग	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अचल परिसम्पत्तियां	4		
मूर्त परिसम्पत्तियां			
अमूर्त परिसम्पत्तियां			
पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर			
उदिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	5		
दीर्घ कालिक			
अल्प कालिक			
अन्य निवेश	6		
वर्तमान परिसंपत्तियां	7		
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8		
कुल			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 23
खातों की आकस्मिक देयताएं एवं नोट्स 24

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

------ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रुपये में

ब्यौरे	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
शैक्षिक रसीदें	9		
अनुदान/सहायिकी	10		
निवेश से आय	11		
अर्जित ब्याज	12		
अन्य आय	13		
अवधि पूर्व की आय	14		
कुल (क)			
व्यय			
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15		
शैक्षिक व्यय	16		
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17		
परिवहन व्यय	18		
मरम्मत और रखरखाव व्यय	19		
वित्त लागतें	20		
ह्रास मूल्य	4		
अन्य व्यय	21		
अवधि पूर्व व्यय	22		
कुल (ख)			

IndiaCode

व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख) निर्धारित निधि में/से अंतरण निर्माण निधि अन्य (उल्लेख करें) पूंजीगत निधि से जमा अधिशेष/(घाटा)			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 23
खातों की आकस्मिक देयताएं एवं नोट्स 24

तुलनपत्र की अनुसूचियों के भाग

अनुसूची 1 - कायिक/पूंजीगत निधि

राशि रुपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में अधिशेष जमा करें: कायिक/पूंजीगत निधि में योगदान जमा करें: पूंजीगत व्यय के लिए यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के उपयोग की सीमा जमा करें: निर्धारित निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियां जमा करें: प्रायोजित परियोजनाओं से खरीदी हुई परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्था में ही निहित है जमा करें: दान दी गई परिसंपत्तियां/प्राप्त उपहार जमा करें: अन्य योग जमा करें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक आय		
कुल		
(घटाना) आय एवं व्यय खाते से अंतरित घाटा		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया		

IndiaCode

अनुसूची 2 – नामित/उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां

राशि रुपये में

विवरण	निधि वार ब्रेकअप				कुल	
	कोष एएए	कोष बीबीबी	कोष सीसीसी	बंदोबस्ती कोष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष

क.

क) अथशेष राशि						
ख) वर्ष के दौरान जमा						
ग) निधि के निवेश से आय						
घ) अग्रिमों/निवेश पर अर्जित ब्याज						
ड.) बचत बैंक खाते पर ब्याज						
च) अन्य धनराशि (उल्लेख करें)						

कुल (क)						

ख.

निधि के उद्देश्यों पर व्यय/उपयोगिता						
i) पूंजीगत व्यय						
ii) राजस्व व्यय						

कुल (ख)						

वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष	एक्सएक्स	वाईवाई	जेडजेड	एलएल		

द्वारा प्रस्तुत						
नकद एवं बैंक अधिशेष						
निवेश						
अर्जित ब्याज जो देय नहीं						
कुल	एक्सएक्स	वाईवाई	जेडजेड	एलएल		

IndiaCode

<u>अनुसूची 2ए</u>

<u>बंदोबस्ती निधि</u>

"उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि" अनुसूची में 'बंदोबस्ती निधि' के कॉलम के आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए उप-अनुसूची का नमूना प्रपत्र – जो तुलन-पत्र का एक भाग है।

राशि रुपये में

1. क्र.सं.	2. बंदोबस्ती का नाम	अथशेष		वर्ष के दौरान जमा		कुल		वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंतशेष		कुल (10+11)
		3. बंदोबस्ती	4. संचित ब्याज	5. बंदोबस्ती	6. ब्याज	7. बंदोबस्ती (3+5)	8. संचित ब्याज (4+6)	9.	10. बंदोबस्ती	11. संचित ब्याज	
	कुल										

टिप्पणी

1. कॉलम 3 एवं 4 का योग उद्दिष्ट निधि की अनुसूची 2 के 'बंदोबस्ती निधि' कॉलम का अथशेष बंदोबस्ती के रूप में दर्शाया जाएगा जो तुलन-पत्र का भाग होगा।
2. कॉलम 9 का कुल योग सामान्य तौर पर कॉलम 8 के कुल योग से कम होना चाहिए, चूंकि वस्तु पर व्यय केवल ब्याज का उपयोग किया जाना चाहिए। * (कुर्सियों की बंदोबस्ती निधि को छोड़कर)

3. सामान्य रूप से अनुसूची में शेष डेबिट नहीं होना चाहिए। बंदोबस्ती खास मामलों में, यदि निधियों के विरूद्ध कोई डेबिट शेष रहता है तो डेबिट शेष को अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम और जमा राशि में "प्राप्तियों" के रूप में तुलनपत्र के परिसम्पत्तियों के कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए।

अनुसूची 3 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं 1. कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि 2. विद्यार्थियों से प्राप्त जमा राशि 3. विविध जमाकर्ता क) वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु ख) अन्य 4. अन्य जमा (ईएमडी, प्रतिभूति जमा राशि सहित) 5. सांविधिक देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस): क) अतिदेय ख) अन्य 6. अन्य वर्तमान देयताएं क) वेतन ख) प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के विरुद्ध प्राप्तियां घ) अनुपयोगी अनुदान ड.) अग्रिम अनुदान च) अन्य निधियां छ) अन्य देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान 1. कराधान के लिए 2. उपदान 3. सेवानिवृत्ति पेंशन 4. अर्जित अवकाश नकदीकरण 5. व्यापार वारंटी/दावे 6. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क + ख)		

टिप्पणी: अनुपयोगी अनुदान 6(घ) में अगले वर्ष के लिए अग्रिम स्वरूप प्राप्त अनुदानों को शामिल किया जाएगा।

अनुसूची – 3(क) प्रायोजित परियोजनाएं

राशि रुपये में

1. क्र.सं.	2. परियोजना का नाम	अथशेष		5. वर्ष के दौरान प्राप्तियां/वसूलियां	6. कुल	7. वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अंतशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
	कुल							

IndiaCode

1. परियोजनाओं को प्रत्येक एजेंसी के उप-योग सहित एजेंसी-वार सूचीबद्ध किया जा सकता है।

2. कॉलम 8 का कुल (क्रेडिट), तुलनपत्र (अनुसूची 3) के देयता कॉलम के उपर्युक्त शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

3. कॉलम 9 (डेबिट) का कुल तुलनपत्र के परिसंपत्ति कॉलम में अनुसूची 8, ऋण, अग्रिम और जमा राशि में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाएगा।

अनुसूची 3 (ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियां एवं छात्रवृत्तियां

राशि रुपये में

1 क्र.सं.	2. प्रायोजक का नाम	अथशेष 01.04..... को		वर्ष के दौरान लेन देन		31.03..... को अंतशेष	
		3	4	5	6	7	8
		सीआर.	डीआर.	सीआर.	डीआर.	सीआर.	डीआर.
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग						
2	मंत्रालय						
3	अन्य (अलग-अलग दर्शाया जाए)						
	कुल						

टिप्पणी:

1. कॉलम 7, (क्रेडिट) का कुल तुलनपत्र (अनुसूची 3) के देयता कॉलम के उपर्युक्त शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

2. कॉलम 8 (डेबिट) का कुल अनुसूची 8 (ऋण, अग्रिम एवं जमा राशियां) के तुलनपत्र में प्राप्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाएगा।

अनुसूची 3 (ग) यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
क. योजना अनुदान: भारत सरकार आगे लाया गया शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (क)		
घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (ख)		
आगे लाई गई अप्रयुक्त राशि (क-ख)		
ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान: योजना आगे लाया गया शेष वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (ग)		

IndiaCode

घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (घ)		
आगे लाई गई अप्रयुक्त राशि (ग-घ)		
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनेत्तर अनुदान आगे लाया गया शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (ड.)		
घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (च)		
आगे लाई गई अप्रयुक्त राशि (ड.-च)		
घ. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आगे लाया गया शेष जमा करें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (छ)		
घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (ज)		
आगे लाई गई अप्रयुक्त राशि (छ-ज)		
कुल योग (क+ख+ग+घ)		

IndiaCode

टिप्पणी:-

- अप्रयुक्त अनुदान में पूंजीगत खाते के अग्रिम शामिल हैं।
- अप्रयुक्त अनुदान के लिए अगले वर्ष प्राप्त अग्रिम अनुदान शामिल हैं।
- अप्रयुक्त अनुदानों को बैंक शेष, बैंकों में अल्पावधि जमा और पूंजीगत खाते पर अग्रिमों द्वारा परिसंपत्ति कॉलम में दर्शाया जाता है।

अनुसूची 4 – अचल परिसंपत्तियां

इस शीर्ष के तहत वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

1. भूमि	इसमें फ्रीहोल्ड भूमि और लीजहोल्ड भूमि शामिल हैं, इन्हें अलग-अलग दर्शाया जाए।
2. स्थल विकास	
3. भवन	इसमें संस्थाओं के भवन जैसे महाविद्यालय भवन, कार्यालय भवन, कर्मचारी आवासीय भवन, छात्रावास भवन, अस्थायी अवसंरचना एवं शेड शामिल हैं।
4. संयंत्र एवं मशीनरी	इनमें एयर कंडीश्नर, वॉटर/एयर कूलर, जेनरेटर सेट्स, टेजीविज़न सेट्स, अग्निशमन यन्त्र आदि शामिल हैं।
5. विद्युत संस्थापन	इनमें इलैक्ट्रिकल फिक्सचर एवं फिटिंग्स जैसे पंखे एवं ट्यूबलाइट फिटिंग्स शामिल हैं।

6. ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति प्रणाली	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली अलग श्रेणी में दर्शाये जा सकते हैं।
7. कार्यालय उपकरण	इनमें इस तरह की वस्तुएं जैसे फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर्स, ईपीएबीएक्स, टाइपराइटर्स, डुप्लीकेटिंग मशीनें आदि शामिल हैं।
8. प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	इनमें ऐसी वस्तुएं जैसे माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, डिसेक्शन उपकरण, ग्लास एपरेट्स, माप उपकरण एवं अन्य प्रकार की प्रयोगशाला उपकरण शामिल हैं।
9. दृश्य श्रव्य उपकरण	इनमें टेलीविजन सेट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टैपरिकाडर्स, डीवीडी/वीसीडी प्लेयर, कैमरा, मूवी प्रोजेक्टर्स आदि शामिल हैं।
10. फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग	इनमें वस्तुएं जैसे डेस्क/बैंच, दराज, अल्मारी, मेजें, कुर्सियां और पार्टीशन आदि शामिल हैं।
11. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	इनमें कम्प्यूटर्स प्रिन्टर्स एवं अन्य पेरीफेरल्स जैसे यूपीएस आदि शामिल हैं।
12. खेल उपकरण	इनमें वस्तुएं जैसे टेबल टेनिस, मेज एवं जिम उपकरण शामिल हैं।
13. वाहन	इनमें बसें, लॉरियां, वैन, कारें, स्कूटर आदि शामिल हैं।
14. पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	इनमें पुस्तकालय में पुस्तकें/वैज्ञानिक जर्नल्स शामिल होंगे।
15. अमूर्त परिसंपत्तियां	इनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट एवं अलग से निर्दिष्ट ट्रेडमार्क्स, ई-जर्नल्स शामिल हैं।
16. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	इनमें निर्माण के दौरान अचल परिसंपत्तियों को उनके इच्छित प्रयोग हेतु तैयार होने तक इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए जाने चाहिए। प्राप्त संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण एवं लंबित स्थापना और कमीशनिंग को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

Indiacode

अनुसूची 4 – अचल परिसंपत्तियां

राशि रुपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										

12	कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपत्तियां										

कुल (क)										

17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)										

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए परिशमन	कटौतियां/ समायोजन	कुल परिशमन/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
	कुल (ग)										

कुल योग (क+ख+ग)										

टिप्पणी: पूंजीगत कार्य शीर्ष के तहत सकल ब्लॉक के अंतर्गत 'कटौतियां' कॉलम के आंकड़े वर्ष के दौरान (प्रगति) चल रहे कार्यों का परिसम्पत्तियों में अंतरण को दर्शाते हैं।

1 से 14 परिसंपत्तियों के लिए सकल ब्लॉक के तहत वर्ष के दौरान 'जमा' कॉलम के आंकड़ों में वर्ष के दौरान अधिग्रहणों के साथ-साथ जारी कार्य से अंतरण शामिल हैं।

<u>अनुसूची 4क योजनागत</u>

राशि रुपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				वर्ष के लिए मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										

IndiaCode

6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्युटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपत्तियां										

IndiaCode

कुल (क)										

17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)									

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए परिशमन	कटौतियां/ समायोजन	कुल परिशमन/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
कुल (ग)											

कुल योग (क+ख+ग)										

अनुसूची 4ख गैर-योजनागत

राशि रुपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक		वर्ष के लिए मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक			
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपत्तियां										

कुल (क)										

17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)										

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए परिशमन	कटौतियां/ समायोजन	कुल परिशमन/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										

IndiaCode

19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
	कुल (ग)										

कुल योग (क+ख+ग)										

अनुसूची 4ग – अमूर्त परिसम्पत्तियां

राशि रुपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास/ परिशमन अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशमन	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ परिशमन	31.03	31.03
1	पेटेंट्स एवं कॉपीराइट										
2	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
3	ई-जर्नल्स										

अनुसूची 4(ग) (i) – पेटेंट और कॉपीराइट

राशि रुपये में

विवरण	अथशेष	जोड़	सकल	ऋण मुक्ति	शुद्ध ब्लॉक 20.....	शुद्ध ब्लॉक 20.....
क. प्रदान किए गए पेटेंट 1. वर्ष 2008-09 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य – रू...../-) 2. वर्ष 2010-11 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य – रू...../-) 3. वर्ष 2012-13 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य – रू...../-) 4. वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान किए गए पेटेंट						
कुल						

विवरण	अथशेष	जोड़	सकल	प्रदान किए गए/रद्द पेटेंट	शुद्ध ब्लॉक 20.....	शुद्ध ब्लॉक 20.....
ख. आवेदन किए गए पेटेंट के संबंध में लंबित पेटेंट 1. वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान किया गया व्यय 2. वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 3. वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया व्यय						
कुल						

ग. सकल योग (क+ख)						

IndiaCode

टिप्पणी: भाग क में जोड़ (प्रदान किए गए पेटेंट), भाग ख (कॉलम – प्रदान किए गए/रद्द पेटेंट) से अंतरित वर्ष के दौरान प्रदान किए गए पेटेंट के आंकड़े होंगे। वर्ष के दौरान रद्द अनुदान के लिए राशि आय और व्यय खाते में बट्टे खाते में डाल दिए गए।

अनुसूची 4घ अन्य

राशि रुपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्युटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक पत्र										
16	लघु मूल्य परिसंपत्तियां										

कुल:										

17	चल रहे पूंजीगत कार्य										

कुल योग										

टिप्पणी: वर्ष के दौरान जमा में निम्नलिखित से जमा शामिल हैं:

उपहार

निर्धारित निधियां

IndiaCode

प्रायोजित परियोजनाएं
अपनी निधियां
कुल

अनुसूची 5: निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां 2 राज्य सरकार प्रतिभूतियां 3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 4 शेयर 5 डिबेंचर एवं बांड 6 बैंक में आवधिक जमा 7 अन्य (निर्दिष्ट किए जांए)		
कुल		

अनुसूची 5 (क): निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश (निधि वार)

राशि रुपये में

क्र.सं.	**निवेश**	**वर्तमान वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
1 2 3 4 5	बंदोबस्ती निधियों से निवेश		
	कुल		

IndiaCode

टिप्पणी: इस उप अनुसूची में दिया गया कुल अनुसूची 5 में दिए गए कुल के अनुकूल होगा।

अनुसूची 6: निवेश – अन्य

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां		
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां		
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
4. शेयर		
5. डिबेंचर एवं बांड		
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जांए)		
कुल		

अनुसूची 7: वर्तमान परिसंपत्तियां

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. स्टॉक		
क) भंडारण एवं पुर्जे		
ख) फुटकर औजार		

ग) प्रकाशन		
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य सामग्री और कांच का सामान		
ङ) भवन सामग्री		
च) बिजली उपकरण		
छ) लेखन सामग्री		
ज) जल आपूर्ति सामग्री		
2. विविध देनदान		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए शेष ऋण		
ख) अन्य		
3. नकद एवं बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खातों में		
- आवधिक जमा खाते में		
- बचत खाते		
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों के साथ:		
- आवधिक जमा खातों में		
- बचत खातों में		
4. पोस्ट ऑफिस – बचत खाते		
कुल		

IndiaCode

टिप्पणी: संलग्नक(क) बैंक खातों के ब्यौरों को दर्शाता है।

संलग्नक (क)

राशि रुपये में

I. बचत बैंक खाते	
1. यूजीसी खाते से अनुदान	
2. विश्वविद्यालय प्राप्तियां खाते	
3. छात्रवृत्ति खाते	
4. शैक्षिक शुल्क प्राप्ति खाते	
5. विकास (योजनागत) खाते	
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीबीटी) खाते	
7. यूजीसी योजनागत छात्रवृत्ति खाते	
8. कायिक निधि खाते (ईएमएफ)	
9. प्रायोजित परियोजना निधि खाते	
10. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाते	
11. बंदोबस्ती एवं पीठ खाते (ईएमएफ)	
12. यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति खाते (ईएमएफ)	
13. एचबीए निधि खाते (ईएमएफ)	
14. वाहन खाते (ईएमएफ)	
15. यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाते (ईएमएफ)	
16. शैक्षिक विकास निधि खाते (ईएमएफ)	
17. जमा खाते	
18. विद्यार्थी निधि खाते	
19. विद्यार्थी सहायता निधि खाते	

20. विशिष्ट योजनाओं के लिए योजनागत अनुदान **II. वर्तमान खाते** **III. अनुसूचित बैंकों के साथ आवधिक जमा**	
कुल	

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम और जमा

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज दर लागू नहीं)		
क) वेतन		
ख) त्यौहार		
ग) चिकित्सा अग्रिम		
घ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
2. कर्मचारियों के लिए दीर्घ आवधिक अग्रिम (ब्याज दर लागू)		
क) वाहन ऋण		
ख) आवास ऋण		
ग) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
3. अग्रिम एवं अन्य राशि नकद या उस मूल्य के लिए या प्रकार में वसूली योग्य		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) सप्लायर के लिए		
ग) अन्य		
4. पूर्वदात व्यय		
क) बीमा		
ख) अन्य व्यय		
5. जमा		
क) टेलीफोन		
ख) पट्टे का किराया		
ग) बिजली		
घ) एआईसीटीई, यदि लागू हो तो		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
6. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के लिए किए गए निवेश पर		
ख) निवेश पर – अन्य		
ग) ऋण और अग्रिम पर		
घ) अन्य (जारी न की गई देय राशि सहित)		
7. अन्य - यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से वर्तमान परिसंपत्तियों से प्राप्तियां		
क) प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष		
ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों में डेबिट शेष		
ग) प्राप्त अनुदान		
घ) यूजीसी से अन्य प्राप्तियां		

IndiaCode

8. प्राप्त दावे		
कुल		

टिप्पणी:

1. यदि कर्मचारियों को मकान बनाने, कम्प्यूटर और वाहन अग्रिम के लिए आवर्ती निधियां बनाई जाती हैं तो ऐसी अग्रिम राशि को निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा। इन लागू ब्याज दर वाली अग्रिम राशि के लिए शेष को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

आय और व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 9: शैक्षिक प्राप्तियां

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क		
शैक्षिक		
1. ट्यूशन शुल्क		
2. प्रवेश शुल्क		
3. नामांकन शुल्क		
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		
5. प्रयोगशाला शुल्क		
6. कला एवं शिल्प शुल्क		
7. पंजीकरण शुल्क		
8. पाठ्यक्रम शुल्क		
कुल (क)		
परीक्षाएं		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
3. अंक तालिका, प्रमाणपत्र शुल्क		
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
कुल (ख)		
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क		
2. जुर्माना/विविध शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क		
4. परिवहन शुल्क		
5. छात्रावास शुल्क		
कुल (ग)		
प्रकाशनों का विक्रय		
1. प्रवेश फार्म विक्रय		
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र आदि विक्रय		
3. प्रवेश फार्म सहित विवरणिका विक्रय		
कुल (घ)		
अन्य शैक्षिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षिक कर्मचारी कॉलेज)		
कुल (ड.)		
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.)		

IndiaCode

टिप्पणी:

शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि सामग्री हैं और ये पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति में हैं, के मामले में, ऐसी राशि की पहचान पूंजीगत निधि के रूप में की जानी चाहिए। अन्यथा ऐसे शुल्क इस अनुसूची में उचित रूप से शामिल किए जाएंगे।

अनुसूची 10 – अनुसूची/सहायिकियां (प्राप्त अटल अनुदान)

राशि रुपये में

विवरण	योजना			कुल योजनागत	यूजीसी योजनेत्तर	वर्तमान वर्ष कुल	पिछले वर्ष का कुल
	भारत सरकार	यूजीसी					
		योजनागत	विशिष्ट योजना				
आगे लाया गया शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां							
कुल							
घटा: यूजीसी को धन वापसी शेष घटा: पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया गया (क)							
शेष							
घटा: राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया (ख)							
आगे ले जाया गया शेष							

IndiaCode

क- वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत निधियों के जोड़ के रूप में दर्शाया गया है।

ख- आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया है।

ग- (i) तुलनपत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है और अगले वर्ष यह अथशेष बनेगा।

(ii) परिसंपत्तियों के कॉलम में बैंक शेष, निवेश और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया है।

अनुसूची 11 – निवेश से आय

राशि रुपये में

विवरण	**निर्धारित/अक्षय निधियां**		**अन्य निवेश**	
	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बांड/डिबेंचर 2. आवधिक जमा पर ब्याज 3. आय उपार्जित की गई लेकिन कर्मचारियों को अग्रिम पर आवधिक जमा/ब्याज पर देय नहीं 4. बचत बैंक खातों पर ब्याज 5. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				
निर्धारित/अक्षय निधियों को अंतरित				

शेष	**शून्य**	**शून्य**		

टिप्पणी: ब्याज उपार्जित किया गया लेकिन गृह निर्माण अग्रिम निधि, परिवहन अग्रिम निधि और कम्प्यूटर अग्रिम निधि से प्राप्त आवधिक जमा राशि पर देय नहीं है और कर्मचारियों के लिए अग्रिम ब्याज केवल यहां शामिल (मद 3) होगा जहां ऐसी अग्रिम राशि के लिए परिक्रामी निधियां स्थापित की गई हैं।

अनुसूची 12—अर्जित ब्याज

राशि रुपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर 2. ऋणों पर क. कर्मचारी/स्टाफ ख. अन्य 3. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर		
कुल		

IndiaCode

टिप्पणी:

1. निर्धारित/अक्षय निधियों के बैंक खातों के संबंध में मद 1 में दी गई राशि अनुसूची 11 (पहला भाग) और अनुसूची 2 में डाली जाती है।
2. ऐसे अग्रिमों के लिए शेष परिक्रामी निधियों के गठित न किए जाने पर ही मद 2 (क) लागू है।

अनुसूची 13 – अन्य आय

- विविध आय में शामिल सामग्री राशि की मदें अलग से प्रकट की जानी चाहिए।

राशि रुपये में

क. भूमि एवं भवन से प्राप्त आय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. छात्रावास से किराया		
2. लाइसेंस शुल्क		
3. सभागार/खेल के मैदान/कन्वेंशन सेन्टर आदि को किराए पर देने के प्रभार		
4. वसूले गए बिजली प्रभार		
5. वसूले गए पानी प्रभार		
कुल		
ख. संस्थान के प्रकाशन की बिक्री		
ग. आयोजनों से प्राप्त आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल मेलों से प्राप्त सकल प्राप्तियां		
घटा: वार्षिक समारोह/खेल मेलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
2. उत्सवों से प्राप्त सकल प्राप्तियां		
घटा: उत्सवों पर व्यय किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
3. शैक्षिक दौरों के लिए सकल प्राप्तियां		

घटा: दौरों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए और अलग से दर्शाया जाए)		
कुल		
घ. अन्य		
1. परामर्श से प्राप्त आय		
2. आरटीआई शुल्क		
3. रॉयल्टी से प्राप्त आय		
4. आवेदन फार्म की बिक्री (भर्ती)		
5. विविध प्राप्तियां (टेंडर फार्म, रद्दी आदि की बिक्री)		
6. बिक्री पर लाभ/परिसंपत्तियों का निपटान		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां		
ख) प्राप्त नि:शुल्क परिसंपत्तियां		
7. संस्थाओं, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल		
सकल योग (क+ख+ग+घ)		

IndiaCode

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि आय

राशि रुपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. शैक्षिक प्राप्तियां		
2. निवेश से प्राप्त आय		
3. अर्जित ब्याज		
4. अन्य आय		
कुल		

अनुसूची 15 – कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)

- शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों; तदर्थ कर्मचारी के लिए अलग से वर्गीकरण किया जाएगा। वेतन वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, वेतन बकाया अलग से दर्शाया जाएगा।

राशि रुपये में

	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजनागत	**योजनेत्तर**	**कुल**	**योजनागत**	**योजनेत्तर**	**कुल**
क) वेतन और मजदूरी						
ख) भत्ते और बोनस						
ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान						
घ) अन्य निधि के लिए अंशदान (उल्लेख करें)						

ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय						
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हित लाभ						
छ) एलटीसी सुविधा						
झ) चिकित्सा सुविधा						
ञ) बाल शिक्षा भत्ता						
ट) मानदेय						
ठ) अन्य (उल्लेख करें)						
कुल						

<u>अनुसूची 15 क – कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ</u>

राशि रुपये में

	पेंशन	**उपदान**	**अवकाश नकदीकरण**	**कुल**
..... को अथशेष				
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीकृत मूल्य				
कुल (क)				
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)				
31.03 को उपलब्ध शेष ग (क-ख)				
वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03 को अपेक्षित प्रावधान (घ)				
क. वर्तमान वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (घ – ग)				
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर तक की गई यात्रा ड. जमा सह बीमा भुगतान				
कुल (क+ख+ग+घ+ड.)				

IndiaCode

टिप्पणी:

1. अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ के लिए कुल (क+ख+ग+घ+ड.) आंकड़े इस उप अनुसूची में दिए जाएंगे।
2. मद ख, ग, घ और ड. की मदों की वास्तविक आधार पर गणना की जाएगी और इसमें वह बिल शामिल किए जाएंगे जो प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन यह 31/3 को भुगतान हेतु बकाया हैं।

अनुसूची-16—अकादमिक व्यय

राशि रु. में

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क) प्रयोगशाला व्यय						
ख) क्षेत्रीय कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी						
ग) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय						
घ) विजिटिंग संकाय को भुगतान						
ड.) परीक्षा						
च) विद्यार्थी कल्याण व्यय						
छ) प्रवेश व्यय						
ज) दीक्षान्त समारोह व्यय						
झ) प्रकाशन						
ञ) स्टाइपेंड/साधन-सह मैरिट-छात्रवृत्ति						
ट) अभिदान व्यय						
ठ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

अनुसूची-17—प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

राशि रु. में

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क अवसंरचना						
क) विद्यत और ऊर्जा						
ख) जल प्रभार						
ग) बीमा						
घ) किराया, दरें और कर (सम्पत्ति कर सहित)						
ख पत्र व्यवहार						
ड.) डाक और स्टेशनरी						
च) टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार						
ग अन्य						
छ) मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)						
ज) यात्रा और वाहन व्यय						
झ) आतिथ्य						
ञ) लेखा-परीक्षक पारिश्रमिक						
ट) व्यावसायिक प्रभार						
ठ) विज्ञापन और प्रचार						

IndiaCode

ङ) पत्र, पत्रिकाएं						
ढ) अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

अनुसूची-18-परिवहन व्यय

राशि रु. में

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
1. संस्थान के स्वामित्व वाले वाहन क) आवर्ती व्यय ख) मरम्मत एवं अनुरक्षण ग) बीमा व्यय 2. किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन क) किराया/पट्टा व्यय 3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय						
योग						

अनुसूची-19—मरम्मत और अनुरक्षण

राशि रु. में

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क) भवन ख) फर्नीचर एवं फिक्स्चर ग) संयत्र एवं मशीनरी घ) कार्यालय उपस्कर ड.) कम्प्यूटर्स च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपस्कर छ) श्रव्य दृश्य उपस्कर ज) साफ-सफाई सामग्री एवं सेवाएं झ) जिल्दबंदी प्रभार ञ) बागवानी ट) सम्पदा अनुरक्षण ठ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

अनुसूची-20—वित्तीय लागतें

राशि रु. में

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क) बैंक प्रभार ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

IndiaCode

नोट: यदि यह राशि सामग्री नहीं है तो बैंक प्रभार शीर्ष को हटाया जा सकता है और इन्हें अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय के रूप में गिना जा सकता है।

अनुसूची-21—अन्य व्यय

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) अशोध्य अथवा संदेहास्पद कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान ख) वसूल न किए जा सकने वाले शेष को बट्टे खाते में डालना ग) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/आर्थिक सहायता घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

नोट: अन्य व्यय को बट्टे खाते में डालना, प्रावधान, विविध व्यय, निवेश की बिक्री से हानि स्थिर सम्पत्ति की हानि और स्थिर परिसम्पत्ति की बिक्री हानि इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और इन्हें तदनुसार दर्शाया जाएगा।

अनुसूची-22—पूर्व अवधि के व्यय

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1. स्थापना व्यय						
2. अकादमिक व्यय						
3. प्रशासनिक व्यय						
4. परिवहन व्यय						
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण						
6. अन्य व्यय						
कुल						

IndiaCode

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची:23

महत्वपूर्ण लेखांकन-नीतियां (उदाहरणात्मक)

1. लेखांकनों को तैयार करने का आधार

जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के अन्तर्गत और सामान्य रूप में लेखांकन के प्रोद्भवन पद्धति से तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व-मान्यता

2.1 छात्रों से प्राप्त शुल्क (शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त), प्रवेश-पत्रों की बिक्री, रॉयल्टी और सेविंग बैंक खाते पर ब्याज नकद आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एकत्रित शिक्षा-शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

2.2 भूमि, भवनों और अन्य सम्पत्ति से प्राप्त आय और निवेशों से प्राप्त ब्याज, प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किए जाते हैं।

2.3 भवन निर्माण के लिए स्टाफ को दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों पर ब्याज, वाहनों और कम्प्यूटरों के क्रय को प्रत्येक वर्ष प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है, तथापि, ब्याज की वास्तविक वसूली, मूलधन के का पूर्ण रूप से, पुन: भुगतान हो जाने के पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

3. स्थिर परिसम्पत्तियां और ह्रास

3.1 स्थिर परिसम्पत्तियों के मूल्य की घोषणा, अर्जन की लागत पर की जाती है, जिनमें, लाने के भाड़े, सीमा-शुल्क और कर एवं आकस्मिक और प्रतिष्ठापन संबंधी स्थापना और कमीशन करने संबंधी प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

3.2 उपहार में मिली, दान में मिली, परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, जहां उपलब्ध है, घोषित मूल्य पर किया जाता है, यदि उपलब्ध नहीं है, परिसम्पत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में समायोजन करके वर्तमान बाजार-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वे ''क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड'' द्वारा स्थापित किए जाते हैं और संस्थान की स्थिर परिसम्पत्तियों के साथ उनका विलय कर दिया जाता है। ह्रास का प्रभार, संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों के आधार पर किया जाता है।

3.3 उपहार में प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन, पुस्तकों पर मुद्रित विक्रय की कीमतों पर किया जाता है। जहां पर ये कीमतें मुद्रित नहीं हैं, मूल्य, निर्धारण पर आधारित होता है।

3.4 स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, उसके मूल्य से एकत्रित ह्रास को घटाकर किया जाता है। स्थिर परसम्पत्तियों पर ह्रास, स्ट्रेट लाइन मेथड पर निम्नलिखित दरों से प्रदान किया जाता है:

मूर्त परिसम्पत्तियां:

1. भूमि	0%
2. स्थल विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें और पुल	2%
5. ट्यूब बेल और जलपूर्ति	2%
6. सीवरेज और जल निकासी	2%
7. इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठान और उपस्कर	5%
8. संयंत्र और मशीनरी	5%
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपस्कर	8%
10. कार्यालय उपस्कर	7.5%
11. श्रव्य-दृश्य उपस्कर	7.5%
12. कम्प्यूटर और पेरीफेरल्स	20%
13. फर्नीचर, फिक्सर्स और फिटिंग	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय-पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%

अमूर्त परिसम्पत्तियां (परिशोधन):

1. ई-जर्नल	40%
2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3. पेटेंट्स और प्रतिलिप्यधिकार	9 वर्ष

3.5 वर्ष के दौरान ह्रास, सम्पूर्ण वर्ष के लिए, वृद्धियों पर प्रदान किया जाता है।

3.6 जहां पर कोई परिसम्पत्ति पूर्ण रूप से मूल्यह्रास के अन्तर्गत आ जाती है, तो यह परिसम्पत्ति तुलन-पत्र (बी.एस.) में 1 रूपए के अवशिष्ट मूल्य पर ले जाई जाती है और पुन: इसको मूल्यके अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा। इसके पश्चात् उस परिसम्पत्ति-शीर्ष के लिए लागू दर पर अलग से मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक वर्ष की बढ़ोत्तरियों पर की जाती है।

3.7 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित निधि से सृजित परिसम्पत्तियां, जहां पर ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व उस संस्थान में निहित है, वे परिसम्पत्तियां 'क्रेडिट टु फण्ड' द्वारा स्थापित की जाती हैं और संस्थान की स्थिर परिसंपत्तियों के साथ उनका विलय कर दिया जाता है।

IndiaCode

संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से सृजित परिसम्पत्तियां, जहां पर उनका स्वामित्व प्रायोजकों द्वारा अपने पास रखा जाता है, परंतु उनको संस्थान द्वारा धारित और प्रयुक्त किया जाता है, उन परिसम्पत्तियों का खुलासा अलग से लेखाओं की टिप्पणियों में किया जाता है।

3.8 वे परिसम्पत्तियां, जिनका, प्रत्येक का निजी मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है (पुस्तकालय की पुस्तकों के अतिरिक्त), उन्हें कम मूल्य की परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाता है, उनके अर्जन के समय पर, ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। हालांकि ऐसी संपत्तियों के धारकों द्वारा उनके वास्तविक विवरण और नियंत्रण रखे रखते हैं।

4. अमूर्त परिसम्पत्तियां: पेटेंट्स और प्रतिलिप्यधिकार, ई-जर्नल और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अमूर्त परिसम्पत्तियों के समूह में वर्गीकृत किए जाते हैं।

4.1 पेटेंट्स : पेटेंट्स प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया व्यय (आवेदन शुल्क, विधिक व्यय आदि) अस्थायी रूप में पूंजीगत होता है और तुलन-पत्र (बी.एस.) में इसको अमूर्त परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं, तो, जिस वर्ष में आवेदन निरस्त किया गया था, उस वर्ष के आय और व्यय खाते में, उस विशेष पेटेंट्स पर किए गए संचयी व्यय को बट्टे खाते डाल दिया जाता है। स्वीकृत पेटेंट्स पर किया गया व्यय संरक्षणात्मक आधार पर 9 वर्ष से अधिक आयु पर बट्टे खाते डाला जाता है।

4.2 इलैक्ट्रॉनिक जर्नलों (ई-जर्नल) को पुस्तकालय की पुस्तकों से इस दृष्टि कोण से अलग किया गया है कि ऑनलाइन सुलभता (एक्सेस) का दिया गया सीमित लाभ प्राप्त किया जा सके। ई-जर्नल मूर्त रूप में नहीं है, परंतु अस्थायी रूप से पूंजीगत किए गए हैं और व्यय के महत्व और शैक्षिक और अनुसंधान स्टाफ द्वारा प्राप्त किए गए स्थायी ज्ञान के रूप में प्राप्त लाभ की दृष्टि से, ई-जर्नलों के संबंध में, पुस्तकालय की पुस्तकों की तुलना में मूल्यह्रास 40% की उच्चतर दर पर प्रदान किया जाता है।

4.3 सॉफ्टवेयर के अर्जन पर किए गए व्यय को कम्प्यूटरों और सहायक उपकरणों से अलग किया गया है, चूंकि यह अमूर्त परिसम्पत्तियों के अलावा हैं, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत ऊंची है। सॉफ्टवेयर के संबंध में मूल्यह्रास, कम्प्यूटर और सहायक उपकरणों को दिए गए 20% के मूल्यह्रास की तुलना में 40% की उच्चतर दर पर प्रदान किया जाता है।

5. स्टाक:

रसायनों (केमिकल्स) शीशे से निर्मित सामग्री, प्रकाशनों और अन्य भण्डार की खरीद पर किए गए व्यय का लेखांकन राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, सिवाय 31 मार्च को धारित समापन-स्टॉक का मूल्य, विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनुरूपी व्ययों को घटाकर इनवेंटरी के रूप में स्थापित किया जाता है। उनका मूल्यांकन लागत पर होता है।

6. सेवा-निवृत्ति के लाभ

सेवा-निवृत्ति के लाभ अर्थात् पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) और अवकाश नगदीकरण, प्रोदभवन मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्थान के कर्मचारी, जो इस संस्थान में आत्मसात कर लिए गए हैं, उनको पूर्व नियोक्ताओं से जो पेंशन और उपदान की राशि प्राप्त हुई हो, उनके पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों में क्रेडिट किया जाता है। प्रतिनियुक्ति से संबंधित कर्मचारियों से संबंधित पेंशन-अंशदान भी, पेंशन खाते के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है। पेंशन, ग्रेच्युइटी और अवकाश नगदीकरण के वास्तविक भुगतान, संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट किए जाते हैं। अन्य सेवा-निवृत्ति के लाभ, उदाहरणार्थ-डिपोजिट लिंक्ड इंशोरेंस, नई पेंशन योजना का अंशदान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी पुनर्भुगतान और सेवा-निवृत्त होने पर होम टाऊन की यात्रा के भुगतानों को वास्तविक आधार (वास्तविक भुगतान+वर्ष के अंत में बकाया बिल) पर लेखांकित किया जाता है।

7. निवेश

(क) दीर्घकालिक निवेश उनकी लागत या फेस वैल्यू, जो भी कम है, पर कार्यान्वित किए जाते हैं। हालांकि, तुलन-पत्र (बी.एस) तैयार करने की तारीख पर उनके मूल्य में यदि कोई स्थायी घटाव है, तो उसका प्रावधान किया जाता है।

(ख) अल्पकालिक निवेश, उनकी लागत या बाजार-मूल्य (यदि दिया गया है) में जो भी कम है, पर कार्यान्वित किए जाते हैं।

8. उद्दिष्ट धर्मस्व निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक निधि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट की गई हैं। प्रत्येक निधि का अपना अलग बैंक खाता है। जिन निधि के खातों में काफी धन-राशि शेष है, उन्हें भी सरकारी सेक्योरिटीज, डिवेंचर और बाण्ड और बैंकों के साथ सावधि-जमा में निवेश किया जाता है। निवेशों/अग्रिमों (भवन-निर्माण/वाहन और कम्प्यूटर अग्रिम) से प्रोद्भवन (एक्रूड) आधार पर आय और सेविंग बैंक खातों से प्राप्त ब्याज, संबंधित निधि में क्रेडिट किए जाते हैं। व्यय और अग्रिम (भवन-निर्माण और वाहन (कम्प्यूटर के मामले में) निधि में डेबिट किए जाते हैं। उद्दिष्ट निधि से सृजित की गई सम्पत्तियों, जहां पर, निधि का स्वामित्व संस्थान में निहित है, वहां पर, पूंजी-निधि में समान राशि

को क्रेडिट करके उन परिसम्पत्तियों का संस्थान की परिसम्पत्तियों के साथ विलय कर लिया जाता है। संबंधित निधि में शेष राशि (बैलेंस) अग्रनीत करके, बैंक में शेष राशि (बैलेंस) से, निवेश और प्रोद्भूवन (एक्रूड) ब्याज के द्वारा परिसम्त्तियों के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है।

8.1 कायिक निधि (कार्पस फण्ड) की स्थापना (वर्ष) में की गई थी। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त मैचिंग अंशदान, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त मान्यता/ संबद्धता शुल्क, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, संस्थानों के परामर्शिता शुल्क का शेयर और अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त अंशदानों को कायिक निधि में वृद्धि करने वाली निधि के रूप में माना जाता है।

निधि के निवेशों की आय निधि में जोड़ दी जाती है। कायिक निधि का उपयोग, राजस्व और पूंजी-व्यय दोनों, के लिए किया जाता है जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और समय-समय पर संस्था की कार्यकारी परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होता है। कायिक निधि के माध्यम से सृजित की गई परिसम्पत्तियों का, पूंजी-निधि में समान राशि क्रेडिट करके, संस्था की परिसम्पत्तियों के साथ इन परिसम्पत्तियों का विलय कर दिया जाता है। कायिक निधि की शेष राशि, जिसको अग्रनीत किया जाता है, एक अलग बैंक खाते, आरबीआई बाण्ड्स में निवेश और बैंक के साथ मियादी जमा और निवेशों पर प्रोद्भूत (एक्रूड) ब्याज की शेष राशि (बैलेंस) द्वारा दिखाया जाता है।

8.2 ए.डी. निधि

इस निधि की स्थापना 1 फरवरी, 2006 को गई थी। इस निधि का उपयोग कुछ नवाचारी कार्यक्रमों और अनुसंधान के वित्तपोषण और ऐसे अन्य विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए करना होता है, जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

8.3 भवन-निर्माण अग्रिम निधि

एक आवर्ती निधि, जो अधिकारियों और स्टाफ को भवन-निर्माण के लिए ब्याज वाले अग्रिम के भुगतान के प्रयोजन के लिए होती है।

8.4 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता निधि

कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं को अध्येतावृत्तियों का भुगतान करने के प्रयोजन से यूजीसी/सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि।

8.5 वाहन निधि (कम्प्यूटर अग्रिमों सहित)

एक आवर्ती निधि, जो अधिकारियों और स्टाफ को ब्याज वाहक अग्रिम के भुगतान के प्रयोजन के लिए है।

8.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति हेतु उपलब्ध कराई गई निधि।

8.7 धर्मस्व निधि

धर्मस्व निधि ऐसी निधि हैं जो विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त पीठों की स्थापना और पदकों तथा पुरस्कारों की स्थापना के लिए प्राप्त की जाती है। जबकि, प्रत्येक धर्मस्व निधि के अपने निवेश स्रोत होते हैं, सारी धर्मस्व निधि के लिए एक बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि उन खातों में अनिवेश की गई बकाया नगण्य होती है।

प्रत्येक धर्मस्व निधि के निवेश की आय, निधि में जोड़ दी जाती है। बचत बैंक खातों का ब्याज, सभी धर्मस्व निधि में, प्रत्येक निधि में वर्ष की समाप्ति को अथ शेष के अनुपात में आबंटित कर दिया जाता है। पदकों और पुरस्कारों के व्यय को संबंधित धर्मस्व निधि के निवेश से अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है और बकाया राशि अग्रनीत की जाती है। पीठों के मामलों में, हालांकि, धर्मस्व निधि की कायिक राशि का भी उपयोग किया जाता है।

बकाया राशि को आरबीआई बाण्ड्स और सावधि जमाओं में निवेश द्वारा और शेष को सभी धर्मस्व निधि के लिए साझा बचत बैंक खाते में और निवेश पर प्रोदभूत ब्याज द्वारा निरुपित किया जाता है।

9. सरकारी और यूजीसी अनुदान

9.1 सरकारी और यूजीसी अनुदान प्राप्त होने के आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। तथापि, जहां पर, वित्त वर्ष से संबंधित अनुदान के जारी करने की संस्वीकृति 31 मार्च के पूर्व प्राप्त हो जाती है और अनुदान वास्तविक रूप में अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान प्रोद्भूवन (एक्रूबल) आधार पर लेखांकित किया जाता है और समान राशि, अनुदान प्रदाता से वसूली योग्य प्रदर्शित की जाती है।

9.2 पूंजी व्यय की दिशा में उपयोग की गई सीमा तक (प्रोद्भूवन आधार पर) सरकारी अनुदान और यूजीसी से प्राप्त अनुदान, पूंजी निधि में अंतरित कर दिए जाते हैं।

IndiaCode

9.3 राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी और यूजीसी अनुदान (प्रोद्भवन आधार पर), उपयोग की गई सीमा तक, उस वर्ष की आय के रूप में माने जाते हैं, जिसमें वे प्राप्त किए जाते हैं।

9.4 बिना उपयोग में लाए गए अनुदान (ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) आगे ले जाए जाते (कैरीड फारवर्ड किए जाते) हैं और उनको तुलन-पत्र (बी.एस.) में देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

10. उद्दिष्ट निधि के निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत आय

उस सीमा तक जो तत्काल व्यय के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसी निधि के विरुद्ध उपलब्ध राशियों को बचत बैंक खातों में बकाया राशि छोड़कर अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड में निवेश कर दिया जाता है या बैंकों के साथ साअवधि के लिए जमा कर दिया जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज और प्राप्य ब्याज और प्रोद्भूत ब्याज, परंतु जो अभी प्राप्य नहीं हैं, उनको संबंधित निधि में जोड़ दिया जाता है और उन्हें संस्थान की आय नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशियां "चालू देनदारियां और प्रावधान-चालू देनदारियां-अन्य देनदारियां-चालू प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दी जाती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए जैसे ही और जब भी व्यय किया जाता है/अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, या संबंधित परियोजना राशि, आबंटित ओवर हेड प्रभारों के साथ डेबिट की जाती है, देनदारियों का खाता डेबिट कर दिया जाता है।

11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के वित्तपोषण हेतु उद्दिष्ट की गई निधि के अतिरिक्त, विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। इनका लेखांकन उसी प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रायोजित परियोजनाओं का किया जाता है, केवल यह छोड़कर कि सामान्यत: व्यय, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों के संवितरण पर ही होता है, जिसमें, अध्येताओं और विद्वानों द्वारा किया जाने वाला आकस्मिक भत्ता शामिल हो सकता है।

11.3 स्वयं संस्थान भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जो शैक्षिक व्ययों के रूप में लेखांकित की जाती हैं।

12. आयकर

संस्थान की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। इसलिए, लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अनुसूची:24

<u>आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां (उदाहरणात्मक)</u>

1. आकस्मिक देनदारियां:

1.1 31.03 की स्थिति के अनुसार, पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों और ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में दायर किए गए मामले और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थम मामले निर्णय के लिए विलम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए वाद, स्थापना से संबंधित, उदारणार्थ, पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन-मान, बर्खास्तगी आदि के संबंध में थे। दावों की मात्रा निश्चित करने योग्य नहीं है। वादों और विवाचन (माध्यस्थम) मामलों में ठेकेदारों (संविदाकारों) द्वारा.....लाख रुपए का दावा (पूर्व वर्ष मेंलाख रुपए) किया गया था।

1.2 संस्थान की ओर से बैंक द्वारा स्थापित किए गए लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बकाया, 31.03..... की स्थिति के अनुसार रुपए (पूर्व वर्ष मेंरुपए) थे।

1.3 बिक्री-कर से संबंधित विवाद ग्रस्त मांग.....रुपए (पूर्व वर्ष मेंरुपए) नगर पालिका कर.....रुपए (पूर्व वर्ष मेंरुपए)

2 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले कन्ट्रेक्ट का मूल्य जिसका (निवल अग्रिमों) प्रावधान नहीं किया गया है और दिनांक 31.03..... की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष करोड़ रुपये) था।

3 स्थिर परिसम्पत्तियां:

3.1 स्थिर परिसम्पत्तियों में, वर्ष में हुई वृद्धि अनुसूचीमें योजना निधि से क्रय की गई परिसम्पत्तियों में (..... रुपए), गैर-योजना निधि (.....रुपए), ए.डी. निधि (..... रुपए), निधि (रुपए), प्रायोजित परियोजनाएं(.....रुपए) और पुस्तकालय पुस्तकें और रुपए के मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियां जो संस्था को उपहार स्वरूप दी गई हैं। परिसम्पत्तियों को क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड द्वारा स्थापित (सेटअप) किया गया है।

3.2 31.03के तुलन पत्र और पूर्ववर्ती वर्षों के तुलन-पत्रों में, योजनागत निधि से सृजित स्थिर परिसम्पत्तियों और योजनेतर निधि से सृजित सम्पत्तियों को अलग से नहीं प्रदर्शित किया गया था। योजनागत, योजनेतर निधि से और अन्य निधि से वर्षों के दौरान

हुई वृद्धियां और उन वृद्धियों पर जिन पर मूल्यह्रास प्रदान किए गए हैं, उन्हें स्थिर परिसम्पत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप-अनुसूचियों में क्रमश: क, ख, ग और घ में अलग से प्रदर्शित किया गया है।

3.3 अनुसूची 4 में स्थापित स्थिर परिसम्पत्तियों में, प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से क्रय की गई, परिसम्पत्तियां, संस्था द्वारा धारित और उपयोग में लाई जाने वाली परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि, परियोजना-अनुबंधों में यह विनिर्दिष्ट है कि परियोजना निधि से क्रय की गई ऐसी सभी परिसम्पत्तियां, प्रायोजकों की परिसम्पत्ति बनी रहती हैं।

ऐसी परिसम्पत्तियों के ब्यौरें निम्नलिखित हैं:

परिसम्पत्तियां	1.4. को मूल लागत रुपए	वर्ष के दौरान हुई वृद्धियां रुपए	कुल योग रुपए	कल्पित मूल्यह्रास अथ शेष	वर्ष के लिए कल्पित मूल्यह्रास रुपए	कुल कल्पित मूल्यह्रास	31.3. को कुल पुस्तक मूल्य रुपए
प्रयोगशाला उपकरण							
कम्प्यूटर्स							
कार्यालय उपकरण							
फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स							
कुल योग							

4. पेटेंट्स: पेटेंट्स पर व्यय के संबंध में के दौरान, पहली बार एक लेखांकन नीति तैयार की गई थी।..... वर्षों के दौरान, संस्वीकृत पैंटेंटो पर किया गया व्यय और 31.3..... की स्थिति के अनुसार, विलंबित पेटेंट्स आवेदनों पर किए गए व्यय, क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड के माध्यम सेके खातों में सेट-अप किए गए थे। में किए गए व्यय को शीर्ष में सीधे डेबिट कर दिया गया है।

5. जमा देनदारियां: रुपए के अग्रिम धन के रूप में जमा और प्रतिभूति जमा की बकाया राशि, जो बिना दावा वाली जमा राशि थीं, वित्त वर्ष के पूर्व उन्हें राजस्व खाते में अंतरित कर दिया गया और उन्हें वर्ष..... के लिए विविध आय के रूप में लेखांकित कर लिया गया।

6. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(क) यात्रा

(ख) रसायनों (केमिकल्स) आदि के आयात के लिए विदेशी ड्राफ्ट

(ग) अन्य

7. वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमाएं

प्रबंधन के विचार में, वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋणों अग्रिमों और जमाओं का मूल्य सामान्य क्रम में वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गए राशि के कुल योग के बराबर होता है।

8. बचत बैंक खातों, चालू खातों और बैंकों के साथ सावधि जमा खातों की शेष राशियों के ब्यौरे, वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुसूची 'क' में अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

9. आवश्यकतानुसार, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुन: समूहीकृत किए गए हैं।

10. अंतिम रूप से तैयार लेखाओं में अंकों को निकटतम रूपए के रूप में पूर्णांकित कर दिया गया है।

11. अनुसूची 1 से 24 संलग्न कर दी गई हैं और ये 31 मार्च,के तुलन-पत्र (बी.एस.) और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में शामिल हैं।

12. चूंकि, भविष्य निधि खाते और नई पेंशन योजना खाते, ऐसी निधि के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं, इसलिए,से इन खातों को संस्थान के खातों से अलग कर दिया गया था। वर्षके लिए एक प्राप्ति और भुगतान खाता, एक आय और व्यय खाता (प्रोद्भवन आधार पर) और भविष्य निधि खातों और नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बी.एस.), संस्थान के लेखाओं के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।कर्मचारी, जिनको पीआरए नम्बर आबंटित कर दिए गए हैं, से संबंधित नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा अंश (..... करोड़ रुपए)तक, नेशनल सेक्योरिटीज डिपोजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को अंतरित कर दिया गया है। संस्थान में लगभगसदस्यों के संबंध में, नई पेंशन योजना के अन्तर्गत धारित शेष राशि.....में, एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित होते ही अंतरित कर दी जाएगी।

IndiaCode

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

वित्तीय विवरण फॉर्म (केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं)

इकाई का नाम_____

_____अवधि/को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अथ शेष क) बकाया रोकड़ ख) बैंक बकाया i. चालू खाते में ii. जमा खाते में iii. बचत खाते में			I. व्यय क) स्थापना व्यय ख) शैक्षिक व्यय ग) प्रशासनिक व्यय घ) परिवहन व्यय ङ) मरम्मत और रख-रखाव च) पूर्व अवधि व्यय		
II. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोत से (विवरण) (पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु अनुदान/अलग से दिखाया जाए, यदि उपलब्ध हो)			II. उद्दिष्ट/ धर्मस्व निधि से भुगतान		
III. शैक्षिक प्राप्तियां			III. प्रायोजित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए भुगतान		
IV. उद्दिष्ट/ धर्मस्व निधि में प्राप्तियां			IV. प्रायोजित फैलोशिप/छात्रवृत्तियों के लिए भुगतान		
V. प्रायोजित परियोजनाओं/स्कीमों से प्राप्तियां			V. किए गए निवेश और जमा क) उद्दिष्ट/ धर्मस्व निधि में से ख) स्वयं की निधि से (निवेश-अन्य)		
VI. प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से प्राप्तियां			VI. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा		
VII. निम्न से निवेश पर आय क) उद्दिष्ट/ धर्मस्व निधि ख) अन्य निवेश			VII. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय और प्रगतिरत पूंजीगत कार्य क) अचल परिसंपत्तियां ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		
VIII. निम्न पर प्राप्त ब्याज क) बैंक जमा ख) ऋण और अग्रिम ग) बचत बैंक खाता			VIII. सांविधिक भुगतानों सहित अन्य भुगतान		
IX. नगदीकृत निवेश			IX. अनुदान वापसी		
X. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा नगदीकृत			X. जमा और अग्रिम		
XI. अन्य आय (पूर्व अवधि आय सहित)			XI. अन्य भुगतान		
XII. जमा और अग्रिम			XII. अंत शेष क) हाथ रोकड़ ख) बैंक बकाया चालू खाते में बचत खाते में		

IndiaCode

			जमा खाते में		
XIII. सांविधिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां					
XIV. कोई अन्य प्राप्ति					
कुल			**कुल**		

जीपीएफ और एनपीएस खाता
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र

राशि रुपए में

राशि	देनदारी	राशि	राशि	परिसंपति	राशि
	<u>जीपीएफ</u> अथ शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अभिदान जमा: वर्ष में अभिदान जमा: मार्च, 2015 के लिए अभिदान जमा: जमा ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंत शेष **<u>सीपीएफ</u>** अथ शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अभिदान जमा: वर्ष में अभिदान जमा: मार्च, 2015 के लिए अभिदान जमा: जमा ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंत शेष **<u>विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)</u>** अथ शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अंशदान जमा: वर्ष में अभिदान जमा: मार्च, 2015 के लिए अंशदान जमा: जमा ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंत शेष **<u>एनपीएस टियर-II</u>** अंत शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अंशदान जमा: वर्ष में अभिदान जमा: मार्च, 2015 के लिए अंशदान जमा: जमा ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंत शेष एनपीएस टियर-II खाता **<u>ब्याज आरक्षित</u>** अथ शेष			ब्याज 31.03.15 के अनुसार प्रोद्भूतब्याज मार्च 2015 के लिए देय अभिदान जीपीएफ सीपीएफ सीपीएफ में देय यूसी एपीएस - II आयकर विभाग से बकाया वापसी निवेश पर ब्याज से प्राप्त कर **बैंक में रोकड़** एसबीआई शाखा-I एसबीआई शाखा-II बैंक	

IndiaCode

	जमा: व्यय की तुलना में आय अंत शेष				
	कुल				

भविष्य निधि खाता

31/03/14 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

राशि रुपए में

राशि 31 मार्च, 14	व्यय	राशि 31 मार्च, 15	राशि 31 मार्च, 14	आय	राशि 31 मार्च, 15
	01/04/14 के अनुसार आरंभिक शेष एसबीआई, ब्रांच-I एसबीआई, ब्रांच-II बैंक जीपीएफ सब्स्क्रिप्शन सीपीएफ विश्वविद्यालय अंशदान ब्याज नगदीकृत प्राप्त ब्याज			जीपीएफ अग्रिम/निकासी विश्वविद्यालय अंशदान निकासी वर्ष के दौरान ब्याज **हाथ रोकड़** एसबीआई शाखा-I एसबीआई शाखा-II बैंक	
	कुल			**कुल**	

भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

राशि रुपए में

राशि 31/मार्च/14	**व्यय**	**राशि 31/मार्च/14**	**राशि 31/मार्च/14**	**परिसंपति**	**राशि 31/मार्च/15**
	निम्न में क्रेडिट ब्याज: जीपीएफ खाता सीपीएफ खाता विश्वविद्यालय अंशदान (सीपीएफ) एनपीएस टायर-II खाता व्यय की तुलना में बेशी आय			निवेश पर अर्जित ब्याज 03/15 को अर्जित ब्याज जमा: ब्याज पर वसूला गया कर अपेक्षित वापसी घटा: मार्च, 14 के लिए अर्जित ब्याज आय की तुलना में बेशी व्यय	
	कुल			**कुल**	

एनपीएस टियर-I खाता

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र

राशि रुपए में

राशि	**देनदारी**	**राशि**	**राशि**	**परिसंपत्ति**	**राशि**
	एनपीएस टियर-I खाता अथ शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए चन्दा जमा: अंशदान + अंशदान जमा: जमा ब्याज घटा: एनएसडीएल को अंतरित			**एनपीएस टायर-I खाता** 3/15 के लिए देय अभिदान और अंशदान निवेश ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं बैंक बकाया	

IndiaCode

	जमा: अभिदान + 3/2015 के लिए यूसी व्यय की तुलना में अधिक आय 01.04.2014 को बकाया जमा: वर्ष के दौरान				
	कुल			कुल	

एनपीएस टियर-I खाता
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आय और व्यय खाता

राशि रुपए में

राशि	ब्याज	राशि	राशि	अन्य	राशि
	सब्सक्राइबर खाते में जमा ब्याज बैंक प्रभार व्यय की तुलना में बेशी आय			निवेश पर अर्जित ब्याज घटा: अर्जित ब्याज 31/03/14 ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	
	कुल			कुल	

एनपीएस टियर-I खाता
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

राशि रुपए में

प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
01/04/14 के अनुसार अथ शेष **एनपीएस टियर-I खाता** अपना सब्स्क्रिप्शन विश्वविद्यालय अंशदान निवेश पर प्राप्त ब्याज बचत खाते पर ब्याज नगदीकृत निवेश		निवेश एनएसडीएल से निकासी/को वापसी 31/03/2015 के अनुसार अंत शेष	
कुल		कुल	

अनुदेश और लेखांकन सिद्धांत

<u>केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण के संकलन के लिए टिप्पणियां और अनुदेश</u>

<u>अनुदेश और लेखांकन सिद्धांत</u>

1) लाभ न कमाने वाले और अन्य समान संगठनों के वित्तीय विवरण (अर्थात् तुलन पत्र, आय और व्यय खाता) प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाएगा; और सुझाए गए स्वरूप में अथवा यथा संभव उसके समान होगा। शीर्ष आरक्षित ऋण और अनारक्षित ऋण शीर्षक तुलन पत्र में नहीं होता। तथापि यदि किसी संस्था द्वारा विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का बिस्ला मामला आता है तो अनुसूची द्वारा समर्थित तुलन पत्र में देयता साइड में एक नया शीर्ष "अनारक्षित ऋण" शामिल किया जा सकता है।

2) सामान्यतया केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं ऋण नहीं ले सकतीं विशेषकर अपनी परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर। इसलिए आरक्षित ऋण और अनारक्षित ऋण शीर्षक तुलन पत्र में नहीं होता। तथापि यदि किसी संस्था द्वारा विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का बिरला मामला आता है तो अनुसूची द्वारा समर्थित तुलनपत्र में देयता साइड में एक नया शीर्ष 'अनारक्षित ऋण' शामिल किया जा सकता है।

3) स्वायत्त् संगठनों और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि कोई लेखांकन नीति लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है और लेखांकन मानकों से विचलित होने का प्रभाव काफी है, तो विचलन के कारण और उन पर वित्तीय प्रभाव सहित ब्यौरे प्रकट किए जाएंगे सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जहां ऐसे प्रभाव का निश्चय न किया जा सकता हो।

IndiaCode

4) तुलन पत्र तथा आय और व्यय खाते तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखन नीतियां वित्तीय विवरणों में शामिल की जाएंगी। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को किसी एक स्थान पर प्रकट किया जाना चाहिए। लेखांकन नीतियों का विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों और उन सिद्धांतों को तैयार करने में संस्था द्वारा अपनाए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की पद्धति को संदर्भित करती हैं।

लेखा सिद्धांत निरंतर एक वित्तीय वर्ष से दूसरे में अपनाए जाते रहेंगे। लेखा नीतियों में कोई ऐसा परिवर्तन जिसका वर्तमान अवधि में कोई प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसका बाद की अवधि में कोई प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उसे लेखा नीतियों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा। लेखा नीतियों में परिवर्तन के मामले में जिनका वर्तमान अवधि में अधिक प्रभाव पड़ता हो, ऐसे परिवर्तन द्वारा उस धन राशि का जिसके द्वारा वित्तीय विवरणियों में यथा संभव सुनिश्चय किए जाने की सीमा तक किसी मद के प्रभावित होने को भी उजागर किया जाएगा। जहां ऐसी राशि का पूर्णतया या आंशिक रूप से सुनिश्चय न हो सके तो उस तथ्य को प्रकट किया जाएगा।

5) लेखा पद्धति तथा तुलन पत्र व आय एवं व्यय खाते में लेन-देन तथा इवेंट पर प्रस्तुतीकरण भाव पर शासित होगी न कि केवल विधायी रूप में।

6) किसी मद में लेखांकन व्यवहार और प्रकटन की पद्धति निर्धारित करते हुए तुलन पत्र और/या आय एवं व्यय खाते में विधिवत भाव पर विचार किया जाएगा।

यदि इस फार्म में अपेक्षित किसी मद अथवा उप-मदों की दी जाने वाली सूचना को सुविधापूर्वक ढंग से तुलन पत्र अथवा आय एवं व्यय खाते में ही, जैसा भी मामला हो, शामिल नहीं किया जा सकता है तो इसे संलग्न किए जाने वाली पृथक अनुसूची अथवा अनुसूची में प्रस्तुत किया जा सकता है जो तुलन पत्र तथा आय एवं खाते का भाग होगी। इसकी वहां सिफारिश की जाती है जहां कई मदें हों।

7) उपर उल्लिखित अनुसूची तथा लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची (महत्वपूर्ण लेखा नीति; आकस्मिक देनदारी तथा लेखा टिप्पणी) वित्तीय विवरण का समेकित भाग होना चाहिए।

8) तुलन पत्र और आय तथा व्यय खाते में दर्शायी गयी सभी मदों के लिए तत्काल पिछले वर्ष के लिए संगत राशि को तुलन पत्र अथवा आय एवं व्यय खाते, जैसा भी मामला हो, में दिया जाना चाहिए।

9) राजस्व को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि:

क) तत्संबंधी कार्य निष्पादन प्राप्त न किया गया हो;

ख) विचारार्थ राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो; और

ग) अर्जन और अंतत: एकत्रीकरण की प्रत्याशा करना अविवेचित न माना जाए।

10) सभी ज्ञात देयताओं और घाटे के लिए तब भी प्रावधान किया जाएगा जबकि राशि का सटीकता के साथ निर्धारण न भी किया जा सके (प्रावधान की राशि केवल उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वोच्च अनुमान ही प्रस्तुत करती है।)

प्रावधान का अर्थ है बट्टेखाते डाली गई राशि अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य में अवमूल्यन, नवीकरण अथवा मूल्यह्रास अथवा किसी ज्ञात देनदारी के लिए प्रावधान द्वारा रखी गई राशि है जिसका सटीकता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक घाटे के लिए प्रावधान किया जाएगा, यदि:

क) यह संभावय हो कि भविष्य के इवेंट यह पुष्टि करेंगे कि किसी संभावय वसूली को ध्यान में रखते हुए कोई संपत्ति नष्ट हो गयी हो अथवा तुलन पत्र की तारीख को कोई देयता हुई हो, और

ख) परिणामी घाटे की राशि का समुचित आकलन किया जा सके।

यदि उपरोक्त कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो आकस्मिक घाटे की मौजूदगी तब तक आय व व्यय खाते की टिप्पणी में प्रकट की जा सकती है जब तक घाटे की संभावना नगण्य हो।

11) जहां कोई राशि, बट्टे खाते में डाले जाने अथवा परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, नवीकरण अथवा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किए जाने के माध्यम से रखे जाने अथवा किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान किए जाने के माध्यम से, उस राशि से अधिक है जिसे इस प्रयोजनार्थ समुचित रूप से आवश्यक समझा गया है तो, अधिक राशि को रिजर्व के रूप में माना जाएगा, न कि प्रावधान के रूप में।

12) निम्नलिखित के संबंध में आय और व्यय लेखे में पृथक घोषणा की जाएगी:

(क) "पूर्व अवधि" मदें जिनमें आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें निहित हैं जो लेखे को बंद करने के प्रयोजनार्थ भूल-चूक अथवा अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) अपनाए जाने के कारण बकाया व्यय के लिए देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण दर्शित होती हैं। पूर्व-अवधि आय और पूर्व-अवधि व्यय अवधारणा केवल आय (रेवेन्यू) मदों पर लागू होती है और यह परिसंपत्ति/देयता लेखाओं पर लागू नहीं होती है। परवर्ती मद का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें पूर्ववर्ती संव्यवहार घटित होते हैं।

(ख) "असाधारण" मदें जो आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें हैं जो उन घटनाओं अथवा संव्यवहारों के कारण उदभूत होती हैं जो कंपनी की सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से अलग है और इसीलिए उनकी बार-बार अथवा नियमित रूप से आवृत्ति की अपेक्षा नहीं की जाती है।

IndiaCode

(ग) कोई भी मद जो शीर्ष "विविध आय" के तहत कंपनी के कुल कारोबार (टर्नओवर)/सकल आय के 1(एक) प्रतिशत से अधिक है अथवा 50,000 रु. है, इनमें से जो अधिक है। इसे आय और व्यय लेखा में समुचित लेखा-शीर्ष में दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) कोई भी मद जो शीर्ष "विविध आय" के तहत कंपनी के कुल कारोबार (टर्नओवर)/सकल आय के 1(एक) प्रतिशत से अधिक है अथवा 50,000 रु., इनमें से जो अधिक है। इसे आय और व्यय खाते में समुचित लेखा-शीर्ष के सामने एक पृथक और विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाएगा।

13) शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्तियां और भुगतान लेखा भी तैयार किया जाएगा।

14) प्रपत्र में सुझाई गई अपेक्षाएं न्यूनतम अर्हताएं हैं। एक शैक्षिक संस्थान को अतिरिक्त प्रकटन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

15) तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा में आंकड़े, यदि पूर्णांकित कर दिए गए हो तो उन्हें निम्नानुसार पूर्णांकित किया जाएगा:-

कारोबार (टर्नओवर) की राशि	(रु.) पूर्णांकित किए गए
एक लाख से कम	सौ
एक लाख अथवा अधिक, लेकिन एक करोड़ से कम	हजार
एक करोड़ अथवा अधिक लेकिन एक सौ करोड़ से कम	लाख
एक सौ अथवा अधिक लेकिन एक हजार करोड़ रु. से कम	करोड़

16) सुझाए गए प्रपत्रों के संबंध में संकलन के लिए संलग्न टिप्पणियों और अनुदेशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

17) अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान, सामान्य भविष्य निधि और नई पेंशन योजना निधि की व्यवस्था करते हैं ये सदस्यों के स्वामित्व के अधीन होते हैं और संस्थाओं के लेखाओं के एक भाग के रूप में इनकी गणना नहीं की जा सकती है। चूंकि उनके लेखाओं के साथ इनका प्रबंधन किया जाता है इसलिए यह आवश्यक होता है कि इन निधि के लिए वार्षिक रूप से एक तुलन पत्र, एक आय और व्यय लेखा (संचयी आधार पर) और प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार किया जाए और उन्हें संस्था के लेखाओं के साथ पृथक रूप से संलग्न किया जाए ताकि यह दिखाया जा सके कि इनको सदस्यों के परम हित में प्रबंधित किया जाता है।

उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्हें पीआरए संख्याएं आबंटित की गई हैं, नई पेंशन योजना, निधि को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल) – केंद्रीय रिकॉर्ड रख-रखाव एजेंसी (सीआरए) को अंतरित किया जा चुका होगा। इन मामलों में, वसूल किए गए अभिदान के साथ कर्मचारी अंशदान प्रत्येक महीने एनसीडीएल को अंतरित किया जाता है। "कर्मचारी अंशदान को अनुसूची 15-स्थापना व्यय-भर्ती और अंतिम (टर्मिनल) लाभों" में शामिल किया जाता है।

यदि ऐसे कोई कर्मचारी हैं जिनके अंशदानों और समतुल्य अभिदानों का प्रबंधन पीआरए संख्याओं का आबंटन लंबित होने के कारण संस्था द्वारा किया जाता है तो नई पेंशन योजना के वार्षिक लेखाओं (जमा ब्याज सहित) को संस्थाओं के लेखाओं में पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा और इसमें ऐसे कर्मचारी शामिल होंगे।

वह प्रपत्र जिसमें जीपीएफ, सीपीएफ और एनपीएस वार्षिक लेखाओं को तैयार किया जाना है, संलग्न है।

अनुसूचियां के लिए टिप्पणियां और अनुदेश

तुलन पत्र

अनुसूची 1 – कायिक/पूंजीगत निधि

क) कायिक/पूंजीगत निधि, पूंजी शेयर-पूंजी अथवा मालिकों की निधि के समान है।

ख) जहां एक संस्थान में उद्दिष्ट की गई निधि के अनुसार एक पृथक कायिक निधि है, तुलन-पत्र और अनुसूची में शीर्षक को "पूंजीगत निधि" के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए ताकि भ्रम से बचा जा सके। उद्दिष्ट निधि के तहत नाम "कायिक निधि" को समुचित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है ताकि निधि के स्वरूप को दर्शाया जा सके।

(ग) जहां कोई कायिक (कोर्पस) निधि नहीं होती है वहां तुलनपत्र और परिशिष्ट में शीर्ष कोर्पस/पूंजीगत निधि जारी रहेगा।

(घ) पूंजीगत निधि में किए गए अन्य योग निम्नलिखित है:

i. पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग में लाई गई सीमा तक सरकारी/यूजीसी से अनुदान।
ii. उद्दिष्ट निधि में से क्रय की गई परिसंपत्तियां।
iii. प्रायोजित परियोजना निधि, जहां स्वामित्व संस्था में निहित होता है, में से क्रय की गई परिसंपत्तियां।
iv. दान की गई/उपहार दी गई परिसंपत्तियां।
v. अन्य, यदि कोई हो।

जब अनुदान प्राप्त होते हैं तो बैंक खाता (डेबिट) और अनुदान खाता (क्रेडिट) प्रभावित होते हैं। जब पूंजीगत व्यय अनुदान निधि से किया जाता है, केवल बैंक खाता (क्रेडिट) और परिसंपत्ति खाता (डेबिट) प्रभावित होते हैं लेकिन अनुदान खाता अपने आप में प्रभावित नहीं होता है। यदि फिर भी तद्नुरूप अनुदान खाते में शेष को कम करना आवश्यक होता है तो एक रोज़नामचा (जर्नल)

के माध्यम से अनुदान खाते को डेबिट करके और पूंजीगत निधि को क्रेडिट कर दिया जाता है। उपर्युक्त मदों घ (ii) और (घ) (iii) के संबंध में जब पूंजीगत व्यय किया जाता है, संबंधित उद्दिष्ट निधि/प्रायोजित परियोजना को डेबिट किया जाता है। यद्यपि परिसंपत्तियां भौतिक रूप से संस्था में मौजूद होती है, परिसंपत्ति खाता प्रभावित नहीं होता है। चूंकि वे संस्था के स्वामित्व अधीन होते हैं, उन्हें संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाते हुए तुलन-पत्र में दर्शाया जाना होता है। जहां तक संस्था का संबंध है, वे स्वतंत्र है और इसलिए परिसंपत्तियों को डेबिट और पूंजीगत निधि को क्रेडिट करते हुए उनकी स्थापना की जाती है। ऐसे संगठनों में (उन कंपनियों से भिन्न जहां पर उन्हें पूंजीगत रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है), पूंजीगत रिजर्व का कोई विशेष महत्व अथवा उपयोग नहीं है इसलिए पूंजीगत निधि में क्रेडिट दिए जाते हैं। मद घ (iv) एक उपहार प्रदत्त परिसंपत्ति है और इसलिए उपर्युक्त वर्णित कारणों से इसे परिसंपत्ति खाते को डेबिट करते हुए और पूंजीगत निधि को क्रेडिट करते हुए स्थापित किया जाना होता है।

(ङ) इस मौलिक सिद्धांत के आधार पर कि सभी लाभ अथवा हानियां, मालिकों की होती है, व्यय से अधिक आय को पूंजीगत निधि में जोड़ा जाना चाहिए और आय से अधिक व्यय को पूंजीगत निधि में से घटाया जाना चाहिए।

(च) अथ:शेष पूंजीगत निधि में योग और कटौतियां और अंत:शेष को अनुसूची में दर्शाया जाएगा।

<u>तुलन पत्र</u>

<u>अनुसूची 2 – विनिर्दिष्ट/उद्दिष्ट/धर्मार्थ निधि</u>

विशेष प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट/उद्दिष्ट निधि शैक्षिक संस्था द्वारा अलग स रखी जाती है अथवा बाह्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां पर संस्था द्वारा उन्हें अलग रखा जाता है, सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् कार्यकारी समिति/शासी निकाय/संबंधित शासी ढांचा) आय की उन मदों और निधि से पूरा किए जाने वाले अनुमत्य व्यय को उद्दिष्ट निधि के अंतर्गत रखा जा सकता है, निर्धारित करता है जिनको एक विधि से पूरा करना होता है। सामान्यत: विशिष्ट लक्ष्यों सहित इनकी अवधि दीर्घ होती है और परिसंपत्त्यिों पक्ष में निवेशों के साथ जुड़ी होती है। निवेशों से आय वापस फिर निधि में आती है। आय और पूंजीगत दोनों प्रयोजनों के संबंध में व्यय को निधि में से डेबिट किया जाता है और शेष को प्रतिवर्ष आगे ले जाया जाता है।

प्रत्येक निधि के शेष को परिसंपत्तियों के पक्ष में बैंक शेष, निवेश और उद्भूत लेकिन देय नहीं, अर्जित आय के रूप में दर्शाया जाता है लेकिन इनमें बकाया शेष नहीं दर्शाए जाते हैं। इसे मुख्य सारणी के नीचे एक तालिका में दर्शाया जाना चाहिए।

प्रत्येक उद्दिष्ट निधि के लिए एक पृथक बैक खाता बनाया जाना वांछनीय है।

धर्मार्थ निधि भी उद्दिष्ट निधि होती हैं लेकिन निधि के प्रयोजन और उपयोग के बारे में सीमित होती हैं। दानकर्ता सामान्यत:, मेडल, पुरस्कार, अध्येतावृत्तिंया और छात्रवृत्तियों के लिए दान प्रदान करते हैं और उसमें उस विषय और मेडल/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए मानदंडों का विवरण दिया जाता है जिसके लिए दान दिया जाता है। अन्य प्रतिबंध यह है कि संपूर्ण धर्मार्थ राशि का उपयोग मेडल/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए नहीं किया जा सकता और केवल संगत निधि के निवेश से आय का इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक धर्मार्थ निधि के संबंध में पृथक निजी निवेश किए जाएं। तथापि प्रत्येक धर्मार्थ निधि के लिए एक पृथक बैंक खाता रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती चूंकि निवेश के पश्चात् प्रत्येक निधि में बचा हुआ शेष बहुत कम होता है। सभी धर्मार्थ निधि के लिए एक बचत बैंक खाते में प्राप्त ब्याज को वर्ष के अंत में, प्रत्येक निधि के अन्तशेष के आधार पर सभी निधि में बांट दिया जाता है।

शैक्षिक संस्थाओं में दानकर्ता की इच्छानुसार विषयों में पीठों की स्थापना करने के लिए भी धर्मार्थ राशियां प्राप्त होती है। धर्मार्थ राशि में पद पीठों पर नियुक्त किए जाने वाले प्रोफेसर का वेतन और आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं और इसलिए धर्मार्थ राशि को कायिक राशि व्यय के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है (मेडल इत्यादि के मामलों से भिन्न, जहां पर केवल निवेशों से ब्याज का ही उपयोग किया जा सकता है)

चूंकि धर्मार्थ राशियों की संख्या प्राय: बहुत अधिक होती है, अनुसूची 2 में अंतिम कॉलम का उपयोग सभी धर्मार्थ राशियों के सामने कुल आंकड़ों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है, जो पूर्ण ब्यौरों सहित, सभी अलग-अलग धर्मार्थ राशियों को सूचीबद्ध करते हुए उप-अनुसूची 2 क द्वारा समर्थित है।

उद्दिष्ट निधि के भाग के रूप में निम्नलिखित की गणना नहीं की जाएगी।

क) ऐसा अनुदान/निधि, जो प्रवर्त्तकों के अंशदान के स्वरूप सहित हो और उनकी प्रकृति, उद्दिष्ट/पूंजीगत निधि में वृद्धि/अभिवृद्धि की हो।

ख) कंपनी द्वारा आय खाते के संबंध में घाटे को पूरा करने के लिए प्राप्त की गई निधि/अनुदान।

ग) परियोजनाओं/योजनाओं के प्रायोजकों से प्राप्त निधि।

घ) अध्येतावृत्ति और छात्रवूरत्ति के प्रयोजकों से प्राप्त निधि।

उपर्युक्त मद (ग) और (घ) को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वे उद्दिष्ट निधि के केवल एक लक्षण को ही पूरा करती हैं। उनका एक विशिष्ट प्रयोजन होता है। ये अल्प-अवधि की होती है, 1-3 वर्ष की और तदनुरूप निवेशों को इनके साथ संलग्न नहीं

किया जाता है। संपूर्ण अवधि के दौरान प्रायोजित परियोजनाओं और प्रायोजित छात्रवृत्तियों के लिए होने वाले व्यय को भी लगातार इस पर किया जाता है।

जहां गृह-निर्माण अग्रिमों, वाहन और कंप्यूटर अग्रिम के लिए आवर्ती निधि सृजित की गई है वहां उनके लिए निर्धारित संगत निधि में कोई पूंजीगत व्यय डेबिट नहीं होगा।

एक विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् स्टाफ कल्याण निधि, पेंशन निधि सहित किसी अन्य निधि को भी इस अनुसूची में शामिल किया जा सकता है।

अनुसूची 3 – चालू देयताएं तथा प्रावधान

क) चालू देयताएं

1. स्वीकृत्तियां — इस उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल है, आदेशक के आदेश पर विनिमय-पत्र के संबंध में आदेशक की सहमति।
2. विविध लेनदार — इस उप-शीर्ष के सामने दर्शाई जाने वाली राशि में कंपनी द्वारा रखे अन्य के पक्ष में राशि शामिल होगी:
 क) वस्तुओं के लिए — संविदाजात बाध्यताओं के संबंध में क्रय की गई वस्तुएं या प्रदान की गई सेवाएं। इनको वस्तुओं के लिए अलग किया जाना अपेक्षित है और पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
 ख) अन्य
3. प्राप्त अग्रिम — इस उप-शीर्ष के सामने देयता में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं/प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्राप्त राशियां अथवा वे वस्तुएं/सेवाएं शामिल होती हैं जिनके लिए अभी मूल्य दिया जाना है और इसमें अग्रिम अंशदान शामिल होते हैं।
4. सांविधिक बाध्यताएं
 क) अतिदेय: — इनमें कंपनी को अभिशासित करने वाले केंद्र/राज्य विधानों के संदर्भ में देयताएं शामिल होती हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्रोत पर काटे गए कर, सांविधिक बोनस, भविष्य निधि, ईएसआई उनके अतिदेय पर एसएसआई यूनिट को ब्याज, विक्रय कर, उत्पाद, सीमा शुल्क ड्यूटी और अन्य सांविधिक लेवी की अदत्त देयताएं शामिल होती हैं। अविवादित राशियों की अतिदेय देयताएं वे होती हैं जो सामान्य देय तारीख/निर्धारित अवधि के दौरान देय हैं और भुगतान किए बिना पड़ी हैं, अर्थात् वे हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है।
 ख) अन्य: — वे, जिनकी देय तारीख अभी नहीं आई है।
5. अन्य चालू देयताएं: — इनमें अन्य उप-शीर्ष द्वारा कवर नहीं होने वाली राशियां शामिल होगी। इस उप-शीर्ष के तहत शामिल की गई किसी भी वास्तविक राशि को, इसकी प्रकृति को दर्शाते हुए, पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

 बही में ओवरड्राफ्ट: दर्ज करना — कंपनी की बहियों के अनुसार खाते में जमा राशि से अधिक बैक, शेष, जहां कंपनी के पास कोई स्वीकृत सीमा/ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है उसे इस उप-शीर्ष के तहत शामिल किया जाएगा अथवा उसकी "बही शेष से अधिक निकाले गए अतिरिक्त बैंक शेष" के रूप में पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा। इसे चालू परिसंपत्त्यिों के तहत दर्शाए गए अन्य बैंक लेखाओं के सामने नहीं डाला जा सकता है।

टिप्पणियां – सामान्य

1. चालू देयता वह होती है जो सापेक्षिक रूप से कम अवधि सामान्यत: 12 महीने से कम नहीं, के भीतर भुगतान के लिए देय होती है।
2. जहां किसी मद में चालू देयताओं और प्रावधानों का दस प्रतिशत अथवा अधिक निहित होता है, वहां ऐसी मद के स्वरूप और राशि को पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए और 'अन्य' शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
3. विद्यार्थियों से प्राप्त - 12 महीनों के दौरान तुलनपत्र से विद्यार्थियों को वापस की जाने वाली अवधान राशि को
4. अवधान राशि — निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाना चाहिए:

 चालू विद्यार्थियों से
 पूर्व विद्यार्थियों से

5. इस अनुसूची में प्रायोजित परियोजनाओं, प्रायोजित अध्येतावृत्तियों और अन्य निधि के लिए प्राप्तियां उपर्युक्त अनुसूची की अनुसूची के साथ उप-अनुसूचियों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

बी-प्रावधान

1. कर निर्धारण के लिए — वर्ष के अंत में कर मामलों की स्थिति के आधार पर प्रावधान बनाए जाने ओर रखे जाने की आवश्यकता है।

2. उपदान (ग्रेच्युटी) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें वास्तविक जीवनांकिक (एक्चूरियल) आधार पर प्राप्त होने वाली देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के प्रावधान किए जाने और वर्ष अंत तक इसे उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च, की स्थित के अनुसार, प्रत्येक वर्ष जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है।

3. अधिवर्षिता/पेंशन कर्मचारियों की अधिवर्षिता के प्रति देय देयता के प्रावधान को जीवनांकिक आधार पर उपार्जित करना और वर्ष के अंत तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च, की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें नामावली में शामिल पेशनरों ओर परिवार पेंशनरों को भी शामिल किया जाएगा।

4. संचित अवकाश कर्मचारियों के अवकाश के नकदीकरण के प्रति देयता को जीवनांकिक आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है और वर्ष अंत तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष, जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाना होता है।

5. व्यापार वारंटी/दावे जहां कंपनी, विक्रय के लिए वस्तुओं का विनिर्माण/संसाधन कर रही है, तो उसे व्यापार वारंटी खतरों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, जिसके लिए एक तर्कपूर्ण/विवेकपूर्ण आधार पर प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

6. अन्य इसको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है और इसमें संदेहात्मक ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल नहीं होंगे जिन्हें संगत परिसंपत्ति शीर्षों में से कम किया जाएगा।

<u>टिप्पणियां-सामान्य</u>

1. प्रावधान, एक ऐसी राशि है जो परिसंपत्तियों के मूल्य में मूल्यह्रास या कमी के लिए रखे रखने के माध्यम से बट्टे खाते डाली जाती है, जिसकी राशि को पर्याप्त विशुद्धता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता।
2. यदि प्रावधानों की गणना को सही ढंग से किया गया है तो तुलन पत्र की इस अनुसूची में पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधानों का अंतशेष, जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस तारीख को देयता से मेल खाएंगा।
3. पेंशन/पेंशन का परिणत, मूल्य परिवार पेंशन और अवकाश नकदीकरण के वास्तविक भुगतानों को संबंधित प्रावधानों में डेबिट किया जाता है।
4. चूंकि प्रावधानों में संपूर्ण वर्ष शामिल होता है और वर्ष की 31 मार्च, को देयता प्रकट होती है, वार्षिक लेखा में बकाया सेवानिवृत्ति लाभों यदि कोई हो के लिए देय देयता का प्रावधान करने का प्रश्न नहीं उठता। एक देयता को जो प्रावधान के रूप में पहले से ही मौजूद है, उसे दोबारा से देयता के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता।

<u>निधि का उपयोग</u>

<u>अनुसूची 4 - स्थिर परिसंपत्तियां:</u>

1. **भूमि**

(क) फ्री होल्ड जहां समग्र लागत का भुगतान करते हुए अचल संपत्तियों (जैसे भूमि और भवन) की खरीद/अधिग्रहित की जाती है वहां भूमि की लागत का उचित/विश्वसनीय अनुमान लगाया और अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) पट्टे पर ली गई पट्टे का स्थायित्व नहीं होने तक पट्टे पर ली गई जमीन का ऋण पट्टे की अवधि के दौरान चुकाया जाए।

2. **भवन** भवन/परिसर वे होंगे जिन्हें फर्म के कार्यकलापों के प्रयोजन के लिए पूर्णत:/आंशिक रूप से प्रयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इन्हें 'निवेशन संपत्तियां' में शामिल नहीं किया जाएगा।

(क) फ्री होल्ड भूमि पर जहां तक व्यवहार्य हो विभिन्न दरों पर मूल्यह्रास के प्रावधान के प्रयोजन से फैक्टरी और कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, छात्रावास भवनों के बीच अंतर होना चाहिए।

(ख) पट्टे की भूमि पर तब तक पट्टे पर ली गई भूमि के सुपरस्ट्रक्चर का मूल्यह्रास भूमि का ऋण चुकाने के साथ ही समाप्त होना चाहिए जब तक कि सुपरस्ट्रक्चर की मियाद अत्यल्प न हो।

(ग) फ्लैट्स/परिसरों का स्वामित्व फ्री होल्ड/पट्टे की भूमि का खुलासा किया जाए।

(घ) भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर भवनों में फर्म से संबंध रखने वाले सड़कें, पुल और पुलियाएं शामिल होंगी। इन्हें वैकल्पिक तौर पर अलग शीर्ष में शामिल किया जा सकता है।

3. **संयत्र और मशीनरी** इस उप-शीर्ष में शामिल निम्नलिखित मशीनरी शामिल होगी:

- अर्थ मूविंग मशीनरी
- बॉयलर

- भट्टी
- जेनरेटर
- डाइज/मोल्ड
- विशेष उद्योग/सेवाओं के लिए भवन संविदाएं, अस्पताल, प्रसंस्करण इकाइयां, हाइड्रोलिक्स कार्य (पाइप लाइनों सहित), टूल रूम के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी
- निर्माण/प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य सामान।
- खातों में विनिर्माण/प्रसंस्करण आदि के लिए प्रयुक्त अन्य वस्तुएं अलग लेखा-शीर्ष रखरखाव किया जाना चाहिए और उनका अचल संपत्ति रजिस्टर समन्वय किया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त उप-शीर्षों में जानकारी देने को प्रोत्साहित किया जाता है।

4. **वाहन** इस उप-शीर्ष के तहत वाहनों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- ट्रैक्टर/ट्रेलर्स
- ट्रक, जीप और वैन
- मोटर कार
- मोटर साईकिल, स्कूटर
- तिपहिया और मोपेड
- रिक्शे

खातों में अलग लेखा-शीर्षों का रख रखाव किया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से समन्वय रखा जाना चाहिए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सूचना दिए जाने को प्रोत्सहित किया जाता है।

5. **फर्नीचर, उपस्कर** **उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:**

(क) केबिनेट्स/अलमारी/फाइल रैक्स
(ख) वातानुकूलक/वातानुकूलक संयत्र
(ग) एयर कूलर
(घ) वाटर कूलर
(ड.) मेज/कुर्सियां/सोफा/कालीन
(च) वुडन पार्टिशन/अस्थायी ढांचे
(छ) वोल्टेज स्टेबलाइजर, यूपीएस सिस्टम
(ज) अन्य सामान

खातों में अलग लेखा-शीर्ष बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से समन्वय किया जाना चाहिए। सामग्री राशि के उपर्युक्त उप-शीर्षों में जानकारी दिया जाना प्रोत्सहित किया जाता है।

6. **कार्यालय उपकरण** उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होंगी:

(क) टाइपराइटर
(ख) फोटोकॉपी/डुप्लीकेटर
(ग) फैक्स मशीन

खातों में अलग लेखा-शीर्षों बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से समन्वय किया जाना चाहिए। सामग्री राशि के उपर्युक्त उप-शीर्षों में जानकारी दिया जाना प्रोत्सहित किया जाता है।

7. **कम्प्यूटर/सहायक सामग्री** इस शीर्ष के तहत कम्प्यूटर, प्रिंटर और उनकी सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री जैसी वस्तुएं होंगी। सॉफ्टवेयर को अमूर्त सम्पत्ति माना जाएगा।

8. **इलेक्ट्रिक संस्थापनाएं** उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होंगी:

(क) इलेक्ट्रिकल मशीनरी
(ख) इलेक्ट्रिक लाइट्स/पंखे
(ग) स्विच गियर उपकरण
(घ) ट्रांसफॉर्मर

IndiaCode

(ड.) बिजली की वायरिंग और फिटिंग्स

खातों में अलग लेखा-शीर्षों का रख रखाव किया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से समन्वय रखा जाना चाहिए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सूचना दिए जाने को प्रोत्सहित किया जाता है।

9. **<u>पुस्तकालय पुस्तकें और विज्ञान पत्र-पत्रिकाएं</u>**

कुछ मामलों में पुस्तकालय पुस्तकों बहुत अधिक संख्या हो सकती है या एक पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों को सम्पत्ति की अलग श्रेणी में दर्शाया जाए। पुस्तकालय की पुस्तकों में पुस्तकें/जर्नल्स/सीडी रोम में इकट्ठी की गई जानकारी शामिल होगी। ई-जर्नल्स को अमूर्त सम्पत्ति माना जाएगा।

10. **<u>प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण</u>**

(1) एनएमआर
(2) एक्सआरडी
(3) आईसीपीएमएस
(4) कण आकार विश्लेषक
(5) फ्लोर स्टेंडिंग प्रिपरेटिव अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज
(6) टेबल टॉप जीसीएमएस
(7) थर्मल आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर
(8) सीडी स्पेक्ट्रोमीटर
(9) ट्यूनेबल एम्लीफाइड फ्यूर्टोसेंकड लेजर सिस्टम
(10) 24 केपिल्लरी जेनेटिक एनालाइजर
(11) स्टेबल आइसोटॉप रेशियो मॉस स्पेक्ट्रोमीटर
(12) 100 वॉट आईबी फाइबर लेज सिस्टम
(13) इन्वर्टेड रिसर्च माइक्रोस्कोप
(14) लेक्सीज स्मार्ट-ऑटोमेटेड टीएल-ओएसएल रीडर
(15) 4के पल्स ट्यूब क्लोज साइकल क्रियोस्टेट

ये कुछ द्योतक हैं। संस्था अपनी लेखांकन नीति के अनुसार उपकरणों के नाम जोड़ या हटा सकती है।

(11) **ट्यूबवेल्स एवं जल आपूर्ति प्रणाली**

ट्यूबवेल्स और जल आपूर्ति प्रणाली अलग श्रेणी के रूप में दर्शायी जाए।

(12) **महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर**

निर्माण अवधि के दौरान अचल संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत तब तक दर्शया जाना चाहिए जब तक कि वे अपने अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। अभिग्रहित और संस्थापना के लिए लंबित संयत्र, मशीनरी और उपकरण को भी यहां शामिल किया जाए। जो कार्य प्रगति पर है (अधिशेष + वर्ष के दौरान जुड़ने वाले कार्य) एवं चालू वर्ष में पूरे हो जाते हैं उन्हें अनुसूची के सकल ब्लॉक के तीसरे कॉलम का प्रयोग करते हुए संबंधित अचल संपत्तियों में अंतरित कर दिया जाए। चूंकि, जो कार्य प्रगति पर हैं इसलिए उन पर मूल्यह्रास वसूल नहीं किया जाता, सकल ब्लॉक के चौथे कॉलम में निर्माणाधीन कार्यों के कुल आंकड़ों को चालू वर्ष में कुल ब्लॉक के रूप में दर्शाया जाए। वर्ष के दौरान अनुदान (पूंजीगत निधि में क्रेडिट के प्रयोजनार्थ) से पूरे किए गए पूंजीगत व्यय की गणना करते समय वर्ष के दौरान जुड़े उन कार्यों, (सकल ब्लॉक का कॉलम 2) जो प्रगति पर हैं और वर्ष के दौरान उन्हें संपत्ति लेखों में अंतरित किया गया है, को अलग रखने संबंधी सावधानी बरती जाए।

<u>सामान्य टिप्पणियां</u>

1. अचल संपत्तियों वे संपत्तियां हैं जिन्हें सेवाएं देने या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने के लिए रखा गया है, न कि सामान्य कार्य व्यापार में बिक्री के लिए।

2. प्रत्येक उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित को दर्शाया जाना चाहिए:

(क) मूल्यांकन लागत जैसाकि वर्ष के प्रारंभ में है।
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ने वाले कार्य (अधिग्रहण और अनुदान दोनों द्वारा)..
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां (बिक्री, निपटान, बट्टे खाते डालना सहित)
(घ) कुल लागत/मूल्यांकन जैसाकि वर्ष के अंत में है।
(ड.) पिछले वर्ष के अंत तक मूल्यह्रास, चालू वर्ष में मूल्यह्रास और वर्ष के अंत तक सकल समेकित मूल्यह्रास ।
(च) संपत्तियों का सकल ब्लॉक जैसाकि वर्ष के अंत में है।

IndiaCode

3. अधिग्रहित (अनुदान या रियायती दरों पर, दोनों सहित) या निर्मित अचल संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित लेखा नीति का मूल्यह्रास/चुकाए गए ऋण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के साथ खुलासा किया जाना चाहिए।

4. अचल संपत्ति की लागत इसके क्रय मूल्य में उस संपत्ति को कार्यात्मक हालात में लाने के लिए उस पर खर्च के कारण की स्थिति को लागत से जोड़ते हुए निर्धारित की जानी चाहिए।

5. कांट्रेक्टर या आपूर्तिकर्ता को किए गए अग्रिम भुगतानों को विशिष्ट अचल संपत्तियों के तहत या महत्वपूर्ण कार्य प्रगति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

6. लेखा नीति में भेंट/दान की गई संपत्तियों की मूल्यांकन पद्धति का खुलासा किया जाना चाहिए।

7. <u>मूल्यह्रास</u>

मूल्यह्रास, संपत्ति की उपयोग में लाई गई मियाद पर क्षति की राशि की वसूली के लिए दिया जाएगा। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास सम्पत्ति के उपयोग से, समय के साथ या तकनीकी और मार्केट परिवर्तनों से अप्रचलित हो जाने के कारण उसमें हुई टूट-फूट, उसकी खपत या लागत में हुई अन्य कमी का मापन है। इसमें संपत्तियों के ऋण का भुगतान शामिल है जिससे संपत्ति की उपयोग अवधि और क्षय होती संपत्तियों के मूल्यह्रास का निर्धारित किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए

(क) मूल्यह्रास संपत्ति का तात्पर्य वह सम्पत्ति

(i) जिसे एक से अधिक लेखा अवधि के दौरान प्रयोग में लाए जाने की आशा है; और

(ii) उसकी सीमित उपयोगी जीवन अवधि है; और

(iii) जिसे फर्म द्वारा वस्तुओं के उत्पाद या आपूर्ति तथा सेवाओं में उपयोग के लिए किराए या अन्य कारणों के लिए या प्रशासनिक कार्य के लिए रखा गया है और न कि सम्पत्ति के कार्य/प्रचालन गतिविधियों की सामान्य अवधि में उसकी बिक्री के लिए।

(ख) मूल्यह्रास सम्पत्ति की मूल्यह्रास राशि का तात्पर्य उसकी मूल लागत या वित्तीय विवरण में मूल लागत की जगह दर्शायी गई अन्य लागत में से अवशेष लागत घटाने से है।

(ग) उपयोगी जीवन अवधि से तात्पर्य

(i) या तो वह अवधि जिसके दौरान फर्म द्वारा उस मूल्यह्रास संपत्ति का उपयोग कर लिए जाने की आशा है, या

(ii) फर्म द्वारा संपत्ति के उपयोग से उत्पादों की संख्या या उसी प्रकार की इकाइयों के प्राप्त किए जाने की आशा है।

(8) फ्री होल्ड भूमि पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया जाएगा।

(9) जिस वर्ष संपत्ति बेच दी जाती है/कबाड़ के रूप में रद्द कर दी जाती है और बट्टे खाते डाल दी जाती है तब संपत्ति की लागत कम हो जाती है/बट्टे खाते डाल दी जाती है। यह भी जरूरी है कि साथ-साथ संपत्ति के अनुरूप मूल लागत और उस वर्ष दिए गए मूल्यह्रास को अचल संपत्ति अनुसूची से हटा दिया जाए। यह सकल ब्लॉक के कॉलम 3 और मूल्यह्रास के ब्लॉक के कॉलम 3 (प्रोफार्मा प्रविष्टियां) में प्रविष्टियों के माध्यम से किया जाता है।

10. यदि संस्था द्वारा पहले से कोई भिन्न वर्गीकरण अपनाया गया है तो संपत्तियों का वर्गीकरण, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, को बदला जा सकता है उदाहरणत: वातानुकूलन, एयर कूलर, वॉटर कूलर, वोल्टेज स्टेबलाइजर को इलेकिट्रकल उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जबकि वातानुकूलन संयत्र (एयरकंडिशनिंग प्लांट) को प्लांट और मशीनरी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

<u>अनुसूची - 5 निर्धारित/चिह्नित/कायिक निधि से निवेश</u>

1. सरकारी प्रतिभूतियां	इनमें केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी खजाने के बिल शामिल हैं। इन प्रतिभूतियों को लागत/मूल्य पुस्तक में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, इस प्रकार के मूल्यों और बाजार मूल्यों के बीच अंतर को तुलन-पत्र की टिप्पणी में दिया जाना चाहिए।
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियों से अलग प्रतिभूतियों को अनुमादित प्रतिभूतियां माना जाए। (जैसे न्यासी प्रतिभूतियां) उन्हें यहां शामिल किया जाए।
3. डिबेंचर और बांड	कम्पनियों और निगमों की आरबीआई के डिबेंचर और बांड के रूप में निवेश को यहां दर्शाया जाए।
4. अन्य	म्यूचुअल फंड्स और अन्य दस्तावेजों में निवेश जो डिबेंचर/बांड की प्रकृति के नहीं हैं (उन्हें विनिर्दिष्ट (विनिर्दिष्ट किया जाए) किया जाए), बैंकों में सावधि जमा, यदि कोई हो तो, को भी यहां शामिल किया जाए।

5. <u>**सामान्य:**</u>

1. इस अनुसूची में चिह्नित/कायिक निधि पर किए गए निवेश को दर्शाया जाना जरूरी है। मुख्य सूची के नीचे निधि-वार उप-सूची भी जोड़ी जाए। इससे उस निधि विशेष के शेष और उस निधि पर अनुरूप निवेश की तुलना करने में सुविधा होगी।

IndiaCode

2. इस अनुसूची में उल्लिखित निवेशों की प्रकृति से अलग एक अपवाद के रूप में बैंकों में सावधि जमा को चिह्नत निधि और अनुरूप निवेशों के शेषों में तुलना को आसान बनाने के लिए 'अन्य' शीर्ष के तहत शामिल किया जाए।

3. (क) निवेशों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें दीर्घ अवधि निवेश और चालू निवेश के तहत दर्शाया जाए।

(ख) 'चालू निवेश' का अर्थ है वह निवेश जो स्वभाविक रूप से सहज प्राप्त हो सके और जिस दिन वह निवेश किया जाए उस तारीख से उसे एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखने का आशय न हो। ऐसे निवेशों को उनकी निचली लागत या सही मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए जिसे वैयक्तिक निवेश के आधार पर या निवेश की श्रेणी पर निर्धारित करना चाहिए।

(ग) 'दीर्घावधि निवेश' का अर्थ है चालू निवेश से भिन्न निवेश। दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन लागत पर होना चाहिए। दीर्घावधि निवेश के अंकित मूल्य का आंकन उनके मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त, कमी/ह्रास आने पर ही माना जाना चाहिए। ऐसी कमी का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक रूप में किया जाए।

(घ) प्रत्येक मामले में निवेशों का आगे उप-वर्गीकरण किया जाए जैसे उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से निवेश और ''अन्य निवेश'' और उन्हें तदनुसार प्रकट किया जाए।

(ड.) शैक्षिक संस्थाओं के दीर्घकालिक निर्दिष्ट निवेशों और उनके बाजार मूल्य की समेकित राशि भी दर्शायी जाए।

(च) 'निर्दिष्ट निवेश' का अर्थ इस प्रयोजन से है कि वह निवेश जिसके संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने की अनुमति दी गई हो और 'अनिर्दिष्ट निवेश' अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार निकालना चाहिए।

(छ) स्वामित्व के अधिकार, निवेश की विश्वसनीयता के बारे में महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा।

4. संपत्तियों के रूप में निवेश यदि हो, को स्थिर परिसंपत्तियों की भांति लागत को ह्रासित मूल्य से घटाकर दर्शाया जाएगा।

5. लेखांकन नीति को निवेशों, उनकी लागत, मूल्यह्रास और दीर्घावधि और चालू निवेशों, दोनों के लिए चालू मूल्य पर प्रकट किया जाएगा।

6. स्थायी निवेशों के अर्जन पर प्रदत्त कोई प्रीमियम समय-अनुपात आधार पर उनकी परिपक्वता तारीख तक, परिशोधित किया जाएगा। अर्जन पर छूट (डिस्काउंट) का परिशोधन नहीं किया जाएगा।

7. वसूल न किए गए परिपक्व निवेशों को अलग से दिखाया जाए।

8. बैंकों में जहां सावधि जमाओं का परिपक्व होने पर अनुमत्य ब्याज के साथ बैंक द्वारा पुनर्निवेश किया जाता है, वहां बैंक बुक की प्राप्ति साइड में दो प्रविष्टियां करनी चाहिए अर्थात्

क. भुनाई गई सावधि जमाएं

ख. सावधि जमाओं पर ब्याज

भुगतान पर पुनर्निवेशित धनराशि का उल्लेख जमाओं में निवेश के रूप में किया जाएगा।

अनुसूची 6 – निवेश - अन्य :

1.	सरकारी प्रतिभूतियां	इनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी राजकोष बिल शामिल हैं। ये प्रतिभूतियां लागत/बुक मूल्य पर दर्शायी जानी चाहिए। तथापि ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर को तुलन पत्र में टिप्पणी के रूप में दिया जाना चाहिए।
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	इनमें निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं-सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऐसी प्रतिभूतियां जो अनुमोदित प्रतिभूतिया मानी जाती हैं (जैसे न्यासी-प्रतिभूतियां)।
3.	डिबेंचर और बॉण्ड पत्र	इसमें आरबीआई, कंपनियों और निगमों के डिबेंचरों और बंधपत्रों में निवेश को दर्शाया जाना चाहिए।
4.	अन्य	इसमें अवशिष्ट निवेश, यदि हों, जैसे वाणिज्यिक प्रलेख, म्यूचुअल फंड (विनिर्दिष्ट किया जाए) और अन्य लिखतों में निवेश जो डिबेंचरों/ बंध पत्रों के रूप में न हो, शामिल हैं। संपत्तियों में निवेश, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सामान्य : इस शीर्ष में अधिशेष निधि का निवेश शामिल होगा, लेकिन बैंकों में सावधि जमा नहीं होगी। इन्हें चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा।

अनुसूची 7 - चालू परिसंपत्तियां :

1. माल सूचियां :

क) भंडार और अतिरिक्त:	मालसूचियों में, अनुरक्षण आपूर्तियों और अतिरिक्त सामान और उपभोज्य तथा अतिरिक्त पुर्जे और उपस्कर

	ख) माल सूचियां	इनमें सामान्य प्रक्रिया में रखी मदें या रसायन, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपभोज्य, भवन सामग्री, जल आपूर्ति सामग्री, विद्युत सामग्री, लेखन सामग्री, सफाई संबंधी सामग्री रूप में रखी सामग्री, बिक्री इत्यादि के लिए रखे प्रकाशनों की मदें शामिल हैं।
2.	विविध देनदार :	देनदारों में वे व्यक्ति जिनसे बेची गई वस्तुओं या दी गई सेवाओं या अनुबंध देनदारियों के संबंध में धनराशि बकाया है शामिल हैं। क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण ख) अन्य
3.	हाथ में रोकड़ बाकी :	(चैकों/ड्राफ्टों, डाक टिकटों और पेशगी सहित)
4.	बैंक शेष :	उद्दिष्ट/पृष्ठांकित निधि के लिए बैंक शेष के रूप में धनराशि अलग से दर्शायी जाए।
	क) अनुसूचित बैंक में	
	- चालू खातें में	अतिदेय/परिपक्व जमा अलग से दर्शायी जाए
	- जमा खाते में	(मार्जिन धनराशि शामिल है)
	- बचत खाते में	
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	
	- चालू खातों पर	
	- जमा खातों पर	
	- बचत खातों पर	
5.	<u>डाकघर-बचत खाते :</u>	

<u>नोट :</u>
1. लेखांकन नीतियों में माल सूचियों के मूल्य का आधार प्रकट करना चाहिए।
2. वसूली के लिए अच्छे समझे जाने वाले ऋण और संदेहास्पद समझे जाने वाले ऋणों को अलग से दर्शाया जाए। यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है तो इसे संदेहास्पद समझे जाने वाले ऋणों से कटौती के रूप में दर्शाया जाए।
3. जहां किसी जमा लेखा को गिरवी रखा जाता है या जमानत के रूप में प्रभारित किया जाता है या वह ऋण ग्रस्त हो तो उस तथ्य को प्रकट किया जाए।
4. मार्जिन राशियां, संस्था के नाम से बैंक के पास मियादी जमा के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। उन्हें बैंकों द्वारा उन संस्थाओं से लिया जाता है जिनकी ओर से वसूली सुनिश्चित करने के लिए बचाव के तौर पर बैंक गारंटी जारी की गई थी या क्रेडिट पत्र प्रमाणित किया गया था। बैंक गारंटियों और क्रेडिट पत्रों के संबंध में कानून यह है कि जिस बैंक ने बैंक गारंटी जारी की हो या क्रेडिट पत्र प्रमाणित किया हो, लाभभोगी को उस समय भुगतान करना होता है जब बैंक गारंटी का आह्वान किया जाए या आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट पत्र ऑपरेट किया जाए, यह ध्यान रखे बिना कि यह उस संस्था से मूल्य वसूल करने योग्य है या नहीं, जिसकी ओर से इसे जारी या प्रमाणित किया गया था। संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में बैंक को कितना विश्वास है इस पर निर्भर करते हुए मार्जिन राशि की प्रतिशतता: भिन्न हो सकती है।

अनुसूची 8 –ऋण, अग्रिम और जमाएं

1.	ऋण	जो ऋण और अग्रिम अच्छे और वसूलनीय माने जाते हैं उन्हें प्रकट करना चाहिए। संदेहास्पद धनराशि, यदि कोई हो, का प्रत्येक उप-शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख करना चाहिए और यदि कोई प्रावधान हो तो उसे वहां से कटौती के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
क)	स्टाफ	इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ब्याज की वास्तविक वसूलियां मूलधन का पुनर्भुगतान होने के पश्चात् शुरू हुई हैं, सब्याज स्टाफ ऋणों से प्रोदभूत ब्याज को हिसाब में लिया जाना चाहिए।
ख)	अन्य अस्तित्व जो ऐसे कार्यकलापों/ उद्देश्यों में संलग्न हों, जो अस्तित्व के समान हों।	ऐसे अस्तित्वों के अप्रतिसंहरणीय अनुदान/आर्थिक सहायता/चंदा इसमें शामिल नहीं होंगे।
ग)	अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)	

IndiaCode

2. <u>नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने के रूप में वसूलनीय अग्रिम और अन्य राशि</u>

क) पूंजीगत राशि पर — पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के अग्रिमों को इस उपशीर्ष के सामने दर्शाया जाना चाहिए।

ख) समय पूर्व भुगतान — इसमें समयपूर्व भुगतान शामिल हैं।

ग) अन्य — इसमें (डेटर्स) के अतिरिक्त प्राप्त राशियां शामिल हैं।

3. <u>प्रोद्भूत आय</u> : वर्ष के अंत तक 'प्रोद्भूत और देय आय' तथा 'प्रोद्भूत परंतु देय नहीं आय' इस शीर्ष के अधीन शामिल करनी चाहिए।

(क) उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि में निवेशों पर

(ख) निवेशों पर/अन्य — उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों से निवेशों पर और अन्य निवेशों पर आय को अलग से दर्शाया जाए।

(ग) ऋण और अग्रिम

(घ) अन्य — यदि उगाही और अन्ततः संग्रहण में कोई अनिश्चितता हो तो उस आय को प्राप्ति में (बिना प्राप्ति की देय आय शामिल है) नहीं माना जाना चाहिए और यदि माना जाता है तो इसका प्रावधान होना चाहिए।

लाभांशों को उनकी घोषणा की तारीख (तारीखों) के आधार पर माना जाना चाहिए।

प्रोद्भूत देय आय जिसकी वसूली न की गई हो, के संबंध में उसे अलग से प्रकट करना चाहिए।

4. प्राप्य दावे — केवल वे दावे जो अच्छे और वसूली के योग्य हों, शामिल करने चाहिए।

5. जमाएं (बैंक के अतिरिक्त) — टेलीफोन, बिजली, पेयजल आपूर्ति और किराये के लिए

6. अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)

नोट : कर्मचारियों को देय भवन निर्माण, वाहनों और कम्प्यूटरों की खरीद के अग्रिमों को तब तक इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जब तक अनुसूची 2 में परिक्रामी निधि (उद्दिष्ट) स्थापित नहीं की जाती।

IndiaCode

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संग्रहण हेतु टिप्पणियां और अनुदेश

1. आय और व्यय लेखे में प्रत्येक आर्थिक विशेषता इस ढंग से प्रदर्शित की जानी चाहिए कि उससे लेखा में शामिल अवधि के दौरान शैक्षिक संस्था के कार्यचालन के परिणाम स्पष्ट रूप से प्रकट होते हों।
2. दानों और अनुदानों को मान्यता केवल उस समय दी जानी चाहिए जब समुचित आवश्वासन मिल जाए कि शैक्षिक संस्था संलग्न की शर्तों (यदि कोई हो) का अनुपालन करेगी और दान और अनुदान प्राप्त हो जाएंगे।
3. कोई मद जिसके अंतर्गत आय/व्यय, शैक्षिक संस्था का कुल शुल्क प्राप्तियों से 1% या 50,000/-रू., जो भी अधिक हो, बढ़ जाए तो उसे आय और व्यय खाते में समुचित लेखा शीर्ष के सामने अलग और भिन्न मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। अतः ये मदें विविध और अन्य आय/व्यय शीर्ष के अंतर्गत नहीं दर्शाई जानी चाहिए।
4. मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि ह्रासित परिसंपत्ति के उपयोगी काल के पश्चात उसकी ह्रासित मूल्य राशि वसूल की जा सके।
5. पूर्व अवधि आय और पूर्व अवधि व्यय को आय और व्यय खाते का भाग होना चाहिए, क्योंकि इनसे यह प्रकट होता है कि आय और व्यय खाते द्वारा शामिल अवधि के कार्यचालन परिणाम उन मदों द्वारा जो लागू अवधि से संबंधित नहीं है बल्कि विगत अवधि (अवधियों) से है और चालू अवधि में घटित हुए हैं किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। उनसे भी जहां कोई आय प्रोद्भूत नहीं हुई है या ऐसी मदों के लिए गत वर्ष (वर्षों) के संबंध में व्ययों के लिए किसी बकाया देयता का प्रावधान नहीं किया है।
6. छात्रावास के चालू खर्चों को आय और व्यय खाते की टिप्पणियों में अलग से प्रकट करना चाहिए।
7. शैक्षिक संस्थाएं टिप्पणियों द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रकट करेंगी :
 - क. शैक्षिक संस्थाओं के कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में प्रकटन।
 - ख. स्वयं सेवियों द्वारा की गई सेवाओं का ब्यौरा जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है।
 - ग. आपवादिक और असाधारण प्रकृति की मदों का ब्यौरा।

आय

अनुसूची 9 - शैक्षिक प्राप्तियां:

1) प्रवेश शुल्क — प्रत्येक मद पर की नीति का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2) वार्षिक शुल्क/अंशदान — यदि शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति के हैं, तो ऐसी राशि कायिक/पूंजीगत निधि में शामिल की जानी चाहिए। अन्यथा ऐसे शुल्क को इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क

4) परामर्श शुल्क — यदि इक्विटी की मुख्य गतिविधियों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है, तो ऐसी आय को अनुसूची 13 (अन्य आय) का हिस्सा होना चाहिए।

5) अन्य (स्पष्ट करें) — सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाया जाएं, परामर्श पर हुए व्यय आदि को अनुसूची 17 "प्रशासनिक और सामान्य व्यय" के रूप में दर्शाया जाए।

अनुसूची 10 - अनुदान और दान:

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और दान)

1) केन्द्र सरकार - अपरिवर्तनीय आधार पर प्राप्त सामान्य उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान या प्राप्त अन्य सहायता और एंटाइटी का उद्देश्य या पूर्व अवधि में हुए व्यय को कवर करने के लिए इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

2) राज्य सरकारें - यह अनुदान आदि उनके उपयोग से संबंधित किसी शर्त के बिना हैं तथा वापस न की जाने वाली राशि है, जिसे आय में शामिल किया जाएगा।

3) सरकारी एजेंसियां

4) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं सामान्यत: योजनाबद्ध और योजनेत्तर शीर्ष के तहत अनुदान प्राप्त करती हैं। योजनावार के तहत अनुदान सामान्य हो सकते हैं या विशिष्ट योजनाओं के लिए (उदाहरण-विज्ञान केन्द्र, ऑडिटोरियम आदि का निर्माण) योजनावार अनुदान पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए हो सकता है। योजनेत्तर अनुदान सामान्य रूप से संस्था, जिसका आकलित राजस्व व्यय और आकलित आंतरिक संसाधनों का सृजन परिकल्पित है, के वार्षिक बजट पर आधारित राजस्व खाते की हानि की पूर्ति के लिए है। योजनेत्तर अनुदान राजस्व व्यय और बजट और घाटे पर परिकल्पित संसाधनों का सृजन राजस्व व्यय से काफी कम होता है। यही कारण है जिससे अनुदान/सब्सिडी शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि अनुदान हानि को सब्सिडाइज करता है। ऐसी शैक्षिक संस्थाओं, जहां संसाधनों का आंतरिक सृजन आकलित राजस्व व्यय से अधिक है, को योजनेत्तर अनुदानों की प्राप्ति नहीं होती।

5) अनुसूची में अथ शेष (ओपनिंग बैलेंस) (योजनागत और योजनेत्तर अलग-अलग) वर्ष के दौरान की प्राप्तियां, वापसी यदि कोई हो, तो पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई राशि, राजस्व व्यय हेतु उपयोग की गई राशि और वर्ष के अंत में उपयोग की गई राशि शामिल है।

6) वित्तीय वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करते हुए;

क) पूंजीगत निधि के आंकड़े, अनुदान अनुसूची के आंकड़े और स्थिर सम्पति अनुसूची के आंकड़े वर्ष के दौरान अनुदान निधि से प्राप्त परिसम्पत्ति से संबंधित सृजन के बीच अनुदानों से पूंजीगत व्यय की सहमति की तीन प्रणालियां/वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में चालू कुल पूंजीगत कार्य शामिल होंगे। (अर्थात वर्ष के दौरान सृजन माइनस पूर्ण हुआ चालू पूंजीगत व्यय वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति को अंतरित)।

ख) योजनेत्तर अनुदान से प्रतिपूर्ति राजस्व व्यय की गणना निम्नानुसार होनी चाहिए:

आय और व्यय लेखाओं की व्यय अनुसूची (योजनेत्तर कॉलम) के अनुसार व्यय	XXX
घटाव: सेवानिवृत्ति लाभ हेतु वर्ष में किया गया प्रावधान	XXX
जमा: सेवानिवृत्ति लाभ हेतु वर्ष में किया गया वास्तविक भुगतान	XXX
योजनेत्तर अनुदान से प्रतिपूरक राजस्व व्यय	

(आय और व्यय लेखा में व्यय की ओर के शेष का उपर्युक्त वियोजन और संकलन हेतु उपयोग किया जा सकता है किंतु इस मामले में अन्य वियोजन होना हानि दर्शाता है जिसके संबंध में भी कोई नगद भुगतान नहीं है)।

सामान्य रूप से राजस्व व्यय जैसाकि उपर्युक्त गणना की गई है, पूंजीगत व्यय की पूर्ति के बाद उपलब्ध योजनेत्तर से अधिक होगा। यदि ऐसा है तो ऐसा शेष अपने योजनेत्तर में से उपयोग किया गया राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा, परिणामस्वरूप उपयोग न किया गया योजनेत्तर अनुदान शून्य होगा। ऐसे मामलों में परिकल्पना है कि योजनेत्तर अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति आंतरिक सृजित संसाधनों से होती है।

तथापि यदि अगले वर्ष का अनुदान वर्तमान वर्ष में प्राप्त होगा तो यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा अग्रिम अनुदान आगे बढ़ाया जाएगा और अनुदान अनुसूची में उपयोग किए गए अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है। इस संबंध में पूंजीगत व्यय की पूर्ति के बाद उपलब्ध योजनेत्तर अनुदान में अग्रिम अनुदान शामिल होंगे। अत: उपलब्ध अनुदान और वास्तविक राजस्व व्यय की तुलना के लिए उपलब्ध अनुदान को अग्रिम अनुदान द्वारा कम करने पर विचार किया जाए। नीचे अनुदान अनुसूची के नोट में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए योजनेत्तर अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रिम अनुदान दर्शाता है।

7) सामान्यतय: प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार प्राप्त अनुदान के आंकड़े अनुदान अनुसूची में प्राप्तियां (अनु.10) के आंकडें के अनुरूप होगें। तथापि यदि स्वीकृति 31 मार्च या पहले हो, संस्था द्वारा प्राप्त किया गया हो, जिस पर राशि वास्तविक रूप में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्राप्त की गई हो, उस वर्ष में जिसमें स्वीकृति जारी की गई, प्राप्त होने वाले अनुदान (ऋण अग्रिम और वापसी के तहत दर्शाया गया है) को घटाकर तथा 'अनुदान लेखा' को योग कर लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्त अनुदान के आंकड़ों में अंतर होगा, प्राप्ति और भुगतान लेखा के आंकड़े और अनुदान अनुसूची के आंकड़े शामिल अनुदान के बराबर होंगे।

अनुसूची 11 - निवेश से आय

1. ब्याज निवेश से आय कुल राशि और स्रोत पर आयकर को अलग से दर्शाया जाए।

 क) सरकारी प्रतिभूतियों पर सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल है

 क) ब्याज की अंतिम मान्य तारीख अर्थात कुल ब्याज और देय राशि पर कूपन दर पर प्राप्त ब्याज; और

 ख) वर्ष के अंत तक कूपन दर पर देय ब्याज अर्थात प्राप्त ब्याज किंतु देय राशि नहीं।

 ख) अन्य बॉण्ड /ऋण पत्र बॉण्ड और ऋण पत्र पर ब्याज में देय छूट शामिल हैं।

 छूट पर जारी बॉण्ड पर वर्ष के अंत तक समान या प्रीमियम की देय राशि, उसके जारी होने की शर्त पर।

2. लाभ घोषणा की तारीख पर आधारित लाभ प्राप्त होगा।

 क) शेयर पर इसके बाद अर्थात जब धारक को उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा।

 ख) म्युचुयल फंड पर

3. किराया किराये को सम्पत्ति के निवेश पर आय, यदि कोई हो, के रूप में दर्शाया जाए।

4. अन्य (चिन्हित)अतिदेय/परिपक्व निवेश पर मांगा गया ब्याज तब तक अदा नहीं किया जाएगा। जब तक ऐसी अदायगी के लिए पूर्व शर्त पूर्ण न हो।

5. निवेश पर आय के संबंध में विशिष्टता दी जाए:

 क) धारक द्वारा प्राप्त; (यह आय और व्यय लेखा में दर्शाया जाएगा)

 ख) वे जो चिन्हित/अक्षय निधि पर लिए गए। वर्ष के अंत में चिन्हित/ अक्षय निधि पर के निवेश पर कुल आय को अनुसूची 2 के माध्यम से निधि में अंतरित किए जाने चाहिए।

6. अनुसूची दो भागों में है - प्रथम में चिन्हित/ अक्षय निवेश से आय का उल्लेख होता है जिसे कोई शेष न रखते हुए चिन्हित/अक्षय निधि को अंतरण के रूप में दर्शाया जाता है। द्वितीय भाग निवेश - अन्य पर आय से संबंधित है जिसका योग निवेश से आय के रूप में आय और व्यय लेखा में दर्शाया जाता है।

वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूची 2 - चिन्हित/अक्षय निधि में प्रथम भाग का योग निवेश से आय निवेश पर देय ब्याज प्लस बचत खातों पर ब्याज के विरूद्ध समस्तरीय योग के बराबर हो।

अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज

1. सावधि जमा पर 1. अर्जित ब्याज की आय को सकल आंकड़े पर दर्शाया जाए तथा स्रोत पर कर का तुलन पत्र में प्राप्त होने वाली आय के रूप में अलग से उल्लेख किया जाए, जहां संस्था की आय आयकर से मुक्त है।

 क) अनुसूचित बैंक में

 ख) गैर अनुसूचित बैंक में

 ग) संस्थाओं में

 घ) अन्य

2. बचत खाते पर 2. आय संबंधी अंतर रखा जाए;

 क) अनुसूचित बैंक में — क) धारक के खाते पर; और

 ख) गैर अनुसूचित बैंक में — ख) चिन्हित/अक्षय निधि के सामने; चिन्हित/अक्षय निधि को अंतरित किया जाए।

 ग) पोस्ट आफिस बचत खाता

 घ) अन्य

IndiaCode

3. ऋण पर

क) कर्मचारियों/स्टाफ (जहां आवास निर्माण, वाहन और कम्प्यूटर के लिए ब्याज सहित अग्रिम के लिए किसी आवर्ती निधि की स्थापना नहीं की गई है।)

4. ऋणी और अन्य स्वीकार्य ब्याज

अनुसूची 13 - अन्य आय

1)	सेवाओं से आय :	आय को सकल आंकड़ों में अवश्य दर्शाया जाना चाहिए और स्रोत पर कर कटौती का संकेत अलग से किया जाना चाहिए।
2)	व्यावसायिक/परामर्श	व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए सकल परामर्श प्रभार और शुल्क: संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इस उप-शीर्षक के तहत समाविष्ट किया जाना चाहिए स्रोत पर कर कटौती को तुलन पत्र में वहाँ अलग से प्राप्त होने योग्य के रूप में दर्शाया जाना चाहिए जहां संस्थान की आय को आयकर से छूट दी गई है।
3)	रॉयल्टी से आय :	प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां बतानी होंगी।
4)	प्रकाशनों से आय:	संस्था की प्रमुख गतिविधियों को पुस्तकों, पत्रिकाओं और दस्तावेजों इत्यादि में प्रकाशित किया जाएगा, ऐसी आय अनुसूची 13 के भाग में होनी चाहिए। सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाया जाना चाहिए। प्रकाशन इत्यादि पर वहन किया गया व्यय अनुसूची 17 में अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
5)	आस्तियों की बिक्री पर लाभ क) स्वामित्व के अतिरिक्त ख) अनुदान के अतिरिक्त उपार्जित आस्तियां	विक्रय मुनाफा/प्राप्ति, अंकित-मूल्य का समायोजन या लागत से प्राप्त शुल्क, आस्तियां, यदि कोई अधिशेष हो, को इस शीर्षक के तहत समाविष्ट किया जाएगा।
6)	संस्थाओं, कल्याणकारी निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (सकल प्राप्तियां) के अनुदानों और संदान को, स्रोत और प्राप्त राशियों के विवरण सहित, इस उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। यदि अपरिवर्तनीय आधार पर अनुदान/सहायिकी इन प्राप्तियों में से, स्थायी आधार पर संस्थानों द्वारा अन्य संगठनों को दिया जाता है तो, व्यय को अनुसूची-21-अन्य व्यय में प्रदर्शित किया जाएगा।	
7)	अन्य (विनिर्दिष्ट)	
टिप्पणी:-	संस्था की प्रमुख गतिविधियों को पुस्तकों, पत्रिकाओं दस्तावेजों इत्यादि में प्रकाशित करने के मामले में रॉयल्टी और प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त आय को आय और व्यय लेखा की एक पृथक अनुसूची में दर्शाया जाना चाहिए जिसे पृथक शीर्षक "रॉयल्टी और प्रकाशन" जोड़ा जा सकेगा।	

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय

पूर्व अवधि आय की मद वह मद है जिसकी आय वर्तमान वर्ष से संबंधित नहीं होती किंतु पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित होती है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान होती है; यह भी कि जहां पूर्ववर्ती वर्षों में कोई आय उपार्जित नहीं मानी गई वहीं ऐसी मद आय और व्यय लेखा में सभी आय शीर्षों के संबंध में हो सकती है। प्रत्येक आय शीर्ष के सामने पूर्व अवधि आय की राशि का उल्लेख इस अनुसूची में किया जाए - और व्यय लेखा में 'पूर्व अवधि आय' शीर्ष में उल्लिखित आंकड़ों के अनुरूप हो।

अनुसूची 15 - स्टाफ संबंधी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय):

क	वेतन और भत्ते	प्रतिनियुक्ति के स्टॉफ सहित प्रत्येक शीर्ष के सामने कुल व्यय का उल्लेख किया जाना चाहिए
ख	भत्ते और बोनस	
ग	भविष्य निधि का अंशदान	
घ	अन्य निधि का अंशदान (उल्लेख करें)	भविष्य निधि, न्यू पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा निवृत्ति लाभ आदि के लिए धारक के सांविधिक दायित्व का स्पष्ट और मद-वार उल्लेख किया जाना चाहिए।

ड.	कर्मचारी कल्याण व्यय	
च	कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय	
घ	अन्य (चिन्हित करें)	

टिप्पणी - सामान्य

1. ग्रेच्यूटी, पेंशन और अवकाश भुगतान के लिए वर्ष के लेखओं में की गई व्यवस्था की गणना के उल्लेख के लिए उप-अनुसूची 15 क का प्रयोग किया जाएगा। केवल वर्ष में किए गए प्रावधान को यहां शामिल किया जाएगा। (न कि वर्ष के दौरान किया गया पेंशन की कम्युटेड वेल्यू, ग्रेच्यूटी और अवकाश का वास्तविक भुगतान, जिसके देय का प्रावधान है)

2. वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष के लिए किया गया कुल प्रावधान और अनुसूची 15क के अन्य सेवा निवृत्ति लाभ अनुसूची 15 के 'सेवानिवृत्ति और समाप्ति लाभ' के सामने दर्शाई गई राशि के अनुरूप हों।

3. वसूली जैसे अर्थदंड, पैनल्टी आदि के मामले में उसे व्यय शीर्ष से घटाया नहीं जाना चाहिए किंतु उसे अनुसूची 13 में 'अन्य आय' के तहत जोड़ा जाना चाहिए।

पूर्व अवधि मद

पूर्व अवधि और विशिष्ट मद का उल्लेख 'पूर्व अवधि व्यय' शीर्ष के तहत अलग से किया जाए ताकि वर्ष के कुल व्यय पर उसके प्रभाव का पता लगाया जा सके।

अनुसूची-16- शैक्षिक व्यय-

शैक्षिक व्यय — इस अनुसूची में निम्नलिखित शामिल हैं।

- सभी शैक्षिक व्यय जैसे प्रयोगशाला संचालन का खर्च उदाहरणार्थ- सभी- रसायन अथवा अन्य उपभोज्य सामग्री। (उपकरण/उपस्कर तथा यन्त्रों को छोड़कर) जो प्रयोग कार्य हेतु प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए अनिवार्य हैं।
- क्षेत्रीय (फील्ड) अध्ययनों पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- संकाय के दौरे पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- सेमिनार/कार्यशालाओं/दीक्षान्त समारोह पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थियों के नए बैचों की भर्ती पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- परीक्षाओं से संबंधित व्यवस्था पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थियों को देय वजीफा/योग्यता-सह-छात्रवृति पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- प्रचार (प्रवेश संबंधी तथा छात्रवृति) पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- पीरियाडिकल्स (आवधिक परीक्षाएं) पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थी कल्याण से सम्बधित सभी प्रकार के व्यय।
- अनुसंधान कार्यकलाप

अनुसूची 17- प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

(क) अवसंरचना

i) किराया, दरें तथा कर

ii) बिजली व्यय (बिल)

iii) जल प्रभार

iv) सुरक्षा व्यय

v) बीमा

vi) जनरेटर चलाने का व्यय

(ख) <u>संचार</u>

i) पोस्टेज (डाक) तथा टेलीग्राम

ii) दूरभाष तथा फैक्स

iii) इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रभार

iv)

(ग) शैक्षिक संस्थाओं को अंशदान

(घ) सलाहकार समितियों इत्यादि के सदस्यों को यात्रा भत्ता।

(ङ) विज्ञापन और प्रचार

(च) विधि व्यय

(छ) अन्य

i) मुद्रण एवं लेखन सामाग्री (खपत)

ii) समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं

iii) मनोरंजन व्यय

iv) बैंक प्रभार

v) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता

vi) श्रम प्रभार, दैनिक पारिश्रमिक तथा संविदा श्रमिक

vii) यात्रा तथा स्थानीय परिवहन

viii) सफाई व्यवस्था व्यय

ix) वर्दी

x) फोटोकॉपी प्रभार

xi) वीसी ऐच्छिक निधि इत्यादि में अंशदान

xii) अन्य अतिरिक्त प्रशानिक व्यय

xiii) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

xiv) व्यावसायिक प्रभार

xv) अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण/ अग्रिम का प्रावधान

xvi) अप्राप्य बकाया बट्टे खाते में डालना

xvii) अन्य

नोट:

वसूलियों (प्राप्तियों) के मामले में जैसे कि- किराए की वसूली, वसूल किया गया भाटक प्रभार, जुर्माने, अर्थदण्ड, सप्लायरों इत्यादि से होने वाली टूट-फूट (क्षति) का परिशोधन इत्यादि, इस प्रकार की वसूलियों को व्यय शीर्ष से न घटाया जाए आपितु इन्हें "अनुसूची-13" "अन्य आय" में शामिल किया जाए।

<u>अनुसूची-18 परिवहन व्यय</u>

परिवहन व्यय में निम्नलिखित सभी व्यय शामिल होंगे:

- सभी वाहन (संस्थान के स्वामित्वाधीन)- चलने की लागत जैसे पेट्रोल, डीजल का मूल्य, मरम्मत और वाहनों का रख-रखाव आदि।
- सेवा प्रदाताओं से नियमित अथवा अस्थाई आधार पर लिए गए वाहनों का किराया।
- संस्था के वाहनों के रख-रखाव (उदाहरणार्थ बीमा) आदि पर हाने वाले अन्य व्यय।
- विभिन्न बैठकों/समिनारों/कार्यशालाओं/दीक्षान्त समारोहों इत्यादि में भाग लेने हेतु अतिथियों/उच्चाधिकारियों के लिए सभी यात्रा भत्ता व्यय।

IndiaCode

अनुसूची-19- मरम्मत तथा रख-रखाव

मरम्मत तथा रख-रखाव में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे

- कार्यालय भवनों, छात्रावासों/आवासों के कमरों की रंगाई-पुताई पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय। कार्यालय, आवास, शैक्षिक भवनों तथा होस्टलों में सभी प्रकार की छुटपुट मरम्मत पर होने वाले सभी व्यय।
- फर्नीचर तथा फिक्सचर (जुड़नार) के रख-रखाव पर सभी व्यय।
- सयंत्र एवं उपकरणों की सभी प्रकार की मरम्मत और वार्षिक रख-रखाव।
- कम्प्यूटरों, संचार उपकरणों तथा अन्य कार्यालय उपकरणों की सभी प्रकार की मरम्मत और वार्षिक रख-रखाव।
- इलैक्ट्रिकल् संयत्र और उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव।
- प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों के रख-रखाव हेतु वार्षिक रख-रखाव संविदा।
- स्वच्छता (साफ-सफाई) सेवाओं हेतु सभी प्रकार के व्यय।
- किसी अन्य वार्षिक रख-रखाव संविदा (उल्लेख करें) पर होने वाला व्यय।
- बागवानी
- सम्पदा रख रखाव।
- जिल्दसाजी प्रभार

अनुसूची-20- वित्तीय लागत

वित्तीय लागत में ऋणों, उधार ली गई राशियों तथा बैंक प्रभारों पर सभी प्रकार के ब्याज शामिल हैं।

नोट: केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के पास कोई ऋण पत्राधान नहीं हो सकता क्योंकि वे वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए अनुमत नहीं है।

ऐसे मामलों में बैंक प्रभार जोकि उपादान नहीं हैं, इसे अनुसूची और शीर्ष हटाकर प्रशासनिक व्यय के आय और व्यय खाते में जोड़ दिया जाना चाहिए।

अनुसूची-21- अन्य व्यय

इस अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल होंगे:-

क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान

सामान्य प्रयोजनों तथा इक्विटी के उद्देश्यों के लिए संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान, सहायकी अथवा इसी प्रकार की अन्य सहायता जो अप्रत्यादेय आधार पर दी गई हो, इस सूची में शामिल की जाए।

इस प्रकार के अनुदान आदि बिना किसी शर्त अथवा सशर्त होते हैं जो उनकी उपयोगिता तथा अप्रत्यादेय राशि पर निर्भर करता है। जिसे व्यय के रूप में विनियोजित किया जाए।

अनुसूची-13 के उप-शीर्ष में दर्शायी गई सकल आवती प्राप्तियां उन अनुदानों का स्रोत हो सकती हैं जिन्हें बदले में अप्रत्यादेय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को दिया जा सकता है।

प्रत्येक शीर्ष में दर्शाया गया सकल व्यय प्रकट किया जाए।

नोट: संस्थाओं/संगठनों के नाम उनके कार्यकलाप तथा प्रत्येक मामले में प्रदत्त राशि का उल्लेख किया जाए।

(ख) कोई अन्य (उल्लेख करें)

अनुसूची 22 - पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि व्यय की मदें वे मदें हैं जिनका व्यय चालू वर्ष से सबंधित नहीं है किन्तु, पिछले वर्षों से संबंधित है तथा चालू वर्ष के दौरान किया गया है और साथ ही जिनके व्यय की कोई बकाया देयता नही है, विगत वर्षों में प्रदान किया गया है।

IndiaCode

आय और व्यय खाते में प्रत्येक व्यय शीर्ष स्थान पर पूर्व अवधि व्यय इस अनुसूची में प्रकट किया जाना चाहिए- आय और व्यय खाते में 'पूर्व अवधि व्यय' शीर्ष में जिनके लिए कुल आकड़ों के साथ मेल खाता हो।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण के संकलन हेतु टिप्पिणयां और अनुदेश

अनुसूची जो लेखाओं का भाग है

अनुसूची-23- लेखांकन नीतियां

1. शैक्षिक सस्थाओं को अपनी विशिष्ट लेखांकन नीतियों का उल्लेख करना चाहिए और यह उल्लेख एक स्थान पर किया जाना चाहिए। लेखाकरण नीतियों की वर्णनात्मक सूची जिसका शैक्षिक संस्था उल्लेख कर सकती है, नीचे दी जाती है-

(क) लेखे तैयार करने का आधार (ऐतिहासिक लागत परम्परात तथा प्रोदभूत प्रणाली)

(ख) राजस्व पहचान (विशेष रूप से उन मदों का उल्लेख जिनकी नकद आधार पर पहचान की जाती है)

(ग) विशेषीकृत कार्यकलापों जैसे अनुसंधान पर आय और व्यय का लेखांकन

(घ) विदेशी मुद्रा का अंतरण अथवा रूपांतरण(संगठनों के विदेशी निधि प्राप्त करने आयातों पर विदेशी मुद्रा में व्यय करने की स्थिति में

(ड.) मूल्यह्रास की पद्धतियां

(च) मालसूची का मूल्य निर्धारण

(छ) निवेश का मूल्य निर्धारण

(ज) कर्मचारी लाभ का प्रबंधन

(झ) अचल परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण

(´) आकस्मिक देयताओं का प्रबंधन

(ट) निर्माण के दौरान व्यय

(ठ) कम मूल्य की संपत्तियां

(ड) पट्टेवाली भूमि का लेखांकन प्रबंध

(ढ) निर्धारण निधि तथा अक्षय निधि का प्रत्येक निधि के साथ संक्षिप्त विवरण सहित लेखा-करण

(ण) अपव्ययी परिसंपत्तियों का ऋण-शोधन

(त) सरकार से प्राप्त योजना/योजनेत्तर अनुदानों का लेखाकरण प्रबंधन

(थ) प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों का लेखाकरण प्रबंध (प्राप्तियों और व्यय) तथा ऐसी योजनाओं से आय (ऊपरी-वसूलियां, संस्थागत प्रभार/परियोजना प्रबंधन शुल्क आदि)

(द) प्रायोजित परियोजना निधि तथा निर्धारत निधि से अर्जित परिसंपत्तियों का लेखांकन प्रबंधन

(ध) अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों का लेखाकरण प्रबंधन

(न) आस्थागित राजस्व व्यय का वर्गीकरण और प्रबंधन

(प) संस्थाओं द्वारा उन्हें दिए गए अनुदानों से अनुदानग्राही सस्थाओं द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों का प्रबंध (यदि लागू हो)

(फ) कराधान स्थिति

2. निधि के संबंध में शैक्षिक संस्थाओं के लेखाओं की अनुसूचियों/टिप्पिणयों में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहिए:

(क) इस अवधि के दौरान प्रत्येक मुख्य निधि, शेष, अतिरिक्त आवक, इस अवधि के दौरान कटौतियां/उपयोग तथा अंत में शेष;

(ख) परिसंपत्तियां जैसे प्रत्येक निधि से संबंधित निवेश और देयताएं अलग-अलग;

(ग) प्रत्येक शेष निधि के उपयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो;

(घ) विशिष्ट अचल परिसंपतियों के उपयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो।

IndiaCode

अनुसूची 24- आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां

इस अनुसूची में शामिल की जाने वाली मदें नीचे उल्लिखित हैं:

क. आकस्मिक देयताएं

1. ऋण के रूप में स्वीकृत न किए गए संस्था के प्रति दावे	----------
2. प्रतिभूतियां और बकाया साख पत्र:-	संस्था अथवा बैंकों द्वारा अपनी ओर से दी गई प्रतिभूतियों के लिए देयता तथा वर्ष के अंत में बकाया साखपत्रो का उल्लेख किए जाने की अपेक्षा की जाती है।
3. अन्य मदें जिनके लिए संस्था की आकस्मिक रूप से देयता है।	इसमें विवादित कानूनी और अन्य मांगों दावों, पुन: छूटवाले बिलों और अन्य मदों को शामिल किया जाएगा जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से देनदार है जैसे दायर मुकदमे, लम्बित माध्यस्थम मामले।

ख. लेखा टिपणियां

1. पूंजीगत खातों पर वचनबद्धता का प्रावधान नहीं है-	यह सांविधिक/व्यवस्थाओ के संदर्भ मे उत्पन्न होगी जिसके अनुसार परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति/निर्माण के लिए, जब भी वे आरंभ होंगी, राशि अदा करनी होगी। इस राशि के, निवल अथवा अग्रिम का उल्लेख करना अपेक्षित है।

2. शैक्षिक संस्थाओं को निम्नलिखित सूचना सार्वजनिक करनी होगी ताकि सभी अन्य स्टेक-होल्डरों की शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता तथा सामर्थ्य पर विहंगम दृष्टि रहे।

I) छात्रों की संख्या

ii) शिक्षकों की संख्या

iii) भवन निधि तथा उसके व्यय के खाते में संग्रह

iv) खेलकूद कार्यकलापों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय

v) सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय

vi) विकास प्रभारों के खाते में संग्रह तथा उन पर व्यय

vii) चिकित्सा व्ययों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय

viii) ईपीएफ और ईएसआई जैसी कानूनी देनदारी का अनुपालन

ix) शिक्षकों का वेतन ढ़ांचा

उपर्युक्त सूचना की गणना प्रति छात्र आधार पर भी की जा सकती है।

3. सबंद्ध पक्ष उल्लेख

भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानदण्ड (एएस)18, 'संबंधित पक्ष के उल्लेख' में संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। शैक्षिक संस्था के संदर्भ में सार्वजनिक निधि के समावेश को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक संस्था के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में निम्नलिखित उल्लेख किया जाना चाहिए:

i) शैक्षिक संस्था तथा- शैक्षिक संस्था का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट अथवा सोसायटी के बीच लेन-देन।

ii) शैक्षिक संस्था तथा- शैक्षिक संस्था के शासी निकाय के ट्रस्टियों अथवा सदस्यों के बीच लेन-देन।

iii) शैक्षिक संस्था तथा ट्रस्ट निर्माता अथवा संस्था के संस्थापक के बीच लेन-देन।

iv) शैक्षिक संस्था का दूसरी शैक्षिक संस्था अथवा उसी ट्रस्ट अथवा सोसायटी द्वारा संचालित किसी अन्य शैक्षिक संस्था के बीच, यदि सबंधित कानून/उपनियमों आदि द्वारा अनुमेय हो, लेन-देन।

IndiaCode

(v) शैक्षिक संस्था तथा ट्रस्टियों के सबंधी अथवा शैक्षिक संस्था का प्रबंधन करने वाले शासी बोर्ड के सदस्य अथवा ट्रस्ट के निर्माता अथवा संस्था के संस्थापक के बीच लेन-देन। इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक संबधी से अभिप्राय "पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता तथा माता से है जो शैक्षिक संस्था के साथ उसके/उनके लेन-देन करने में उस व्यक्ति द्वारा प्रभावित किए जाने अथवा प्रभावित होने की संभावना हो"।

(vi) शैक्षिक संस्था तथा उसके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के बीच अंतरण/मुख्य प्रबंधन कार्मिक उस शैक्षिक संस्था में उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा जिसके पास शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों की योजना बनाने, निदेशित करने तथा नियंत्रित करने हेतु प्राधिकार और उत्तरदायित्व हो। किसी शैक्षिक संस्था के मामले में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का उदाहरण प्राचार्य/कुलपति है।

यदि संबधित पक्ष के सबंधों के दौरान सबंधित पक्षों के बीच लेन-देन रहा हों, तो शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहिए:

(i) लेन-देन सबंधी पक्ष का नाम;

(ii) लेन-देन के स्वरूप का विवरण;

(iii) लेन-देन के मात्रा; या राशि के रूप में अथवा समुचित अनुपात के रूप में;

(iv) तुलन-पत्र की तारीख को सबद्ध पक्षों से संबंधित राशि अथवा समुचित अनुपात अथवा बकाया मदें और उस तारीख को ऐसे पक्षों का देय संदिग्ध ऋण; तथा

(v) इस अवधि में संबद्ध पक्षों से प्राप्त अथवा देय ऋण के संबंध में बट्टे-खाते डाली गई अथवा वापस दर्ज राशि।

संबद्ध पक्ष के लेन-देन के निम्नलिखित उदाहरण हैं जिनके संबंध में शैक्षिक संस्था द्वारा उल्लेख किया जाएगा:

अचल परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री;

सेवाएं प्रदान करना अथवा प्राप्त करना;

पट्टे पर देना अथवा किराया की व्यवस्था;

समान प्रकार की मदों का संबद्ध पार्टी के प्रकार के अनुसार समेकित रूप में केवल तब उल्लेख किया जाएगा जब अलग उल्लेख उस शैक्षिक संस्था के वित्तीय विवरणों पर संबद्ध पक्ष के लेन-देन के प्रभावों को समझने के लिए आवश्यक हो।

वैयक्तिक संबद्ध पक्षों के साथ विशिष्ट लेन-देन के ब्यौरों का बार-बार उल्लेख आसानी से समझने के लिए होगा। तदनुसार, संबद्ध पक्ष द्वारा समेकित रूप में उल्लेख किया जा सकता है। तथापि, यह इस रूप में नहीं किया गया जैसा विशिष्ट लेन-देन के महत्व को स्पष्ट नहीं किया है जैसे पुस्तकों की खरीद और बिक्री को अचल परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री के साथ समेकित नहीं किया जाता है और न ही वैयक्तिक के साथ सामग्री से संबद्ध पक्ष लेन-देन को समेकित उल्लेख में शामिल नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु टिप्पणियां और निर्देश

प्राप्तियां और भुगतान खाता

वर्ष के खातों को अंतिमरूप देते समय निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1) अनुसूची 10 में वर्ष के दौरान अनुदानों की प्राप्तियों के आंकड़े-अनुदान/सब्सिडी प्राप्तियां और भुगतान खाते में अनुदानों की प्राप्तियों के आंकड़ों से मेल खाते हैं। यदि अनुदान की अनुसूची के आंकड़े अधिक हों, तो इनमें 31 मार्च अथवा उसके पहले की स्वीकृतियों के संबंध में, जिनके लिए अगले वर्ष के अप्रैल में राशियां प्राप्त हुई हों, अनुसूची 8 के अंतर्गत ऋण, अग्रिम और जमा में, जिसे प्रोदभूत आधार पर हिसाब में लिया गया है, दर्शाए गए प्राप्त अनुदानों की राशि प्रकट होनी चाहिए।

2) अन्य शेष नकदी तथा बैंक शेष प्राप्तियों और भुगतान खातों और साथ ही अनुसूची-7 में चालू परिसंपत्तियों के अन्तर्गत गत वर्ष के आंकड़ों में अंत शेष के गत वर्ष के आंकड़े प्राप्तियों और भुगतान खाते में अंत शेष के गत वर्ष के आंकड़ों से मेल खाते हैं।

3) अनुसूची 7, "चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत चालू वर्ष की नकदी और बैंक शेष प्राप्तियां और भुगतान खाते में अंत शेष नकदी और बैंक शेष मेल खाते हैं।

[फा.सं.7-10/2016-अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ]

अपर्णा एस. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियमावली, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 16 मई, 2006 के सा.का.नि. 286 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

IndiaCode

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2016

G.S.R. 1076(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2), of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), and in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as required under sub section (1) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Rules, 2006, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.** -These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Rules, 2006, for "Form-A and the Schedules thereto", the following Form and Schedules shall be substituted; namely:-

"Form – A

[See Rule 3(4)]

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ACCOUNTS OF THE COMMISSION

Balance Sheet of the National Commission for Minority Educational Institutions

For the year ended _____

Amount in Rupees

SOURCES OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1		
DESIGNATED/EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2		
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3		
TOTAL			

IndiaCode

APPLICATION OF FUND	Schedule	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS	4		
Tangible Assets			
Intangible Assets			
Capital Works-In-Progress			
INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	5		
Long Term			
Short Term			
INVESTMENTS - OTHERS	6		
CURRENT ASSETS	7		
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8		
TOTAL			

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 23

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS 24

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____

Amount in Rupees

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Academic Receipts	9		
Grants / Subsidies	10		

Income from investments	11		
Interest earned	12		
Other Income	13		
Prior Period Income	14		
TOTAL(A)			
EXPENDITURE			
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	15		
Academic Expenses	16		
Administrative and General Expenses	17		
Transportation Expenses	18		
Repairs & Maintenance	19		
Finance costs	20		
Depreciation	4		
Other Expenses	21		
Prior Period Expenses	22		
TOTAL (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			
Transfer to / from Designated Fund			
Building fund			
Others (specify)			
Balance Being Surplus / (Deficit) Carried to Capital Fund			

Significant Accounting Policies 23

Contingent Liabilities and Notes to Accounts 24

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE - 1 CORPUS/CAPITAL FUND

Amount in Rupees

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for capital expenditure Add: Assets Purchased out of Earmarked Funds Add: Assets Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vests in the institution Add: Assets Donated/Gifts Received Add: Other Additions Add: Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure Account		
Total		
(Deduct) Deficit transferred from the Income & expenditure Account		
Balance at the year end		

IndiaCode

SCHEDULE 2 - DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

Particulars	Fund wise Breakup				Total	
	Fund AAA	Fund BBB	Fund CCC	Endowment Funds	Current Year	Previous Year
A.						
a) Opening balance						
b) Additions during the year						
c) Income from investments made of the funds						
d) Accrued Interest on investments/ Advances						
e) Interest on Savings Bank a/c						
f) Other additions (Specify nature)						
Total(A)						
B.						
Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i) Capital Expenditure						
ii)Revenue Expenditure						
Total(B)						
Closing balance at the year end (A-B)	XX	YY	ZZ	LL		
Represented by						
Cash And Bank Balance						
Investments						
Interest accrued but not due						
Total	XX	YY	ZZ	LL		

IndiaCode

SCHEDULE 2A

ENDOWMENT FUNDS

Specimen format of Sub Schedule to support the figures in the column "Endowment Funds" in the Schedule "Earmarked/ Endowment Funds", forming part of the Balance Sheet.

Amount in Rupees

1. Sr. No	2. Name of the Endow-ment	Opening Balance		Additions during the year		Total		Expendi-ture on the object during the year	Closing Balance		Total (10+ 11)
		3. Endow-ment	4. Accumu-lated Interest	5. Endow-ment	6. Inter-est	7. Endow-ment (3+5)	8. Accumu-lated Interest (4+6)	9.	10. Endow-ment	11. Accumu-lated Interest	
	Total										

Notes

1. The total of Columns 3 & 4 will appear as the Opening Balance in the Column "Endowment Funds" in Schedule 2, of Earmarked Fundsforming part of the Balance Sheet.

2. The total of Col. 9 should normally be less than the total of Col. 8, as only the interest is to be used for the expenditure on the object of theendowments. (except Endowments for Chairs)

3. There should not normally be a debit balance in the schedule. If in a rare case, there is a debit balance against any of the Endowment Funds,the debit balance should appear on the Assets side of the Balance Sheet as "Receivables", in Schedule - 8 Loans, Advances & Deposits.

SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Deposits from stall		
2. Deposits from students		
3. Sundry Creditors		
a) For Goods & Services		
b) Others		
4. Deposit-Others (including EMD, Security Deposit)		
5. Statutory Liabilities (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS, NPS):		
a) Overdue		
b) Others		
6. Other Current Liabilities		
a)Salaries		
b)Receipts against sponsored projects		
c) Receipts against sponsored fellowships & scholarships		
d)Unutilised Grants		
e) Grants in advance		
f) Other funds		
g) Other liabilities		
Total (A)		
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Superannuation Pension		
4. Accumulated Leave Encashment		
5. Trade Warranties/Claims		
6. Others (Specify)		
Total (B)		
Total (A+B)		

Note: Unutilized grants 6 (d) will include grants received in advance for next year.

SCHEDULE - 3 (a) SPONSORED PROJECTS

Amount in Rupees

1. Sr.No.	2. Name of the Project	Opening Balance		5. Receipts/Recoveries during the year	6. Total	7. Expenditure during the year	Closing Balance	
		3. Credit	4. Debit				8. Credit	9. Debit
	Total							

IndiaCode

1. The Projects may be listed agency-wise, with sub-totals for each agency.

2. The total of Col. 8 (Credit) will appear under the above head on the liabilities side of the Balance Sheet (Schedule 3).

3. The total of Col. 9 (Debit) will appear as Receivables in Schedule 8, Loans, Advances and Deposits, on the Assets side of the Balance Sheet.

SCHEDULE 3 (b) SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS

Amount in Rupees

Sl. No. 1.	2. Name of the Sponsor	Opening Balance As On 01.04……		Transactions During the year		Closing Balance As On 31.03……..	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
		CR.	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.
1.	University Grants Commission						
2.	Ministry ……						
3.	Others (Specify individually)						
	Total						

Note:

1. The total of Column 7, (Credit) will appear under the above head, on the liabilities side of the Balance Sheet (Schedule 3).

2. The total of Column 8 (Debit) will appear as Receivables on the Assets side of the Balance Sheet in Schedule 8 (Loans, Advances and Deposits).

SCHEDULE 3(c) UNUTILISED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND STATE GOVERNMENTS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
A. Plan grants: Government of India Balance BIF Add: Receipts during the year		
Total (a)		
Less Refunds Less: Utilized for Revenue Expenditure Less: Utilized for Capital expenditure		
Total (b)		
Unutilized carried forward (a-b)		
B. UGC grants: Plan Balance BIF Receipts during the year		
Total (c)		
Less Refunds Less: Utilized for Revenue Expenditure Less: Utilized for capital expenditure		
Total (d)		
Unutilized carried forward (c-d)		

C. UGC grants: Plan Balance B/F Receipts during the year		
Total (e)		
Less Refunds Less: Utilized for Revenue Expenditure Less: Utilized for capital expenditure		
Total (f)		
Unutilized carried forward (e-f)		

IndiaCode

D. Grants from State Govt. Balance B/F Receipts during the year		
Total (g)		
Less: Utilized for Revenue Expenditure Less: Utilized for capital expenditure		
Total (h)		
Unutilized carried forward (g-h)		
*Grand Total (A+B+C+D)		

Notes:-

- Unutilized grants includes advances on Capital Account
- Unutilized grants include grants received in advance for the next year
- Unutilized grants are represented on the Assets side by Bank balances, Short term Deposits with Banks and Advanceson Capital Account

SCHEDULE 4 —FIXED ASSETS

Under this head, classification and disclosures shall be as follows:

1. Land	Includes freehold land and leasehold land, to be shown distinctly
2. Site Development	
3. Buildings	Include Institution's buildings like college buildings, office buildings, staff residential buildings, hostel buildings, temporary structures and sheds.
4. Plant and machinery	Include air conditioners, water/air coolers, generator sets, television sets, fire extinguishers, etc.
5. Electrical installation	Include electrical fixtures and fittings such as fans, and tube light fittings
6. Tube wells & water supply system	Tubewells and watersuppiy systems may be shown as a distinct category
7. Office equipment	Include such items as fax machines, photocopiers, EPABX, typewriters, duplicating machines, etc.
8. Laboratory & Scientific Equipment	Include such items as microscopes, telescopes, dissection equipment, glass apparatus,measurement instnrments and othertypes of laboratory equipment,
9. Audio Visual Equipment:	Include Television sets, overhead projector, Tape Recorders, DVD/ VCD Player, Camera,Movie Projectors etc.

10. Furniture, fixtures and Fittings	Include items such as desks/benches, cabinets, almirahs, tables, chairs, partitions, etc.
11. ComputersIPeripherals	Include computers, printers and other peripherals like , UPS etc.
12. Sports Equipment	Include items such as table tennis table, gym equipment.
13. Vehicles	Include Buses, lorries, vans, Cars, scooters, etc.
14. Library Books and Scientific Journals	Library books will include books/ Scientific Journals
15. Intangible assets	Include computer software, patents & trade marks, E Journals specified separately.

IndiaCode

16. Capital Work-In- Progress	Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they areready for their intended use. Plant, machinery and equipment acquired and pendinginstallation and commissioning should also be included here.

SCHEDULE 4 FIXED ASSETS

Amount in Rupees

Sl.No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the year ……				Net Block	
		Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl. Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03 …	31.03 …
1	Land										
2	Site Development										
3	Buildings										
4	Roads & Bridges										
5	Tubewell& Water Supply										
6	Sewerage & Drainage										
7	Electrical Installation and equipment										
8	Plant & Machinery										
9	Scientific & Laboratory Equipment										
10	Office Equipment										
11	Audio Visual Equipment										
12	Computers & Peripherals										
13	Furniture, Fixture & Fittings										
14	Vehicles										
15	Lib. Books & Scientific Journals										
16	Small Value Assets										
	Total (A)										

IndiaCode

17	Capital Work in Progress (B)										

Sl. No.	Intangible Assets	Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl.-Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03 …	31.03 …
18	Computer Software										
19	E-Journals										
20	Patents										
	Total (C)										

Grand Total (A+B+C)											

Note: The figure in Column "Deductions' under Gross Block against the head Capital Work in Progress represents the transfer from Work in Progress to Assets during the year;The figures in column 'Additions during the year under Gross Block against Assets 1 to 14 include transfer from Work in Progress during the year, as well as further acquisitions during the year.

India Code

SCHEDULE 4A PIAN

Amount in Rupees

Sl. No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the year ……				Net Block	
		Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl.Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03 …	31.03 …
1	Land										
2	Site Development										
3	Buildings										
4	Roads & Bridges										
5	Tubewell & Water Supply										
6	Sewerage & Drainage										
7	Electrical Installation and equipment										
8	Plant & Machinery										
9	Scientific & Laboratory Equipment										
10	Office Equipment										

11	Audio Visual Equipment										
12	Computers & Peripherals										
13	Furniture, Fixture & Fittings										
14	Vehicles										
15	Lib. Books & Scientific Journals										
16	Small Value Assets										

	Total (A)										

17	Capital Work in Progress (B)										

Sl. No.	Intangible Assets	Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl.Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03…	31.03....
18	ComputerSoftware										
19	E-Journals										
20	Patents										
	Total (C)										
	Grand Total (A+B+C)										

Indian Code

SCHEDULE 4B NON – PLAN

Amount in Rupees

Sl. No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the year ……				Net Block	
		Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl.Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03…	31.03…
1	Land										
2	Site Development										
3	Buildings										
4	Roads & Bridges										
5	Tubewell& Water Supply										

6	Sewerage & Drainage										
7	Electrical Installation and equipment										
8	Plant & Machinery										
9	Scientific & Laboratory Equipment										
10	Office Equipment										
11	Audio Visual Equipment										
12	Computers & Peripherals										
13	Furniture, Fixture & Fittings										
14	Vehicles										
15	Lib. Books & Scientific Journals										
16	Small Value Assets										

IndiaCode

Total (A)											

17	Capital Work in Progress (B)										

Sl.No.	Intangible Assets	Op.Balance 01.04……..	Additions	Deductions	Cl.Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03…	31.03…
18	Computer Software										
19	E-Journals										
20	Patents										
Total (C)											

Grand Total (A+B+C)										

SCHEDULE 4 C — INTANGIBLE ASSETS

Amount in Rupees

Sl No.	Asset Heads	Gross Block				Depreciation Block				Net Block	
		Op. Balance	Additions	Deductions	Cl. Balance	Depreciation/ Amortizations Opening Balance	Depreciation/ Amortizations for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation/ Amortizations	31.03.. .	31.03..
1	Patents & Copy-rights										
2	Com-puter Software										
3	E-Journals										

SCHEDULE 4(C) (i) PATENTS AND COPYRIGHTS

Amounts in Rupees.

Particulars	Op. Balance	Addition	Gross	Amortization	Net Block 20……	Net Block 20……..
A. Patents Granted 1 Balance as on 31.03.14 of Patents obtained in 2008-09 (Original Value - Rs..../-) 2 Balance as on 31.03.14 of Patents obtained in 2010-11 (Original Value - Rs..../-) 3 Balance as on 31.03.14 of Patents obtained in 2012-13 (Original Value - Rs..../-) 4 Patents granted during the Current Year						
Total						

IndiaCode

Particulars	Op. Balance	Addition	Gross	Patents Granted/Rejected	Net Block 2013-14	Net Block 2012-13
B. Patents Pending in respect of Patents applied for 1 Expenditure incurred during 2009-10 to 2011-12 2 Expenditure incurred during 2012-13 3 Expenditure incurred during 2013-14						
Total						

C. Grand Total (A+B)						

Note: The addition in Part A (patents granted), will be the figure of patents granted during the year, transferred from Part B (column – Patentsgranted/rejected). The amount against grants rejected during the year is written off in the Income and Expenditure Account.

SCHEDULE 4D OTHERS

Amount in Rupees

Sl. No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the year ……				Net Block	
		Op.Balance 01.04… …..	Additions	Deductions	Cl.Balance	Dep Opening Balance	Depreciation for the year	Deduction/ Adjustment	Total Depreciation	31.03 …	31.03…
1	Land										
2	Site Development										
3	Buildings										
4	Roads & Bridges										
5	Tubewell & Water Supply										
6	Sewerage & Drainage										
7	Electrical Installation and equipment										
8	Plant & Machinery										
9	Scientific & Laboratory Equipment										
10	Office Equipment										
11	Audio Visual Equipment										
12	Computers & Peripherals										
13	Furniture, Fixture & Fittings										
14	Vehicles										
15	Lib. Books & Scientific Journals										
16	Small Value Assets										
Total											
17	Capital Work in Progress										
Grand Total											

Note: The additions during the Year include additions form:

Gifted ….

Earmarked Funds ….

IndiaCode

Sponsored Projects ….
Own Funds ….
Total ….

SCHEDULE 5: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
1. In Central Government Securities 2. In State Government Securities 3. Other approved Securities 4. Shares 5. Debentures and Bonds 6. Term Deposits with Banks 7. Others (to be specified)		
Total		

SCHEDULE 5 (A) INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (FUND WISE)

Amount in Rupees

Sl. No.	Funds	Current Year	Previous Year
1 2 3 4 5	Endowment Fund Investments		
	Total		

IndiaCode

Note : The Total in this sub scheudle will agree with the total in Scheudle 5.

SCHEDULE 6 — INVESTMENTS - OTHERS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
1.In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds		
6. Others (to be specified)		
Total		

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
1.Stock		
a) Stores and Spares		
b) Loose Tools		
c) Publications		

d) Laboratory chemicals, consumables and glass ware		
e) Building Material		
f) Electrical Material		
g) Stationery		
h) Water supply material		
2. Sundry Debtors:		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others		
3. Cash and Bank Balances		
a) With Scheduled Banks:		
- In Current Accounts		
- In term deposit Accounts		
-In Savings Accounts		
b) With non-Scheduled Banks:		
- In term deposit Accounts		
- In Savings Accounts		
4. Post Office- Savings Accounts		
TOTAL		

Note: Annexure A shows the details of Bank Accounts

ANNEXURE A

Amount in Rupees

I. Savings Bank Accounts 1. Grants from UGC A/c 2. University Receipts A/c 3. Scholarship 4. Academic Fee Receipt A/c 5. Development (Plan) A/c 6. Combined Entrance Exams(CBT) A/c 7. UGC Plan Fellowship A/c 8. Corpus Fund A/c (EMF) 9. Sponsored Projects Fund A/c 10. Sponsored Fellowship A/c 11. Endowment & Chair A/c (EMF) 12. UGC JRF Fellowship A/c (EMF) 13. HBA Fund A/c (EMF) 14. Conveyance A/c (EMF) 15. UGC Rajiv Gandhi National Fellowship A/c (EMF) 16. Academic Development Fund A/c (EMF) 17. Deposit A/c 18. Student Fund A/c 19. Student Aid Fund NC 20.Plan Grants for specific schemes **II. Current Account** **III. Term Deposits with Schedule Banks**	
Total	

IndiaCode

SCHEDULE 8 - LOANS. ADVANCES &DEPOSITS .

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
1. Advances to employees: (Non-interest bearing)		
a) Salary		
b) Festival		
c) Medical Advance		
d) Other (to be specified)		
2. Long Term Advances to employees: (Interest bearing)		
a) Vehicle loan		
b) Home loan		
c) Others (to be specified)		
3. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account		
b) to Suppliers		
c) Others		
4. Prepaid Expenses		
a) Insurance		
b) Other expenses		
5. Deposits		
a) Telephone		
b) Lease Rent		
c) Electricity		
d) AlCTE, if applicable		
e) Others (to be specified)		

IndiaCode

6. Income Accrued:		
a) 0n Investments from Earmarked:IEndowment Funds		
b) On Investments-Others		
c) On Loans and Advances		
d) Others (includes income due unrealized)		
7. Other - Current assets receivable from UGC/sponsored projects		
a) Debit balances in Sponsored Projects		
b) Debit balances in Sponsored Fellowships 8. Scholarships		
c) Grants Receivable		
d) Other receivables from UGC		
8. Claims Receivable		
TOTAL		

Note:

1. If revolving funds have been created for House Building, Computer and Vehicle advances to employees, the advances will appear as part of Earmarked/endowment Funds. The balance against these interest —bearing advances will not appear in this schedule.

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &EXPENDITURE ACCOUNT

SCHEDULE 9 - ACADEMIC RECEIPTS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
FEES FROM STUDENTS		
Academic		
1. Tuition fee		

2. Admission fee		
3. Enrolment fee		
4. Library Admission fee		
5. Laboratory fee		
6. Art & Craft fee		
7. Registration fee		
8. Syllabus fee		
Total (A)		
Examinations		
1. Admission test fee		
2. Annual Examination fee		
3. Mark sheet, certificate fee		
4. Entrance examination fee		
Total (B)		
Other Fees		
1. Identity card fee		
2. Fine/ Miscellaneous fee		
3. Medical fee		
4. Transportation fee		
5. Hostel fee		
Total (C)		
Sale of Publications		
1. Sale of Admission forms		
2. Sale of syllabus and Question Paper, etc.		
3. Sale of prospectus including admission forms		
Total (D)		
Other Academic Receipts		
1. Registration fee forworkshops, programmes		
2. Registration fees (Academic Staff College)		
Total (E)		
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)		

IndiaCode

Note:

In case fees like entrance fee, subscriptions etc are material and are in the nature of capital receipts, such amount should be recognized to the Capital Fund. Otherwise such fees will be appropriately incorporated in this schedule

SCHEDULE 10 — GRANTS / SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANTS RECEIVED)

Amount in Rupees

Particulars	Plan			Total Plan	Non Plan UGC	Current Year Total	Previous Year Total
	Govt. of India	UGC					
		Plan	Specified Schemes				
Balance B/F Add: Receipts during the year							
Total							
Less: Refund to UGC Balance Less: Utilised for Capital expenditure (A)							

Balance							
Less: utilized for Revenue Expenditure (B)							
Balance C/F (C)							

A- Appears as addition to Capital Fund as well as additions to Fixed Assets during the year.

B- Appears as income in the Income & Expenditure Account.

C- (I) Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.

(II) Represented by Bank balances, Investments and-Advances on the assets side.

SCHEDULE 11 - INCOME FROM INVESTMENTS

Amount in Rupees

Particulars	Earmarked / Endowment Funds		Other Investments	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest a. On Government Securities b. Other Bondleebentures 2. Interest on Term Deposits 3. Income accrued but not due on Term Deposits/Interest bearing advances to employees 4. Interest on Savings Bank Accounts 5. Others (Specify)				
Total				
Transferred to Earmarked/Endowment Funds				
Balance	NIL	NIL		

IndiaCode

Note: Interest accrued but not due on Term Deposits from HBA fund-conveyance advance fund and Computer Advance fund and on interest bearingadvances to employees will be included here (Item 3), only where Revolving funds (EMF) for such advances have been set up.

SCHEDULE 12: INTEREST EARNED

Amount in Rupees

Particulars	Current Year	Previous Year
1. On Savings Accounts with scheduled banks 2. On Loans a. Employees/Staff b. Others 3. On Debtors and Other Receivables		
Total		

Note:

1. The amount against item 1, in respect of Bank Accounts of Earmarked/Endowment Funds is dealt with in Schedule 11 (First Part) and Schedule 2.

2. Item 2(a) is applicable only if Revolving funds have not been constituted for such advances.

SCHEDULE 13- OTHER INCOME

- Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

Amount in Rupees

A. Income from Land & Buildings	Current Year	Previous Year
1. Hostel Room Rent		

2. License fee		
3. Hire Charges of Auditorium/Play ground/Convention Centre, etc		
4. Electricity charges recovered		
5. Water charges recovered		
Total		
B. Sale of Institute's publications		
C. Income from holding events		
1. Gross Receipts from annual function/ sports carnival		
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/sports carnival		
2. Gross Receipts from fetes		
Less: Direct expenditure incurred on the fetes		
3. Gross Receipts for educational tours		
Less: Direct expenditure incurred on the tours		
4. Others (to be specified and separately disclosed)		
Total		
D. Others		
1. Income from consultancy		
2. RTI Fees		
3. Income from Royalty		
4. Sale of application from (recruitment)		
5. Misc. receipts (Sale of tender from, waster paper, etc.)		
6. Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned assets		
b) Assets received free of cost		
7. Grants/Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations		
8. Others (specify)		
Total		
Grand Total (A+B+C+D)		

IndiaCode

SCHEDULE 14 - PRIOR PERIOD INCOME

Amount in Rupees

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Academic Receipts		
2. Income from Investments		
3. Interest earned		
4. Other Income		
TOTAL		

SCHEDULE 15 — STAFF PAYMENTS & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

- These shall be classified separately for teaching and non-teaching staff; adhoc staff. O Arrears of DA, Salary arrears due to increment shall be shown separately

Amount in Rupees

	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Salaries and Wages						
b) Allowances and Bonus						
c) Contribution to Provident Fund						
d) Contribution to Other Fund (specify)						
e) Staff Welfare Expenses						

f) Retirement and Terminal Benefits						
g) LTC facility						
h) Medical facility						
i) Children Education Allowance						
j) Honorarium						
l) Others (specify)						
TOTAL						

SCHEDULE 15 A — EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

Amount in Rupees

	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Opening Balance as on_____ Addition : Capitalized value of Contributions Received from other Organizations				
Total (a)				
Less : Actual Payment during the Year (b)				
Balance Available on 31.03 c(a-b)				
Provision required on 31.03 as per Actuarial Valuation (d)				
Provision to be made in the Current year (d-c)				
Contribution to New Pension Scheme C. Medical Reimbursement to Retired Employees D. Travel to Hometown on Retirement E. Deposit Linked Insurance Payment				
Total (A+B+C+D+E)				

IndiaCode

Note:

1. The total (A+B+C+D+E) in this sub schedule will be the figure against Retirement and Terminal Benefits in Schedule 15.

2. 2. Items B,C,D&E will be accounted on accrual basis and will include bills preferred but outstanding for payment on 31/3.

SCHEDULE 16 - ACADEMIC EXPENSES

Amount in Rupees

	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Laboratory expenses						
b) Field work/Participation in conferences						
c) Expenses on Seminars/Workshops						
d) Payment to visiting faculty						
e) Examination						
f) Student Welfare expenses						
g) Admission expenses						
h) Convocation expenses						
i) Publications						
j) Stipend/means-cum-merit scholarship						
k) Subscription Expenses						
l) Others (specify)						
TOTAL						

SCHEDULE 17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

Amount in Rupees

	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
A Infrastructure						
a) Electricity and power						
b) Water Charges						
c) Insurance						
d) Rent, Rates and Taxes (including property tax)						
B Communication						
e) Postage and Stationery						
f) Telephone, Fax and Internet Charges						
C Others						
g) Printing and Stationery (consumption)						
h) Travelling and conveyance Expenses						
i) Hospitality						
j) Auditors Remuneration						
k) Professional Charges						
l) Advertisement and Publicity						
m) Magazines & Journals						
n) Others (specify)						
TOTAL						

SCHEDULE 18 — TRANSPORTATION EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1 Vehicles (owned by institution) a) Running expenses b) Repairs & maintenance c) Insurance expenses 2. Vehicles taken on rent/lease a) Rent/lease expenses 3. Vehicle (Taxi) hiring expenses						
TOTAL						

SCHEDULE 19 - REPAIRS & MAINTENANCE

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Buildings b) Furniture & Fixtures c) Plant & Machinery d) Office Equipment e) Computers f) Laboratory & Scientific equipment g) Audio Visual equipment h) Cleaning Material & Services i) Book binding charges						

IndiaCode

j) Gardening k) Estate Maintenance l) Others (Specify)						
TOTAL						

SCHEDULE 20 - FINANCE COSTS

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Bank Charges						
b) Others (specify)						
Total						

Note:-

If the amount is not material, the head Bank charges could be omitted and these could be accounted as Administrative expenses in Schedule 17.

SCHEDULE 21 - OTHER EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances						
b) lrrecoverable Balances Written - off						
c) Grants/Subsidies to other institutions/organizations						
d) Others (specify)						
TOTAL						

IndiaCode

Note:-

Other expenses shall be classified as writes - off, provisions, miscellaneous expenses, loss on sale of investments, loss of fixed assets and loss on sale of fixed assets etc and disclosed accordingly.

SCHEDULE 22: PRIOR PERIOD EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1. Establishment expenses						
2. Academic expenses						
3. Administrative expenses						

4. Transportation expenses						
5. Repairs & Maintenance						
6. Other expenses						
Total						

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTSSCHEDULE: 23

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

2.1 Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis. Tuition Fees collected separately for each semester is accounted on accrual basis.

2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.

2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

3.2 Gifted / Donated assets are valued at the declared value where available; if not available, the value is estimated based on the present market value adjusted with reference to the physical condition of the asset. They are set~up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

3.3 Books received as gifts, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on assessment.

3.4 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

Tangible Assets:

1.	Land	0%
2.	Site Development	0%
3.	Buildings	2%
4.	Roads & Bridges	2%
5.	Tube wells & Water Supply	2%
6.	Sewerage & Drainage	2%
7.	Electrical Installation and equipment	5%
8.	Plant & Machinery	5%
9.	Scientific & Laboratory Equipment	8%
10.	Office Equipment	7.5%
11.	Audio Visual Equipment	7.5%
12.	Computers & Peripherals	20%
13.	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14.	Vehicles	10%
15.	Lib. Books & Scientific Journals	10%

Intangible Assets (amortization):

1. E-Journals 40%
2. Computer Software 40%

IndiaCode

3. Patents and Copyrights 9 years

3.5 Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

3.6 Where an asset is fully depreciated it will be carried at a residual value of Re 1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year separately at the rate of depreciation applicable for that asset head.

3.7 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the Institution, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets. Assets created out of Sponsored Project funds, where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the Institution are separately disclosed in the Notes on Accounts.

3.8 Assets, the individual value of each of which is Rs. 2000 or less (except Library Books) are treated as Small Value Assets, 100% depreciation is provided in respect of such assets at the time of their acquisition. However physical accounting and control are continued by the holders of such assets.

4. **Intangible Assets:** Patents and copy rights, E Journals and Computer Software are grouped under Intangible Assets.

4.1 **PATENTS:** The expenditure incurred from time-to-time (application fees, legal expenses etc.) for obtaining Patents is temporarily capitalized and shown as part of Intangible Assets in the Balance Sheet. If applications for patents are rejected, the cumulative expenditure incurred on the particular patent is written off to the Income & Expenditure Account in the year the application is rejected.

The expenditure on Patents granted is written off over a life of 9 years on a conservative basis.

4.2 Electronic Journals (E—Joumals) are separated from Library Books in View of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E—journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4.3 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.

5. **STOCKS:** Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31St March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Departments. They are valued at cost.

6. **RETIREMENT BENEFITS**

Retirement benefits i.e., pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation. Capitalized Value of pension and gratuity received from previous employers of the Institution's employees, who have been absorbed in the Institution, is credited to the respective Provision Accounts. Pension contribution received in respect of employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account. The Actual payments of Pension, Gratuity and Leave encashment are debited in the Accounts to the respective provisions. Other retirement benefits viz. Deposit Linked Insurance, Contribution to New Pension Scheme, Medical reimbursement to retired employees and Travel to Home Town on retirement are accounted on accrual basis (actual payments plus outstanding bills at the end of the year).

7. **INVESTMENTS**

a. Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lOWer. However any permanent diminution in their value as on the date of the Balance Sheet is provided for.

b. Short Term investments are carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.

8. **Earmarked/Endowment Funds**

The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with large balances also have investments in Government Securities, Debentures and Bonds and Term Deposits with Banks. The income from investments / advances (House Building Conveyance and computer) on accrued basis and interest on savings Bank Accounts are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building & Conveyance/Computer) are debited to the fund. The assets created out of Earmarked Funds where the ownership Vests in the Institution, are merged with the assets of the Institution by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank , Investments and accrued interest.

8.1 **CORPUS FUND** was established in (year). Matching contribution from University Grants Commission, Recognition/Affiliation fee received from Colleges and other academic institutions, Institutions share of Consultancy fees and contributions from Research Projects are treated as additions to Corpus fund.

Income from investments of the fund is added to the Fund. The Corpus Fund is utilized for both Revenue and Capital expenditure based on the guidelines by the University Grants Commission and the Executive council of the Institution from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the Institution by crediting an

equal amount to the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward is represented by the balance in a separate Bank account, investment in RBI Bonds and Fixed Deposits with the Bank and Accrued interest on investments.

8.2 **A. D Fund**

This fund was established on ISI February 2006. The fund is to be utilized for some of the innovative Programmes, and for sustenance of its research and such other development activities as laid down by the Executive Council from time to time.

8.3 **House Building Advances Fund**

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to the officers & staff for House Building.

8.4 **,JRF/SRF Fund**

Fund provided by the UGC/Government for the purpose of paying Fellowships to .l unior/ Senior Research Fellows.

8.5 **Conveyance Fund (including Computer advances)**

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers and computers.

8.6 **Rajiv Gandhi National Fellowship Fund**

Fund provided by University Grants Commission for fellowship to SC/ST Students of the University.

8.7 **Endowment Funds**

Endowments are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations, for establishing Chairs and for Medals & Prizes, as specified by the Donors. While each of the Endowment funds has its own investment there is one savings Bank Account for all the Endowment funds, as the uninvested balances against them are negligible.

The income from investment of each Endowment Fund is added to the Fund. The interest on Savings Bank a/c is allocated to all the Endowment funds in the ratio of the year end closing balances in each fund. The expenditure on Medals & Prizes is met from the interest earned on investment of the respective Endowment Funds and the balance is carried ferward. In respect of Chairs, however, the corpus of the Endowment is also used.

The balances are represented by Investment in RBI Bonds and Fixed Deposits and balance in the Saving Bank Account common for all Endowments, and Accrued Interest on Investments.

9 **GOVERNMENT AND UGC GRANTS**

9.1 Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31St March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.

9.2 To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

9.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

9.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the BalanceSheet.

10. **INVESTMENTS OF EARMARKED FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS:**

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Savings Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the Institution.

11. **SPONSORED PROJECTS**

11.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received fiom sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions —Current Liabilities —Other Liabilities ~Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred ladvances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.

11.2 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.

11.3 The Institution itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses.

12. **INCOME TAX**

The income of the Institution is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

SCHEDULE: 24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS (ILLUSTRATIVE)

1. CONTINGENT LIABILITIUES:

1.1 As on 31.03. Court Cases filed against the Institution, by former / present employees, tenants and contractors and arbitration cases with contractors, were pending for decisions. The suits filed by employees were establishment — related viz promotions, increments, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable. The claim in the suits and arbitration cases by contractors amounted to Rs. Lakhs (Previous Year Rs Lakhs) '

1.2 Letters of credit established by the Bank on behalf of the Institution and outstanding on 31.03. - Rs..... (Previous year Rs.).

1.3 Disputed demands in respect of Sales Tax Rs..... (Previous Year)

Municipal Taxes Rs..... (Previous Year)

2. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for (Net of Advances) amounted to Rs._____ as on 31.03 (Previous year Rs Crores).

3. FIXED ASSETS:

3.1 Additions in the year to Fixed Assets in Schedule" include Assets purchased Out of Plan Funds (Rs ,Non- Plan Funds (Rs), A. D Fund (Rs), Fund (Rs), Sponsored Projects (Rs) and Library Books and other assets of the value of Rs gifted to the Institution. The Assets have been set up by credit to Capital Fund.

3.2 In the Balance Sheet-as on 31.3.... and the Balance Sheets of earlier years, Fixed Assets created out of Plan funds and Fixed Assets created out of non plan funds were not exhibited distinctly. The additions during the years from , from plan, non— plan funds, and other funds, and the depreciation on those additions respectively have been exhibited distinctly in Sub Schedules A,B C and D to the main schedule of Fixed Assets(Schedule 4).

3.3 Fixed assets as set out in Schedule 4 do not include assets purchased out of funds of sponsored projects, held and used by the Institution, as project contracts include stipulations that all such assets purchased out of projects funds will remain the property of the sponsors.

IndiaCode

The details of such assets are:

Assets	Original Cost as on 1.4. Rs.	Additions during the year Rs.	Total Rs.	Notional Depreciation Opening Balance	Notional Depreciation for the year Rs.	Total Notional Depreciation	Total Book value on 31.3 Rs.
Laboratory Equipment							
Computers							
Office equipment							
Furniture, Fixtures & Fittings							
Total							

4. **PATENTS:** An accounting policy in respect of expenditure on Patents was evolved for the first time during The expenditure incurred on Patents granted during the years upto..... and the expenditure on the applications for Patents pending as on 31.03.... were set up in the accounts of , by credit to Capital Fund. The expenditure incurred in ……., has directly been debited to the head.

5. **DEPOSIT LIABILITIES** - The amount outstanding as Earnest Money Deposit & Security Deposits of Rs.-—— - towards unclaimed deposits, prior to the Financial Year was transferred to Revenue Account and accounted as Miscellaneous Income for the year

6. **EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY:**

a. Travel ----------

b. Foreign Drafts for import of chemicals etc ----------

c. Others. ----------

7. **CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES AND DEPOSITS**

In the opinion of the Management, the current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

8. The details of balances in Saving Bank Accounts, Current Accounts and Fixed Deposit Accounts with Banks are enclosed as attachment 'A' to the Schedule of Current Assets.

9. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

10. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

11. Schedules l to 24 are armexed to and fonn an integral part of the Balance Sheet at 31St March and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.

12. As the Provident Fund Accounts and the New Pension Scheme Account are owned by the members of those funds and not by the Institution, these accounts were separated from the Institution's Accounts from . A Receipts & Payments Account, an Income & Expenditure Account (on Accrual basis) and a Balance Sheet of the Provident Fund Accounts as well as the New Pension Scheme for the year have been attached, to the Institution's Accounts. A large portion of the New Pension Scheme funds (Rs.———-- Crores) in respect of --———— employees who have been allotted PRA numbers has been transferred up to , to National Securities Depository Limited (N SDL) — Central Record keeping Agency (CRA). The balance held in New Pension Scheme in the Institution in respect of about ----- members will be transferred in. . .' once the PRA numbers are allotted by the agency.

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (CENTRAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS)

NAME OF ENTITY _____

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED

Amount in Rupees

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
Opening Balances a) Cash Balances b) Bank Balance i. In Current accounts ii. In deposit accounts iii. Savings accounts			I. Expenses a) Establishment Expenses b) Academic Expenses c) Administrative Expenses d) Transportation Expenses e) Repairs & Maintenance f) Prior period expenses		
II. Grants Received a) From Government of India b) From State Government c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp/ to be Shown separately if available)			II. Payments against Earmarked/ Endowment Funds		
III. Academic Receipts			III. Payments against Sponsored Projects/Schemes		
IV. Receipts against Earmarked/ Endowment Funds			IV. Payment against Sponsored Fellowships/Scholarships		
V. Receipts against Sponsored Project/Schemes			V. Investments and Deposits made a) Out of Earmarked/ Endowments funds b) Out of own funds (Investments . Others)		
VI. Receipts against sponsored			VI. Term Deposits with Scheduled Banks		

IndiaCode

Fellowships and Scholarships					
VII. Income on Investments from a) Earmarked/Endowment funds b) Other investments			VII. Expenditure on Fixed Assets and Capital Works - in - Progress a) Fixed Assets b) Capital Works-in – Progress		
VIII. Interest received on a) Bank Deposits b) Loans and Advances c) Savings Bank Accounts			VIII. Other Payments including statutory payments		
IX. Investments encashed			IX. Refunds of Grants		
X. Term Deposits with Scheduled Banks Encashed			X. Deposits and Advances		
XI. Other income (including Prior Period Income)			XI. Other Payments		
XII. Deposits and Advances			XII. Closing balances a) Cash in hand b) Bank balances In Current Accounts In Savings Accounts In Deposit Accounts		
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts					
XIV. Any Other Receipts					
TOTAL			**TOTAL**		

IndiaCode

GPF AND NPS ACCOUNTS

PROVIDENT FUND ACCOUNT

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Amount in Rupees

Amount	Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount
	GPF Opening Balance Less: Subscription for March 2014 Add: Subscriptions in the year Add: Sub for March 2015 Add: Interest Credited Less: Advance/withdrawal Closing Balance **CPF** Opening Balance Less: Sub. for March 2014 Add: Subscriptions in the year Add: Sub for March 2015 Add: Interest Credited			Investment Int. accrued as on 31/03/15 Subscription Due for March ,2015: GPF CPF UC due to CPF NPS-II Tax recovered from interest on Investments Pending refund from Income Tax Department **Cash at Bank** SBI, Branch- I ,, ,, II Bank	

	Less: Advance/withdrawal Closing Balance				

	University Contribution (CPF) Opening Balance Less: Contribution for March 14 Add: Subscriptions in the year Add: Contribution for March 15 Add: Interest Credited Less: Advance/withdrawal Closing Balance **NPS Tier-II Account** Opening Balance Less: Sub. for March 14 Add: Subscriptions In the year Add: Sub for March 15 Add: Interest Credited Less: Advance/withdrawal Closing Balance **Interest Reserve** Opening Balance Add: Excess of Income over Expenditure Closing Balance				
	TOTAL				

IndiaCode

PROVIDENT FUND ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/14

Amount in Rupees

Amount 31/Mar/14	Expenditure	Amount 31/Mar/15	Amount 31/Mar/14	Income	Amount 31/Mar/15
	Interest Credited to: GPF Account CPF Account University Contribution (CPF) NPS Tier-II Account Excess of Income over Expenditure			Interest earned on Investment Add: Interest accrued on 03/15 Add: Tax recovered on interest - Refund to be obtained Less Interest secured for March 14 Excess of Expenditure over Income	
	TOTAL			**TOTAL**	

PROVIDENT FUND ACCOUNT

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014-15

Amount in Rupees

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balance as on 1/4/14 SBI, Branch-I SBI, Branch-II Bank GPF Subscription CPF Subscription CPF University Contribution NPS Tier-II Account Investment Encashed Interest Received		GPF Adv./Withdrawal CPF Adv./Withdrawal NPS Tier-II University Contribution Withdrawal Investment during the year **Closing Balance:-** SBI, Branch-I SBI, Branch-II Bank	
Total		**Total**	

NPS TIER - I ACCOUNT

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

Amount in Rupees

Amount	Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount
	NPS Tier -I Account Opening Balance . Less: Sub. For 3/2014 Add: Sub+U Contribution Add: Interest Credited Less: Transferred to NSDL Add: Sub+UC for 312015 Excess of Income over Expenditure Balance as on 1.4.2014 Add: During the year			**NPS Tier - l Account** Subscription and Contribution due for 3/15 Investment Interest Accrued but not due Balance at Bank	
	Total			**Total**	

IndiaCode

NPS TIER - I ACCOUNT

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2013-14

Amount In Rupees

Amount	Expenditure	Amount	Amount	Income	Amount
	Interest Credited to Subscribers' Accounts Bank Charges Excess of Income over Expenditure			Interest Earned on Investment Less: Interest Accrued 31/03/14 Interest Accmed but not due.	
	Total			**Total**	

NPS TIER - I ACCOUNT

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2014-15

Amount in Rupees

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balance as on 1/4/2014		Investment	

NPS Tier-I Account Own Subscription University Contribution Interest Received on Investment Interest on saving bank a/c Investment Encashed		Withdrawal/Refund to NSDL Closing Balance as on 31/03/2015	
Total		**Total**	

INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES

1. The financial statements of non-profit and other similar organizations (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; and shall be in the form suggested, or as near thereto as possible.
2. Normally, Central Educational Institutions cannot raise loans, particularly by pledging their Assets. The heads Secured Loans & unsecured Loans do not therefore find a place in the Balance Sheet. If however there is a rare case of an institution getting a World Bank Loan, a new head "unsecured loans" could'be included on the Liabilities side of the Balance Sheet supported by a Schedule.
3. It is mandatory to follow the Accounting Standards applicable for Autonomous organizations and Higher Educational Institutions. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.
4. A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements. The significant Accounting Policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the financial Statements.

 Accounting policies shall be applied consistently from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in later periods, shall be disclosed in the Notes on Accounts. In case of a change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is affected by Such change, shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.
5. The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.
6. In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.

 If the information required to be given under any of the items or sub-items in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure Account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or the Income and Expenditure account. This is recommended where items are numerous.
7. The Schedules referred to above and the Schedules forming part of the Accounts (Significant Accounting Policies; Contingent liabilities and Notes on Accounts) should form an integral part of the financial statements.
8. The corresponding amounts for the immediately preceding year for all items shown in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account should also be given in the Balance Sheet or Income and Expenditure Account as the case may be.
9. Revenue shall not be recognized unless:
 a. The related performance has been achieved;
 b. No significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration; and
 c. It is not unreasonable to expect realization and ultimate collection.

10. Provision shall be made for all knOWn liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information).

Provision means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provision shall be made for contingent loss, if:

a) It is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date, and

b) A reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of- a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.

l1) Where any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which is considered reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not as a provision.

12) Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of:

(a) "Prior period" items, which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions or non provision of Liability for outstanding expenses due to adoption of Cut — off date for the purpose of closing the accounts, in the preparation of the financial statements of one or more prior periods. The concept of Prior Period Income and Prior Period expenditure applies only to Revenue items, and not to Asset/Liability Accounts. The latter are accounted in the year in which the corresponding transactions take place.

(b) "Extra ordinary" items. which are material items of income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

(c) Any item under the head "Miscellaneous Income" which exceeds 1 per cent of the total turnover/gross income of entity or Rs.50,000/—, whichever is higher. This shall be shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

(d) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent 01' the total tumover/gross income of entity or Rs.50,000/— whichever is higher. This shall be shown as a separate and distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure account.

13) A Receipts and Payments Account shall also be prepared by the Educational Institutions.

14) Disclosures as suggested in the formats are minimum requirements. An Educational Institute is encouraged to make additional disclosures.

15) The figures in the Balance Sheet and Income and Expenditure Account, if rounded off, shall be rounded off as below:

Amount of turnover (in Rs.)	Rounding off to (Rs.)
Less than One Lakh	Hundred
One lakh or more but less than one crore	Thousand
One crore or more but less than one hundred crore	Lakh
One hundred or more but less than one thousand crore	Crore

16) Reference may also be made to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relation to the formats suggested.

17) Most Central Universities and Institutes of Higher education, manage the general Provident Fund and New Pension Scheme Funds. These are owned by the members and hence cannot be accounted as part of the Accounts of the Institutions. As these are managed by them along with theiraccounts, it is necessary to prepare annually for these funds, a Balance Sheet, an Income and Expenditure Account (on accrual basis) and aReceipts and Payments Account and separately attach them to the accounts of the Institution, to show that they are managed in the best interestsof the members.

In respect of the New Pension Scheme, funds in respect of the employees who have been allotted PRA numbers, would have been transferred to the National Securities Depository Limited (NSDL) - Central Record Keeping Agency (CRA). In these cases, only the employers contribution along with the subscription recovered are transferred every month to NSDL. "The employers contribution is included in Schedule 15 — Establishment expenses — Retirement and Terminal Benefits"

If there are any employees whose subscriptions and matching contributions have been retained and managed by the Institution pending allotment of PRA numbers, the annual Accounts of the New Pension Scheme (including interest credited) to be attached separately to the accounts of the Institution, will cover only such employees.

The formats in which GPF, CPF and NPS Annual Accounts have to be Prepared, are attached.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES

BALANCE SHEET

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND

a) Corpus/Capital Fund is akin to Capital, Share Capital or owners' (promoters') Funds.

b) Where an Institute has a separate Corpus Fund as an Earmarked Fund, the heading in the Balance Sheet and in this schedule should be changed as "Capital Fund", to avoid confusion. The name "Corpus Fund" under Earmarked Funds may appropriately be changed to indicate the nature of the Fund.

c) Where there is no separate Corpus Fund, the head Corpus / Capital Fund in the Balance Sheet as well as in the Schedule will continue.

d) The other additions to the Capital Fund are:

i) Grants from Government fUGC to the extent utilized for capital expenditure.

ii) Assets purchased out of Earmarked Funds.

iii) Assets purchased out of sponsored project funds, where ownership vests in the Institution.

iv) Assets DonatedfGifted.

v) Others, if any

When grants are received, Bank Account (Dr) and Grants Account (Cr) are affected. When capital expenditure is incurred from the grant funds, only the Bank Account (Cr) and Asset Accounts (Dr) are affected but the Grants Account itself is not affected. If therefore becomes necessary to bring down the balance in the Grants Account correspondingly. This is done by debiting Grants Account and crediting Capital Fund through a journal entry. In respect of items d(ii) and d(iii) above, when capital expenditure is incurred, the concerned Earmarked Fund/Sponsored Project is debited. The Assets account is not affected though the assets are physically present in the institution. As they are owned by the Institution, they have to be exhibited in the Balance Sheet by merging them with the Fixed Assets of the Institution. They are free as far as the institution is concerned and hence they are set up by debiting Assets and Crediting Capital Fund. In such organizations (unlike in companies where they are credited to a Capital Reserve), Capital Reserve has no particular significance or use, and hence the credit is given to Capital Fund.

Item d(iv) is a gifted asset which is also owned by the Institution. It has therefore to be set up by debit to Asset account and Credit to Capital Fund, for the same reasons as stated above.

e) Based on the cardinal principle that all profits and losses belong to owners, the excess of income over expenditure should be added to the Capital Fund and the excess of expenditure over income should be deducted from the Capital Fund.

f) The opening Balance, Additions to and Deductions from, and the closing balance of the Capital Fund shall be shown in the Schedule.

SCHEDULE 2 - DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

CHARACTERISTICS OF EARMARKED FUNDS

Designated/Earmarked Funds are funds set aside by the Educational Institution or provided by External Agencies for specific purposes. Where they are set aside by the institution, the Competent Authority (eg: Executive Committee/Governing Body/Concerned Governing Structure) lays down items of income which could be accounted under the Earmarked fund and the items of expenditure permissible to be met from the fund. They are normally long term, with Specific objects(s), accompanied by investments on the Assets side. Income from investments flows back to the fund. The expenditure on the object(s) both Revenue and capital are debited to the Fund and the balance is carried forward from year to year.

The balance in each fund is represented on the Assets side by Bank balance, Investments. and Income accrued but not due. This should be shown in a table below the main schedule.

It is desirable to have a separate Bank Account for each Earmarked Fund.

Endowment Funds are also earmarked funds but are restrictive about the object and about the use of the Fund. Donors generally give Endowments for Medals, Prizes, Fellowships and Scholarships, specifying the subject for which the endowment is given and the criteria for awarding the Medal/Prize/Fellowship/Scholarship. The other restriction is that the corpus of the endowment cannot be used for the expenditure on the MedallPrize/Fellowship/Scholarship and only the income from investment of the relevant fund can be used for the purpose. This necessitates separate individual investment in respect of each Endowment Fund. However, therc would be no need to have a separate Bank Account for each Endowment fund, as the balances left in each fund after investment would be very small. The interest earned on one Savings Bank Account for all Endowment funds, could be apportioned to all the funds at the end of the year proportionately, based on the closing balances in each of the funds.

In Educational Institutions, Endowments are also received for establishing Chairs in subjects as desired by the Donor. The Endowment covers the salaries, and contingencies of the professor to be appointed to the Chair and hence the

corpus of the endowment can be used for expenditure (unlike in the case of medals etc where only the interest from investments could be used).

As the number of endowments is usually very large, the last column in schedule 2, could be used for including the total figures against all the endowments, supported by sub — schedule 2A listing all the endowments individually, with full details.

The following shall NOT be reckoned as part of Earmarked Funds:

a) Grants/funds which have the characteristics of promoters' contribution and are of the nature of additions/accretion to the Corpus/CapitalFund.

b) Funds/grants received by the Entity to meet Deficit on Revenue Account (Revenue expenditure) and Plan grants.

c) Funds received from sponsors of Projects/Schemes.

d) Funds received from sponsors of Fellowships and Scholarships.

Items (c) and (d) above are not to be included in this Schedule, as they fulfil only one characteristic of Earmarked funds. They are for a specific object. They are for short periods, ranging from i to 3 years andare not accompanied by corresponding investments. Expenditure is also continuously incurred against Sponsored Projects and Sponsored Scholarships during the entire duration.

Where Revolving funds have been created for House Building Advances, Conveyance and Computer Advances, they will not have any capital expenditure debited to the relevant Earmarked Fund.

Any other fund created with a specific objective eg Staff Welfare Fund, Pension Fund, could also be included in this schedule.

SCHEDULE 3-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A. CURRENT LIABILITES

l. Acceptances	Included under this sub-head would be thedrawer‘s assent on bills of exchange to the order of the drawer.
2. Sundry Creditors	The amount to be shown against this sub-head shall comprise amounts owed by the entity in favour of others on account of:
a) For Goods	goods purchased or services rendered or in respect of contractual obligations. These need to be segregated for goods' and shown separately
b) Others	
3. Advances Received	The liability against this sub—head shall comprise amounts received in respect of which goods or services have yet to be supplied/rendered or for which value has yet to be given, and includes advance subscriptions.
4. Statutory Liabilities	
a) Overdue	These comprise liabilities in terms of the Central/State laws governing the Entity; and includes unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax Act, 1961, statutory bonus, provident fund,ESI, interest to 881 Units on their overdues, sales tax, excise, customs duty, and other statutory levies.
Overdue liabilities of undisputed amounts are those that are due and remained unpaid during the normal due date/stipulated period i.e. those that are in default.	
b) Others	Those for which due date is not reached.
5. Other Current Liabilities	These would include amounts not covered by the other sub-heads. Any material amount included under this Book Overdraft sub-head may be separately shown indicating the nature thereof.
Book Overdraft	Overdrawn bank balance as per entity’s books, where the entity does not have sanctioned limit/overdraft facility shall be included under this sub-head, or separately disclosed as “Overdrawn bank balance in excess of book balance”. In these cases normally there would be no overdrawal as per Bank’s books. These cannot be netted against the balances in other Bank Accounts shown under Current Assets.

Notes-General

1. A Current Liability is one which falls due for payment within a relatively short period, normally not more than 12 months.

2. Where any item constitutes ten percent or more of the total current liabilities and provisions, the nature and amount of such item should be shown separately and should not be included under the head ‘Others’

3. Caution Money received from students - The amount of caution money refundable to students during 12 months from the Balance sheet date should be shown in the following manner:

From current students

From ex~students

4. The receipts against sponsored projects, sponsored fellowships & scholarships and other funds in this schedule, should be supported by sub schedules to the above schedule.

B - PROVISIONS

1. For Taxation	Provision needs to be made and retained based on the status of Tax matters as at the year—end
2. Gratuity	Provision for liability towards gratuity payable on deathfretirement of employees needs to be accrued on

IndiaCode

actuarial basis, and provided up to the year-end. Actuarial valuation as on 31St March is to be obtained every year.

3. Superannuation/Pension — Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end. Actuarial valuation as on 31st March to be obtained every year, which will also cover Pensioners and Family Pensioners on the rolls.

4. Accumulated Leave — Provision for liability towards accumulated leave encashrnent of employees, needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end. Actuarial valuation as on 31st March to be obtained every year.

5. Trade Warranties/Claims — Where the entity is manufacturing/processing goods for sale, it may be liable to trade ~ warranty risks, which need to be provided for on a reasonable/rational basis.

6. Others — These need to be specified, and shall not include provision for doubtful debts/advances, which shall be reduced from the relevant asset heads.

Notes-General

1. Provision is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value of assets, or retained by way of providing for a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

2. If the calculation of the provisions has been done correctly, the closing balance of the Provisions for Pension, Gratuity and Leave Encashment in this schedule to the Balance Sheet will agree with the liability on the date as per actuarial valuation.

3. The actual payments of Pension/Commuted Value of Pension, Family Pension, Gratuity and Leave encashrnent, are debited to the respective Provisions.

4. As the provisions cover the whole year, and disclose the liability on 31St March of the year. the question of providing outstanding liability for unpaid retirement benefits, if any, in the annual accounts does not arise. A liability cannot again be shown for a liability which already exists in the form of a provision.

APPLICATION OF FUNDS

SCHEDULE 4-FIXED ASSETS:

1. LAND

a) Freehold — Where immovable properties are purchased/acquired by paying a composite cost (e.g. Land andBuildings) 21 reasonable/reliable estimate should be made of the land cost and shown separately.

b) Leasehold — Leasehold land should be amortized over the period of lease unless the lease is in perpetuity

2. BUILDINGS

a) On freehold land — Buildings/premises shall be those which are intended to be wholly/partly used for the purposes of the activities of the Entity and would not include "Investment Properties".

b) On leasehold land — As far as practicable, distinction may be made between factory and office buildings, Residential Buildings, Hostel Buildings etc for purposes of provision for depreciation at different rates. Superstructures on leasehold lands should be depreciated to be co-terminus with the amortisation of land, unless the superstrucmres have shorter life.

c) Ownership Flats/Premises — Freehold/Leasehold to be disclosed.

d) Superstructures on Land — Buildings shall include roads, bridges, and Culverts belonging to the Entity. Alternatively these could be included in a separate head.

3. PLANT AND MACHINERY: Included under this Sub-head would be items like:

- Earth moving Machinery
- Boilers
- Furnaces
- Generators
- Dyes/Mould
- Machinery used for specific industry/services like Building contracts, in hospitals/clinics, processing units, hydraulic works (including pipelines), Tool rooms.
- Other items used for manufacture / processing etc.
- Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers.
- Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.

4. VEHICLES Included under this sub head would be items like:

- Tractors/Trailers
- Trucks, Jeeps and Vans
- Motor Cans
- Motor Cycles, Scooters,

Three Wheelers and Mopeds

- Rickshaws

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.

5. FURNITURE, FIXTURES **Included under the above sub-head would be items like:**

a) Cabinets/Almirahs/Filing Racks

b) Air'conditioners/Air conditioning Plant

c) Air Coolers

d) Water Coolers

e) Tables/Chairs/Sofas/Carpets

f) Wooden partitions/temporary structures

g) Voltage Stabilisers, UPS Systems

h) Other Items

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts

6. OFFICE EQUIPMENT Included under the above sub-head would be items like.

a) Typewriters

b) Photocopies/duplicators

c) Fax Machines

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets register. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged for material amounts.

7. COMPUTERJPERIPHERALS Computers, Printers and their peripherals like theSoftware etc. would be the items under this head. Software will be treated as an intangible asset.

8. ELECTRIC INSTALLATIONS Included under the above sub-head would be items like:

a) Electrical Machinery

b) Electric Lights/Fans

c) Switch gear instruments

d) Transformers

e) Electric Wiring and fittings

Separate Account heads should be maintained in respect of the above items and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged for material amounts.

9. LIBRARY BOOKS AND SCIENTIFIC JOURNALS

In some cases the number of Library Books could be very large or there may be an established Library. In such cases these books may be disclosed as a separate category of assets. Library books will include books/journals/information stored in CD ROMS. E-Journals will be treated as Intangible Assets.

10. LABORATORY AND SCIENTIFIC EQUIPMENT

1) NMR

2) XRD

3) ICPMS

4) Particle size Analyzer

5) Floor Standing Preparative ultracentrifuge

6) Table Top GC MS

7) Thermal Ionization Mass Spectrometer

8) CD Spectrometer

9) Tunable Amplified Feurtosecond Laser System

10) 24 Capillary genetic Analyzer

ll) Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer.

12) 100 Watt YBFibre lase System

13) Inverted Research Microscope

l4) Lexsyg Smart -Automated TL-OSL Reader

15) 4K Pulse Tube close cycle Cryostat

These are few representative names. The Institution may add or delete the names of the equipment according to their Accounting policy.

11. TUBEWELLS & WATER SUPPLY SYSTEM

Tube wells and Water supply Systems may be shown as a distinct category.

12. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS:

Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they are ready for their intended use. Plant machinery and equipment acquired and pending installation should also be included here. Those works in progress, (opening balance plus additions during the year) which get completed in the current year, are transferred to the respective Fixed Assets, by using the 3rd column in the Gross Block of the Schedule. As no depreciation is charged on works-in-progress, the net figure of works" in progress in the 4th column of the Gross Block, is shown as the Net Block for the current year. While computing the capital expenditure met out of

IndiaCode

grants during the year (for the purpose of crediting to Capital Fund) care should be taken to exclude from the additions during the year (column 2 of Gross Block) the work in progress transferred to the Asset Accounts during the year.

Notes-General

1. Fixed Assets are those assets which are held with the intention of being used for the purpose of producing or providing services and not held for sale in the normal course of trade.

2. Under each sub-head should be shown:

a) the cost or the valuation as at the beginning of the year

b) additions during the year (both acquisitions and by way of grants)

c) deductions (including sales, disposals, write-offs) during the year.

d) The total cost/valuation as at the year—end.

e) Depreciation up to the previous year-end, Depreciation for the year and the total accumulated depreciation upto the year—end.

f) The net block of the assets as at the year-end.

3. The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired (including by way of grants or at concessional rates), or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation/amortisation.

4. The cost of a Fixed Asset should be determined by adding to the purchase price any attributable costs of bringing it to its working condition for its intended use.

5. Advance payments to contractors and suppliers should not be classified under the specific fixed assets or as Capital Work h in ~ Progress.

6. The Accounting Policy should disclose the method of valuation of gifted / Donated Assets.

7. Depreciation

Depreciation shall be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life. Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising fiom use, effluxion of time or obsolescence through technology and market changes. It includes amortisation of assets the useful life of which is determined, and depletion of wasting assets.

For this purpose:

a) Depreciable asset means an asset which—

i. Is expected to be used during more than one accounting period, and

ii. Has limited useful life; and

iii. Is held by the entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purpose and not for the purpose of sale in the ordinary course of its business/operating activities.

b) Depreciable amount of a depreciable asset means its original cost, or other amount substituted for original cost in the financial statements less the residual value;

c) Useful life means either-

i) the period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or

ii) the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the Entity.

8. No Depreciation is provided on F tee-hold Land.

9. In the year in which an asset is sold/ condemned as scrap and written off, the book value of the asset gets reduced/written off. It is necessary to simultaneously remove from the Fixed Assets Schedule, the corresponding original cost of the asset and the depreciation provided up to that year This' is done through entries in the 3rd column of the Gross Block and 3rd column of the Depreciation Block (proforma entries).

10. The classification of Assets as indicated above, could be changed, if a different classification has already been followed by the Institution. For e.g. Air conditioners, Air coolers, Water coolers, Voltage stabilizers could be classified as Electrical Equipment, while Air conditioning Plant may be classified under Plant and Machinery.

SCHEDULE-5: INVESTMENTS—FROM DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

1.Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2. Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3. Debentures and Bonds	Investment in debentures and bonds of RBI, Companies and Corporations should be disclosed here.
4. Others (to be specified)	Includes residual investments, if any, like Commercial paper, Investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of debentures/bonds. Term Deposits in Banks, if any, would also be included here.

5. General :

l.) Investments held against Earmarked/Endowment funds need to be disclosed in this schedule. A Fund wise sub

schedule should be included below the main schedule. This will enable a comparison of the balance in the particular fund and the corresponding investment against that fund.

2.) As an exception to the nature of investments mentioned in this Schedule, Term Deposits in Banks may be included under the head "others", tofacilitate comparison of the balances in the earmarked fluids and the corresponding investments.

3) a) The investments shall be classified and disclosed under long term investments and current investments.

b) 'Current Investment' means an investment that is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date On which such investment is made. Such investments should be shown at the lower of cost or fair value which should be determined on individual investment basis or by category of investment.

c) 'Long—terrnlnvestment' means an investment other than a current investment. Long-term investments should be measured at cost. The book value of long-term investments should be reduced to recognise a decline/ diminution, other than temporary, in their value. Such reduction should be determined and made for each investment individually.

d) Investments shall further be sub—classified as investments from earmarked/endowment funds, and "other investments" in each case and disclosed accordingly.

e) Aggregate amount of the educational institution's long-term quoted investments and also the market value thereof should be shown. Aggregate amount of the educational institution's unquoted investments should also be shown.

f) 'Quoted investment' for this purpose, means an investment in respect of which a quotation or permission to deal on a recognized stock exchange has been granted, and the expression 'unquoted investment' should be construed accordingly.

g) The significant restrictions on the right of ownership, reliability of investment shall be disclosed by way of notes.

4. Investment in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.

5. The Accounting Policy should disclose in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value—both for long term & current investments.

6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortized on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortized.

7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

8. Where Term Deposits in Banks on maturity, are reinvested along with interest allowed by the Bank, care should be taken to make two entries on the Receipts side of the Bank Book viz

a. Term Deposits encashed _

b. Interest on Term Deposits

On the payment side the reinvested amount will appear as investment in Term Deposits.

SCHEDULE 6- INVESTMENT—OTHERS:

1. Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills.
	These securities should be shown at cost/book value.
	However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2. Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated asapproved securities (such as Trustee-securities), shouldbe included here.
3. Debentures and Bonds	Investment in debentures and bonds of RBI, Companiesand Corporations should be disclosed here.
4. Others	Includes residual investments, if any, like Commercial' paper, investments (to be specified) in Mutual Funds andother instruments not being in the nature ofdebentures/bonds. Investment in properties, if any, wouldalso be included here.

General:This head will include the investments of surplus funds, but not Term Deposits in Banks, which will be included under Current Assets.

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS.

l. Inventories:	
a) Stores and Spares	Inventories comprise tangible property including maintenancesupplies and consumables, and spares for equipment
b) Inventories	Include items held in the normal course or in the form of material orsupplies to be consumed like chemicals, glass ware, laboratoryconsumables, Building materials, electrical materials, stationery,cleaning material, water supply material, publications held for sale etc,
2. Sundry Debtors:	Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligations.
	a) Debts Outstanding for a period exceeding six months
	b) Others

3. Cash balances in hand: (including cheques/drafts, postage stamps and imprest)
4. Bank Balance Amounts held as bank balances against earmarked/endowment funds should be separately disclosed.
a) With Scheduled Bank:
- On Current Accounts Overdue/Matured Deposits should be separately disclosed.
- On Deposit Accounts (includes margin money)
- On Savings Accounts
b) With Non-Scheduled Banks
- On Current Accounts
- On Deposit Accounts
- On Savings Accounts
5. Post Office - Savings Accounts:

Notes:
1. Basis of valuation of inventories should be disclosed in the Accounting Policies.
2. Debts considered good for recovery and those considered doubtful shall be shown separately. Provision for Doubtful debts, if made, should be shown as a reduction from the amount of debts considered doubtful.
3. Where any deposit accounts are pledged or charged as security or are encumbered, the fact should be disclosed
4. Margin Moneys are represented by Term Deposits with the Bank in the name of the institution. They are taken by Banks as, a matter of safeguard to ensure recovery from the Institution on whose behalf a Bank Guarantee was issued or a Letter of Credit was established. The Law in respect of Bank Guarantees and Letters of Credit is that the Bank which issued the Bank Guarantee or established the Letter of Credit has to pay the beneficiary when the Bank Guarantee is invoked or the Letter of Credit is operated by the Supplier, irrespective of whether it is able to recover the value or not, from the Institution on whose behalf it was issued or established. The percentage of margin money may vary depending on the confidence the Bank has, about the financial position of the Institution.

SCHEDULE 8. LOANS, ADVANCES AND DEPOSITS:

1. Loans: Loans and Advances as are considered good & recoverable should be disclosed. Doubtful amounts, if any, should be stated under each sub-head, and provision, if made, should be shown as a reduction there from.

a) Staff Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after repayment of principal.

b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity Irrevocable grants/subsidies/donation to such entities, shall not be included here.

c) Other (specify)

2. Advances and other amounts recoverable in Cash or in kind or for value to be received:

a) On Capital Account Advances to suppliers/contractors for capital works should be shown against this sub-head.

b) Prepayments This includes prepaid expenses.

c) Others This would comprise receivables other than the debtors.

3. Income Accrued: Both 'Income accrued and due' and 'Income accrued but not due' up to the year-end should be included under this head.

a) On investments from Earmarked/endowment funds
b) On Investments – Others
c) On Loans and Advances

Income on Investments from Earmarked/Endowment Funds and that on Other Investments should be shown separately

d) Others If uncertainty attaches to realization or ultimate collection, Income (includes income due unrealized) should not be recognized and if recognized, should be provided for.

Dividends should-be recognized based on the date(s) of their declaration.

Separate disclosure should be made in respect of income accrued clue, but not realized.

4. Claims receivable Only claims, which are considered good and realizable should be included.

5. Deposits (other than with Bank) For Telephone, electricity, water supply, rentals

6. Others specify

Note: Advances to employees for House Building, purchase of vehicles and computers will be included in this Schedule, unless Revolving funds (Earmarked) have been established and are included in Schedule 2.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

1. The Income and Expenditure Account should disclose every material feature and should be so made out as to clearly disclose the result of the working of the educational institution during the period covered by the account.
2. Donations and grants should be recognised only at a stage when there is a reasonable assurance that the educational institution will comply with the conditions attached, if any, and the donations and grants will be received.
3. Any item under which income/expense exceeds 1% of the total fee receipts of the educational institution or Rs. 50,000/- whichever is higher should be shown as a separate and distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account. These items, therefore should not be shown under the head miscellaneous and other income/expense.
4. Depreciation should be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life.
5. Prior Period Income and Prior Period expenditure should be part of the Income and Expenditure Account, as they disclose the extent to which, the results of working for the period covered by the Income and Expenditure Account have been affected, by the items which do not pertain to the current period but to earlier period(s) and have occurred in the current period; Also where no income has been accrued or no outstanding liability for expenses has been provided in respect of such items in the previous year (s).
6. The details of hostel running expenses should be disclosed separately in the notes to the Income and Expenditure Account.
7. An educational institution shall disclose the following additional information by way of notes:
 a. Disclosure in respect of expenditure incurred on objects of the educational institution,
 b. Details of the services rendered by volunteers for which no payment has been made.
 c. Details of items of exceptional and extraordinary nature

INCOME

SCHEDULE 9 —ACADEMIC RECEIPTS:

l) Entrance Fees	Accounting policies on each item will have to be disclosed.
2) Annual Fees/Subscriptions	In case Fees like Entrance Fee, Subscriptions etc. are in thenature of capital receipts, such amount should go to the Corpus/Capital Fund. Otherwise such fees will be incorporated in this Schedule.
3) Seminar/Program Fees	
4) Consultancy Fees	In case the major activities of the Entity is to provide consultancy services, Such income should form part of Schedule 13 (Other Income)
5) Others (Specify)	The gross receipts should be shown here, Expenditure incurred on consultancy etc. should be shown as "Administrative and General Expenses" in Schedule 17.

SCHEDULE 10 — GRANTS AND DONATIONS:

(Irrevocable Grants & Donations Received)

1) Central Government	Grants or other similar assistance received for the general purpose and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, or to cover expenditure incurred in prior periods, shall be included in this schedule.
2) State Government(s)	These grants etc. are without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of

non-refundable amounts which are to be appropriated to income.

3) Government Agencies

4) Central Educational Institutions-generally get grants under Plan and Non Plan heads. The grants under Plan may be general and/or for specific schemes (e.g. construction of Science Centre; Auditorium etc). Plan grants may be for Capital as well as Revenue expenditure. Non a Plan grants are generally for meeting the deficit on Revenue Account, based on the Annual Budget of the Institution in which the estimated Revenue expenditure, as well as the estimated Internal Generation of Resources are Projected. The Non ~ Plan grant takes into account both the Revenue expenditure and internal generation of resources projected in the Budget and the

deficit. In such institutions the internal generation of Resources is far less than the revenue expenditure. This is the reason why the term grants/subsidies is used, as the grant subsidises the deficit. Educational Institutions where the Internal generation of Resources is more than the estimated Revenue expenditure, do not get Non — Plan grants.

5) The Schedule includes a detailed disclosure of the opening balances (Plan and Non Plan separately), the receipts during the year, refunds, if any, the amounts utilized for capital expenditure, the amounts utilized for Revenue expenditure and the unutilized balances at the end of the year.

6) While finalizing the accounts of the financial year;

a) A three way agreement of capital expenditure met out of grants between the figure in the Capital Fund, the figure in the Gants Schedule and the figure in the Fixed Assets schedule (Additions during the year pertaining to assets acquired out of grant funds), should be ensured. The Capital expenditure during the year will include the net capital works in progress (i.e., Additions during the year minus completed Capital Works in Progress transferred to assets during the year)

b) The Revenue expenditure met out of non plan grants should be calculated as follows:

Expenditure as per Expenditure schedules (Non Plan column) of the Income and Expenditure Account	XXX
Less: Provision made in the year for retirement benefits	(XXX)
Add: Actual payments made in the year for retirement benefits	XXX
Revenue expenditure met out of non - plan grants.	_____

(The total of the expenditure side in the Income and Expenditure Account can also be used for the above deductions and addition, but there will be another deduction in that case, representing Depreciation in respect of which also there is no cash outgo).

Generally, the Revenue expenditure as calculated above will be more than the non Plan grants available after meeting capital

expenditure. If so, that balance itself should be shown as the Revenue expenditure utilized from Non plan grants, resulting in unutilized non plan grants as nil. The presumption in such cases is that the excess expenditure over non plan grants is met out of Internally generated resources.

If however, grants for the next year have been received in the current year as Advance grants, it has to be ensured that such advance grants are carried forward and shown as unutilized grants in the grants Schedule. To this extent, the non plan grants available after meeting capital expenditure will include the advance grants; Hence for comparison of grants available and actual Revenue expenditure, the grants available as reduced by Advance grants should be considered. In a note below the grants schedule, it should be disclosed that the unutilized non — plan grants represent Advance grant for the next year.

7. Normally, the figure of grants received as per the Receipts and Payments Account should agree with the figure of Receipts in the Grants Schedule (Sch 10). If however sanctions dated on or before 315‘ March, have been received by the Institution, against which the amount is actually received in the first week of April, they are accounted on accrual basis in the year in which sanctions have been issued, by debiting Grants Receivable (shown under “Loans Advances and Deposits”) and crediting “Grant Account”. In such a case there will be a difference in the figures of grants received, between the figure as per Receipts and Payments Account and the figure in the Grants Schedule, equal to the Grants Accrued.

SCHEDULE 11 - INCOME FROM INVESTMENTS:

1. Interest	Income from Investments shall be disclosed at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately.
a) On Govt. Securities	Interest on Govt. Securities shall comprise
	a) Interest earned at coupon rate upto the last applicable date of interest, i.e. interest accrued & due; and
	b) Interest accrued thereafter upto the year-end at the coupon rate .i.e., Interest accrued but not due
b) Other Bonds/	Income on bonds and debentures would include discount accrued
Debentures	upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at par or on premium, based on the terms of their issue.
2. Dividends:	Dividends shall be accrued, based on the dates of declaration
a) On Shares	thereof i.e. when the entity has a right to receive the same.
b) On Mutual Funds	
3. Rents	Rents shall be shown as income on Investment on properties, if any.
4. Others (Specify)	Interest claimed on overdue/matured investments shall not be recognized unless preconditions for suchrecognition are satisfied.

5. Distinction should be made in respect of income on Investments:

a) Owned by the Entity; (this will appear in the Income and Expenditure Account)

b) those held against eannarked/endowment funds. At the year-end, total of the income on investment from Earmarked/Endowment funds should be transferred to the Funds through schedule 2.

6. The Schedule is in two parts — the first discloses the income from Earmarked/Endowment Investments showing it as transferred to Earmarked/Endowment Funds, leaving no balance. The second part deals with Income on Investments — others, the total of which appears in the Income and Expenditure Account as Income from Investments.

While finalizing the Annual Accounts it should be ensured that the total of the First part A agrees with the horizontal total against income from Investments plus Accrued interest on investments plus interest on Savings Bank Accounts, in Schedule 2 — Earmarked/Endowment Funds.

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED:

1. On Term Deposits:	1. Interest income earned should be shown atgross figures and tax deducted at source is to be stated separately as Receivables, in the BalanceSheet, where the Income of the Institution is exempt from Income Tax.
a) With Scheduled Banks	
b) With Non—Scheduled Banks	
c) With Institutions	
d) Others	
2. On Savings Accounts:	2. Distinction should be made in respect of income;
a) With Scheduled bank	a) On the Accounts owned by the Entity; and
b) With Non-Scheduled Bank	b) those held against earmarked/endowment funds; to be transferred to Earmarked/Endowment funds.
c) Post Office Savings Accounts	
d) Others	
3. On Loans;	
a) Employees/ Staff	(where no revolving Funds have been set up for Interest bearing advances for House Building, conveyance and computers)

IndiaCode

b) Others

4. Interest on Debtors & Other Receivables

SCHEDULE 13 — OTHER INCOME

(1)	Income from Services:	Income must be shown at gross figures and Tax Deducted at Source should be indicated separately.
(2)	Professional/Consultancy:	Gross Consultancy charges and fee for rendition of professional Services: services by the entity should be included under this sub head. Tax deducted at source should be indicated separately as Receivables in the Balance Sheet where the institution's income is exempt from Income Tax.
(3)	Income from Royalty:	Accounting policies on each item will have to be disclosed.
(4)	Income from Publications:	In case the major activities of the Entity are to publish books, journals, documents etc., suchincome should from part of Schedule 13.The gross receipts should be shown here. Expenditure incurred on publication etc. should be shown as other administrative expenses' in schedule 17.
(5)	Profit on sale of Assets a) Owned assets b) Assets acquired out of Grants	Sales proceeds/realization, net of the book value of the or received free of cost, assets shall, if a surplus, be included under this head.
(6)	Grants / Donations from Institutions, welfare bodies, and International organizations (gross receipts) should be classified under this sub head, with details of the source and amounts received. If grants/subsidies are given in turn by the Institution to other organizations out of these receipts on irrevocable basis, the expenditure should be exhibited in Schedule 21 – Other expenses.	
(7)	Others (specify)	
Note:	In case the major activity of the Institution is to Publish Books, Journals, documents etc, then income from Royalty and Sale of Publications should be shown in a separate schedule of the Income and Expenditure Account in which a separate head "Royalty and Publications" may be added.	

SCHEDULE 14 — Prior Period Income

Items of Prior Period Income are those items against which incomes do not pertain to the current year but pertain to the previous year (s) and have occurred during the Current year; Also where no income has been treated as accrued in the previous year(s). Such items may occur in respect of all the Income heads in the Income and Expenditure Account. The amounts of Prior Period Income against each Income head should be disclosed in this schedule — the total agreeing with the.figure against the head 'Prior Period Income' in the Income and Expenditure Account.

SCHEDULE 15- STAFF PAYMENTS & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES):

a)	Salaries and Wages	The gross expenditure against each head including in respect of staff on deputation should be disclosed.
b)	Allowances and Bonus	
c)	Contribution to Provident Fund	
d)	Contribution to Other Funds (specify)	Statutory obligations of the Entity towards Provident fund, New Pension Scheme, Employees' state insurance, retirement benefits etc. should be disclosed clearly and item-wise.
e)	Staff Welfare Expenses	
f)	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	
g)	Others (specify)	

Notes- General

1. Sub Schedule ISA is to be used to disclose the calculation of the provision to be made in the accounts of the year towards, gratuity, pension and leave encashment. Only the provision made in the year will be included here (and not the actual payments of Pension, commuted value of Pension, Gratuity and Leave Encashment made during the year which are debited to the Provisions)

2. While finalizing the Annual Accounts it should be ensured that the total of Provisions to be made for the year and other retirement Benefits in Schedule 15A, agrees with the amount shown against 'Retirement and Terminal Benefits' in Schedule 15.

3. In case of recoveries like fines, penalties etc. the same should not be deducted from the expense heads but included under 'Other Income' in the Schedule 13.

Prior period items

Prior period-and Extraordinary Items shall be separately disclosed under the head 'Prior Period expenses' so that the effect

thereof on the net Expenditure for the year is known.

SCHEDULE- 16 ACADEMIC EXPENSES

Academic Expenses: This Schedule includes

- All academic expenses like laboratory Running expenses e.g. all chemical or other consumable/ materials (other than . equipment! tools & appliances) necessary for conducting experiments and running the Laboratories for practical work.
- All Expenses on field studies
- All Expenses on Visiting faculty
- All Expenses on seminars/Workshops/convocations.
- All Expenses relating to admission of New batches of Students. ‘
- All Expenses pertaining to examinations.
- All Expenses on stipends/merit-cum-scholarships to students.
- All Expenses en publicity (admission related & scholarships)
- Periodicals.
- All Expenses related to students welfare.
- Research activities

SCHEDULE 17 —ADMINISTRATIVE & GENERAL EXPENSES

A Infrastructure

I) Rent, Rates & Taxes

II) Electricity Expenses

III) Water Charges

IV) Security Expenses

V) Insurance

VI) Generator Running Expenses

B Communication

I) Postage & Telegram

II) Telephones & Fax

III) Internet Connectivity Charges

IV)

C Subscriptions to Academic Institutions

D TA to Members of Advisory Committees, etc.

E Advertisement and Publicity

F Legal Expenses

G Others

I) Printing and stationery (consumption)

II) Newspapers & periodicals

III) Entertainment Expenses

IV) Bank charges

V) TA to Candidates

VI) Labour Charges, Daily Wages & Contract Labour

VII) Travelling and Local Conveyance

VIII) Conservancy Expenses

IX) Liveries

X) Photocopying Charges

XI) Contribution to VC Discretionary Fund, etc.

XII) Other Miscellaneous Administrative Expenses

XIII) Auditors’ Remuneration

IndiaCode

XIV) Professional charges

XV) Provision for Bad & Doubtful Debts/Advances

XVI) lrrecoverable balances written off

XVII) Others

Notes:

In case of recoveries e.g. rent recoveries, freight charges recovered, fines, penalties, liquidated damages from suppliers etc., the amount of such recoveries should not be deducted from the expense heads but included under "Schedule 13 — "other Income".

SCHEDULE- 18 TRANSPORT EXPENSES

Transportation Expenses will include all expenses on:

- All Vehicles (owned by the institution) - Running expenses like cost of petrol, diesel, repair and maintenance of vehicles.
- All hiring charges of vehicles from service providers on regular or temporary basis.
- Any other expenses in maintaining vehicles owned by the institution (e.g. Insurance)
- All expenses for ferrying of Guest/dignitaries for attending various meetings/seminars/workshops/convocation etc

SCHEDULE- 19 REPAIRS & MAINTENANCE

The repair and maintenance costs will include:

- All expenses like whitewashing of rooms in the office buildings, academic buildings\hostels\residences. All petty repairs in the maintenance of office, residence, academic buildings and hostels.
- All expenses on maintenance of furniture & fixtures.
- All repair and annual maintenance expenses on plant and equipment.
- All repair and annual maintenance of computers, communication equipment and other office equipment.
- All annual maintenance of electrical plants and equipment
- All annual maintenance contracts for maintaining Laboratory and scientific equipment.
- All expenses on cleaning services.
- Expenses on any other annual maintenance contract (specify).
- Gardening
- Estate Maintenance.
- Book Binding charges.

IndiaCode

SCHEDULE- 20 FINANCE COST

Finance Cost Includes all interest on Loans, borrowings & Bank Charges.

Note: Central Educational Institutions may not have any loan portfolio, as they are not permitted to borrow money from financial institutions.

In such cases Bank charges, which are not material, should be included under Administrative expenses, by deleting this schedule and the head in the Income and Expenditure Account.

SCHEDULE 21 — OTHER EXPENSES

This Schedule will include:

a) Grants given to Institutions/Organizations	Grants, Subsidies or other similar assistance given to the Institutions/organizations for general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, shall be included in this Schedule. These grants etc. are with or without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated as expenditure. The gross receipts shown against each sub-head in schedule 13, could be the sources of these grants that are given, in turn, to other institutions/organizations on irrevocable basis. The gross expenditure against each head should be disclosed.

Note: Names of the Institutions/organizations, their activities along with the amounts in each case should be disclosed.

b) Any others (specify)

SCHEDULE 22 — PRIOR PERIOD EXPENSES

Items of Prior Period Expenditure are those items against which expenditure does not pertain to the current year but pertains to the previous year (s) and have occurred during the current year, and also against which no outstanding liability for expenses has been provided in the previous year(s).

Prior Period expenses against each of the expenditure heads in the Income and Expenditure Account should be disclosed in this schedule — the total agreeing with figure against the head 'Prior Period Expenses' in the Income and Expenditure Account.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE 23 — ACCOUNTING POLICES

1. Educational institutions should disclose their significant accounting policies and this disclosure should be made at one place. An illustrative list of accounting policies that an educational institution could disclose is given below

a) The basis of preparation of Accounts (Historical cost Convention and Accrual system)

b) Revenue Recognition (specifically stating the items which are recognized on cash basis)

c) Accounting for income from and expenditure on specialized activities such as Research

d) Conversion or translation of foreign currency (in case of organizations receiving foreign fimds/Incurring expenditure in Foreign Exchange on imports).

e) Method(s) of depreciation

f) Valuation of inventories

g) Valuation of investments

h) Treatment of employee benefits

i) Valuation of fixed assets

j) Treatment of contingent liabilities

k) Expenditure during construction

l) Assets of small value

m) Accounting treatment of leasehold land

n) Accounting of Earmarked funds and Endowment Funds with a brief description of each fund.

o) Amortization of wasting assets

p) Accounting treatment of Plaanon-plan Grants received from Govt.

q) Accounting treatment of sponsored Projects/Schemes/Programmes (Receipts and expenditure) and income from such schemes(Overhead recoveries, institutional charges/project management fees etc)

r) Accounting treatment of Assets acquired out of sponsored project funds and earmarked Funds

s) Accounting treatment of Fellowships and Scholarships

t) Classification and treatment of Deferred Revenue Expenditure

u) Treatment of Assets acquired by the Grantee institutions out of grants given to them by the institutions (if applicable).

v) Taxation Status

2. In respect of funds, educational institutions should disclose the following in the schedules/notes to accounts:

a) In respect of each major fund, opening balance, additions during the period, deductions/utilisation during the period and balance at the end;

b) Assets, such as investments, and liabilities belonging to each fund separately;

c) Restrictions, if any, on the utilization of each fund balance;

d) Restrictions, if any, on the utilization of specific fixed assets.

SCHEDULE 24:- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS:

ITEMS TO BE COVERED IN THIS SCHEDULE ARE LISTED BELOW:

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. Claim against the Entity not acknowledged as debts	_____
2. Guarantees and Letters of credit outstanding	Liability towards Guarantees given by the entity or by Banks on its behalf and Letters of Credit outstanding as at the year-end are required to be disclosed.

IndiaCode

3. Other items for Which the entity is contingently liable	Included here would be disputed statutory and other demands/claims, Bills rediscounted, and other items for which the entity is contingently liable such as suits filed, Arbitration cases pending.

B.NOTES ON ACCOUNTS

1. Commitments on capital Account not provided for	This would arise in terms of contracts / arrangements in terms of which amounts would have to be paid for acquisitions/construction of assets as and when they take place. The amount, net of advances is required to be disclosed.

2. Educational institutions should host following information in public domain so as to enable all other stakeholders to have a bird's eye View of educational institution's capacity and capability:

(i) No. of students

(ii) Number of teachers

(iii) Collection on account of building fund and expenditure thereof

(iv) Collection for sports activities and expenditure thereof

(v) Collection for co-curricular activities and expenditure thereof

(vi) Collection on account of development charges and expenditure thereon

(vii) Collection for medical expenses and expenditure thereon

(viii) Compliance with statutory dues like EPF and E81

(ix) Salary structure of teachers

The above information can also be calculated on per student basis.

3. Related Party Disclosures

Accounting Standard (AS) 18, 'Related Party Disclosures', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, requires disclosures to bemade in respect of related party transactions. Keeping in View the involvement of public funds. in the context of an educational institution, the following disclosures should be made in a note to the financial statements of the educational institution:

(i) Transactions between the educational institution and the trust or society managing the educational institution.

(ii) Transactions between the educational institution and the trustees or the members of the governing body of the educational institution.

(iii) Transactions between the educational institution and the author of the trust or the founder of the institution.

(iv) Transactions between the educational institution with another educational institution or any other educational entity managed by the same trust or society, if permitted by the relevant legislation/bye-laws etc.

(v) Transactions between the educational institution and the relatives of the trustees, or members of the governing body managing the educational institution or the author of the trust or the founder of the institution. For this purpose, a relative, in the context of an individual, means "the spouse, son, daughter, brother, sister, father and mother who may be expected to influence, or influenced by, that individual in his/her dealing with the educational institution".

(vi) Transactions between the educational institution and its 'key management personnel' or the relatives of the key management personnel. Key management personnel would represent those persons in the educational institution who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the educational institution. In case of an educational institution, an example of key management personnel is the Principal/V ice Chancellor. '

If there have been transactions between related parties, during the existence of a related party relationship, the educational institution should disclose the following:

(i) the name of the transacting related party;

(ii) a description of the nature of transactions;

(iii) volume of the transactions; either as an amount or as an appropriate proportion;

(iv) the amounts or appropriate proportions or outstanding items pertaining to related parties at the Balance Sheet date and provisions for doubtful debts due from such parties at that date; and

(v) amounts written off or written back in the period in respect of debts due from or to related parties.

The following are examples of the related party transactions in respect of which disclosures may be made by an educational institution:

Purchases or sales of fixed assets; rendering or receiving of services;

Leasing or Hire purchase arrangements;

Items of a similar nature may be disclosed in aggregate by type of related party except when separate disclosure is necessary for an understanding of the effects of related party transactions on the financial statements of the educational institution.

Disclosure of details of particular transactions with individual related parties would frequently be too voluminous to be easily understood. Accordingly, items of a similar nature may be disclosed in aggregate by type of related party. However, this is not done in such a way as to obscure the importance of significant transactions, e.g., purchases or sales of books are not aggregated with purchases

or sales of fixed assets. Nor a material related party transaction with an individual party is clubbed in an aggregated disclosure.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

At the time of finalization of the Accounts for the year, the following should be ensured.

1. The figure of Receipts of Grants during the year in Schedule 10 — Grants/Subsidies agrees with the figure of Receipts of Grants in the Receipts and Payments Account. If the Grants Schedule shows a higher figure, it should represent the amount shown as Grants Receivable under Schedule 8, Loans, Advances and Deposits, accounted on accrual basis in respect of sanctions dated 31St March or earlier, against which the amounts have been received in April of next year.

2. The opening Cash and Bank balances agrees with the previous year's figures of closing balances in the Receipts and Payments Account as well as the previous year's figure under Current Assets in Schedule 7.

3. The current year's Cash and Bank Balances under Schedule 7, "Current Assets", agrees with the closing Cash and Bank balances in the Receipts and Payments Account for the current year.

[F.No.7-10/2016-MinorityCell]

APARNA S. SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(i) vide G.S.R. 286(E), dated the 16th May, 2006.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.26 11:08:10 +05'30'